अध्याय – 6
आधुनिक भारत का स्वाधीनता आंदोलन

सामाजिक आंदोलन

ब्रिटिश शासन प्रणाली ने भारतीय समाज को प्रभावित किया। ब्रिटिश साम्राज्य एवं औपनिवेशिक संस्कृति के विस्तार के विरूद्ध भारतीय जनता में प्रतिक्रिया हुई। 19 वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में भारत के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन में ऐसे आंदोलन का प्रारंभ हुआ, जिसे भारतीय पुनर्जागरण कहा गया। जहाँ एक ओर सामाजिक–धार्मिक क्षेत्र में कालांतर में आई रूढ़ियों को समाप्त करने के प्रयास किए गए वहीं दूसरी ओर भारत के गौरवशाली अतीत को उजागर कर भारतीयों के मन–मस्तिष्क में आत्मसम्मान की भावना जागृत की गयी। सामाजिक व्यवहारों एवं धार्मिक आस्था के बीच गहरा संबंध होने के कारण सामाजिक सुधार के लिए धार्मिक सुधार आवश्यक था। सामाजिक सुधारकों ने तर्क के आधार पर रूढियों को चुनौती दी। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को समाप्त करने के लिए लोगों को बताया कि अतीत में सती प्रथा को धार्मिक स्वीकृति प्राप्त नहीं थी। दयानंद सरस्वती ने जन्म पर आधारित जाति प्रथा का विरोध वैदिक ग्रंथों को आधार बनाकर किया।

समाज सुधारक उदारवादी एवं मानवतावादी विचारों से प्रभावित थे। इसके मूल में शिक्षित बुद्धिजीवी मध्यमवर्ग था। बुद्धिजीवी भारतीयों ने देश की दुर्दशा एवं पिछड़ेपन के कारणों को खोजकर देश का उत्थान करना चाहा। ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन जैसे सामाजिक आंदोलनों के माध्यम से समाज एवं धर्म में सुधार के प्रयास किए गए। सामाजिक आंदोलन के उदय के निम्न प्रमुख कारण थे–

1. अंग्रेज व्यापारियों के साथ ईसाई पादरी एवं धर्म प्रचारक 1813 ई. के बाद बड़ी संख्या में भारत आने लगे। ईसाई मिशनरियों ने हिन्दू धर्म की आलोचना कर भारतीयों को ईसाई बनाना प्रारंभ किया। धर्म एवं संस्कृति की रक्षा के लिए धार्मिक–सामाजिक आंदोलन आवश्यक प्रतीत होने लगे। भारतीय समाज में कालांतर में आई बुराइयों को समाप्त कर ईसाईकरण को रोकने का प्रयास किया गया।
2. यूरोपीय विद्वान् विलियम जोन्स, मैक्समूलर आदि ने भारतीय इतिहास, धर्म एवं साहित्य का अध्ययन कर यह बताया कि प्राचीन भारतीय सभ्यता विश्व की महानतम सभ्यताओं में से एक है। बंगाल की एशियाटिक सोसायटी ने कई प्राचीन भारतीय ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद किया। अपने गौरवशाली अतीत की जानकारी से भारतीयों में आत्मगौरव एवं आत्मसम्मान की भावना उत्पन्न हुई।
3. पश्चिमी सभ्यता के प्रसार ने भारतीयों को सशंकित कर दिया। इन्होंने भारत को पश्चिमी सभ्यता के प्रभाव से बचाने का प्रयास किया। समाज सुधारकों ने भारतीय धर्म एवं संस्कृति में विश्वास बनाए रखने की प्रेरणा भारतीयों को दी और कालांतर में आई रूढ़ियों को समाप्त करने का प्रयास किया।
4. समाचार पत्र–पत्रिकाओं ने भारत के पुनर्जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंग्रेजों के दुर्व्यवहार के समाचार छपने लगे। समाज सुधारकों ने पत्र–पत्रिकाओं के माध्यम से समाज में जागृति उत्पन्न की।
5. अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त शिक्षित मध्यम वर्ग का उदय हुआ। इन्होंने पश्चिमी समाजों के अध्ययन तथा वहाँ चल रहे समाज परिवर्तन की जानकारी के आधार पर भारतीयों में सामाजिक समानता एवं एकता की भावना का प्रचार किया।

ब्रह्म समाज एवं राजा राममोहन राय

19वीं सदी में सामाजिक–धार्मिक सुधार आंदोलन बंगाल से राजा राम मोहन राय के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ। राजा राममोहन राय को बंगाल में नवचेतना एवं क्रांति का अग्रदूत, भारत में नवजागरण का अग्रदूत, सुधार आंदोलनों का प्रवर्तक एवं आधुनिक भारत का पहला नेता कहा गया। इनकी हिन्दू धर्म के

मौलिक सिद्धांतों एवं दर्शन में आस्था थी। ये कालांतर में हिन्दू धर्म एवं समाज में आए आडंबरों को समाप्त करना चाहते थे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानव गरिमा, सामाजिक समानता आदि विचारों को अपनाकर भारत का सामाजिक–सांस्कृतिक, राजनीतिक एवं धार्मिक पुनरुत्थान करना चाहते थे। राजा राममोहन राय का जन्म बंगाल के राधानगर में ब्राह्मण जमींदार परिवार में हुआ। इन्होंने हिन्दू, इस्लाम, ईसाई आदि धर्म एवं इनके महत्वपूर्ण ग्रंथों का गहन अध्ययन किया। ये अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, लेटिन, हिब्रू आदि कई भाषाओं के जानकार थे। इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की नौकरी की किंतु बाद में त्यागपत्र दे दिया। इन्होंने अपने विचारों के प्रचार के लिए एकेश्वरवादियों का उपहार (Gift to monotheist) एवं प्रीसेप्टस ऑफ जीसस (precepts of jesus) पुस्तक लिखी। तोहफत–उल–मुहीद्दीन फारसी भाषा में लिखी। फारसी में 'मिरात उल अखबार', बांग्ला में 'संवाद कौमुदी' पत्रिका एवं हिन्दी में 'बंगदूत' निकाला।

1815 ई. में इन्होंने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की। 1825 ई. में कलकत्ता में वेदान्त कॉलेज की स्थापना की। 1828 ई. में इन्होंने कलकत्ता में 'ब्रह्म सभा' की स्थापना कर अपने विचारों का प्रचार–प्रसार किया। ब्रह्म सभा 'ब्रह्म समाज' कहलाया। देवेन्द्रनाथ टैगोर (रवीन्द्रनाथ टैगोर के पिता) ने राजा राम मोहन राय के विचारों से प्रभावित होकर 1839 ई. में 'तत्वबोधिनी सभा' की स्थापना की। राजा राम मोहन राय के बाद 1843 ई. में देवेन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज को पुनर्जीवित किया। केशवचंद्र सेन ने ब्रह्म समाज की लोकप्रियता को बढ़ाया। देवेन्द्रनाथ टैगोर ब्रह्म समाज को राजा राममोहन राय के मार्ग पर चलाना चाहते थे। केशवचंद्र सेन ने ब्रह्म समाज में सभी धर्मों के प्रस्तावों के पाठ की अनुमति दे दी। वे सामाजिक सुधारों में अधिक रूचि लेने लगे। इस कारण दोनों में मतभेद बढ़ता गया। 1867 ई. में देवेन्द्रनाथ टैगोर ने केशवचंद्र सेन को आचार्य के पद से हटा दिया। ब्रह्म समाज दो भागों में बंट गया। देवेन्द्रनाथ टैगोर का समाज 'आदि ब्रह्म समाज' एवं केशवचन्द्र सेन का समाज 'भारत का ब्रह्म समाज' (भारतीय ब्रह्म समाज) कहलाया। केशवचंद्र सेन ने बाल–विवाह का विरोध बड़ी दृढ़ता से किया, किंतु इन्होंने अपनी 13 वर्षीय अल्पायु बेटी का विवाह बहुत बडी उम्र के कूचविहार के राजा से कर दिया। इस कारण इनके कुछ अनुयायी इनसे रुष्ट हो गए और 1878 ई. में केशवचंद्र सेन के 'भारत का ब्रह्म समाज' में फूट पड़ गयी। अपने को प्रगतिशील मानने वाले लोगों ने 'भारत का ब्रह्म समाज' से पृथक होकर 'साधारण ब्रह्म समाज' की स्थापना की। राजा राममोहन राय एवं ब्रह्म समाज ने सामाजिक, धार्मिक एवं शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए।

सामाजिक सुधार– राजा राममोहन राय एवं उनके ब्रह्म समाज ने भारतीय समाज में कालांतर में आई कई कुरीतियों का विरोध किया। राजा राममोहन राय ने प्राचीन धार्मिक ग्रंथों के आधार पर यह प्रमाणित करने का प्रयास किया कि कई सामाजिक रूढ़ियाँ मौलिक हिन्दू धर्म के विरूद्ध हैं। उन्होंने जाति प्रथा, अस्पृश्यता, सती प्रथा, बहुविवाह, बाल विवाह, पर्दा प्रथा आदि का विरोध किया। उन्होंने सती प्रथा को समाप्त करने के लिए आंदोलन चलाया। उन्होंने मौलिक हिन्दू धार्मिक ग्रंथों के आधार पर यह प्रमाणित करने का प्रयास किया कि सती प्रथा को धार्मिक मान्यता प्राप्त नहीं थी तथा यह कभी भी हिन्दू समाज में एक प्रथा के रूप में मान्य नहीं रही। उन्होंने कहा कि मानव की बुद्धि भी इस प्रथा का समर्थन नहीं कर सकती। राजा राममोहन राय ने पत्र–पत्रिकाओं के माध्यम से सती प्रथा के विरूद्ध जनमत तैयार किया। राजा राममोहन राय के प्रयासों से ब्रिटिश गवर्नर जनरल लार्ड विलियम बैंटिक के समय 1829 में कानून बनाकर सती प्रथा पर रोक लगा दी गयी। न्यायालयों को आदेश दिए गए कि ऐसे मामलों में मानव हत्या के अनुसार मुकदमा चले एवं दंड दिया जाए। प्रारंभ में यह नियम केवल बंगाल के लिए था। 1830 में इसे बंबई एवं मद्रास में लागू किया गया। राजा राममोहन राय एवं ब्रह्म समाज ने सामाजिक कुरीतियों का विरोध करते हुए स्त्रियों की स्थिति में सुधार के लिए विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। उन्होंने स्त्रियों को आर्थिक अधिकार देने की बात की। स्त्री शिक्षा के प्रयास किए। ब्रह्म समाज ने बालि ींव डाली।

राजा राममोहन राय ने एक ब्रह्म (एकेश्वरवाद) का उपदेश दिया। उन्होंने वेद, उपनिष आदि के माध्यम से इस बात को प्रमाणित करने का प्रयास किया कि हिन्दू धर्म के मौलिक ग्रथों में एक ब्रह्म की बात है। उन्होंने निरर्थक अनुष्ठानों एवं आडंबरों का विरोध किया। उनका विश्वास था कि वेदांत दर्शन भी तर्क शक्ति पर आधारित है। राजा राममोहन राय ने कहा कि यदि कोई दर्शन, परंपरा आदि तर्क की कसौटी पर ख न उतरे और वे समाज के लिए उपयोगी न हो तो मनुष्य को उन्हें त्यागने से हिचकना नहीं चाहिए। इन्होंने ईसाई धर्म में व्याप्त अंधविश्वासों की भी आलोचना की। राजा राममोहन राय विश्व के सभी की मौलिक एकता में विश्वास करते थे। ब्रह्म समाज ने राजा राम मोहन राय के एकेश्वरवाद एवं मूर्ति पूजा में अविश्वास की मान्यताओं का प्रसार किया।

राजा राममोहन राय राजनीतिक क्षेत्र में उदारवादी विचारों के समर्थक थे। उन्होंने भारतीयों में राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने में योगदान दिया। राजनीतिक विषयों पर जनआंदोलन का प्रांरभ करने का श्रेय राजा राममोहन राय को जाता है। उन्होंने वरिष्ठ सेवाओं में भारतीयकरण, कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण, जूरी द्वारा न्याय प्रदान करना, भारतीयों एवं यूरोपीय लोगों के बीच न्याय की समानता आदि की की। उन्होंने भारतीय प्रशासन में सुधार के लिए प्रयास किए। अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं में चि लेते हुए स्वतंत्रता एवं जनतंत्र के लिए विश्व में चल रहे राष्ट्रीय आंदोलनों का समर्थन किया। इन्हें मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने इग्लैंड भेजा था। राजा राममोहन राय ऐसे पहले भारतीय थे जिनसे ब्रिटिश संसद ने भारतीय मामलों पर परामर्श किया।

आर्थिक क्षेत्र में उन्होंने जनसाधारण को आर्थिक शोषण से मुक्ति दिलाने का प्रयास किया। बंगाल के जमींदारों द्वारा कृषकों पर किए जा रहे शोषण का विरोध किया।

राजा राममोहन राय पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली एवं अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक थे। उनका मानना था कि आधुनिक विचार के प्रसार के लिए आध

उन्होंने कलकत्ता में कॉलेज एवं स्कूल की स्थापना कर अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया। उन्होंने वेद एवं उपनिषदों का बांग्ला भाषा में अनुवाद किया। बांग्ला–व्याकरण का संकलन किया। पत्रकारिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया। इसी कारण उन्हें 'भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत' भी कहा जाता है।

इस प्रकार राजा राम मोहन राय एवं उनके ब्रह्म समाज ने हिन्दू धर्म में व्याप्त रूढ़ियों को समाप्त कर हिन्दू धर्म एवं समाज में सुधार कर एकता एवं समानता लाने का प्रयास किया। उन्होंने राजनीतिक चेतना जागृत कर राष्ट्रीयता की भावना को बढ़ावा दिया। ईसाईयों के प्रचारवादी प्रहार से हिन्दू धर्म एवं समाज की रक्षा की।

ब्रह्म समाज ने पहली बार बड़ी प्रबलता से भारतीय समाज की समस्याओं को भारतीयों के समक्ष रखा। इससे एक बौद्धिक वातावरण तैयार हुआ।

केशव चंद्र सेन के प्रयासों से ब्रह्म समाज के विचारों से प्रभावित होकर आत्मारंग पांडुरंग ने 1867 ई. में महाराष्ट्र के बंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना की। आर. जी. भण्डारकर एवं महादेव गोविन्द रानाडे प्रार्थना समाज के प्रमुख व्यक्ति थे। समाज में सुधार के लिए बंगाल में ब्रह्म समाज द्वारा जो कार्य किए गए वही कार्य महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज द्वारा किए गए।

राजा राममोहन राय

स्वामी दयानंद सरस्वती

आर्य समाज एवं दयानंद सरस्वती

आर्य समाज आंदोलन का उदय ब्रिटिश साम्राज्य एवं पाश्चात्य विचारधारा के प्रभावों की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ। आर्य समाज तत्कालीन समाज सुधार आंदोलनों से भिन्न था। इसने मुख्य रूप से हिन्दू धर्म एवं समाज में सुधार का कार्य किया। इसका मुख्य उद्देश्य हिन्दू धर्म एवं समाज में कालान्तर में आई रूढ़ियों को समाप्त कर प्राचीन वैदिक धर्म के शुद्ध रूप को पुनर्स्थापित करना था। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 ई. में गुजरात के मौरवी के पास टंकारा में ब्राह्मण परिवार में हुआ। इनका बचपन का नाम मूलशंकर था। इनके पिता अम्बाशंकर वेदों के विद्वान् थे। बचपन से ही दयानंद चिंतनशील थे। 1860 ई. में इनकी मथुरा में स्वामी विरजानंद से भेंट हुई। स्वामी दयानंद विरजानंद से प्रभावित होकर उनके शिष्य बन गए। स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक धर्म सुधारक एवं समाज सुधारक के रूप में देश के विभिन्न स्थानों पर भ्रमण कर विद्वानों से शास्त्रार्थ किया। बंगाल के समाज सुधारक केशवचंद्र सेन के परामर्श पर उन्होंने अपने विचारों को संस्कृत के स्थान पर हिंदी में व्यक्त करना प्रारम्भ किया। दयानंद सरस्वती ने अपने विचारों को हिंदी में लिखी 'सत्यार्थ प्रकाश' नामक पुस्तक में व्यक्त किया। दयानंद सरस्वती ने 1875 ई. में बंबई में आर्य समाज की स्थापना की और इसके सिद्धांत एवं नियम बनाए। लाहौर में 1877 ई. में आर्य समाज के सिद्धांत पुनः सम्पादित किए गए। दयानंद सरस्वती एवं आर्य समाज ने निम्नलिखित कार्य किए –

सामाजिक सुधार– आर्य समाज ने समाज सुधार के कार्य करते हुए सामाजिक समता व समरसता की बात की। आर्य समाज ने वर्ण व्यवस्था को जन्म के स्थान पर कर्म के आधार पर माना। जातिप्रथा एवं छुआछूत का विरोध किया। स्त्रियों की स्थिति को सुधारने का प्रयत्न किया। बाल–विवाह, पर्दा–प्रथा, दहेज–प्रथा, बहुविवाह आदि सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने का प्रयास किया। विधवा स्त्रियों की स्थिति सुधारने के लिए प्रयत्न किए। कई विधवा आश्रम स्थापित किये। स्त्री एवं पुरूषों की समानता की बात कही। स्त्री–शिक्षा के कार्य किए। दयानंद सरस्वती ने वेदों के आधार पर बताया कि शूद्रों एवं स्त्रियों को वेद पढ़ने एवं यज्ञोपवीत धारण करने की मनाही नहीं है। उन्होंने कहा कि जिन हिन्दू रीति–रिवाज, परंपराओं एवं मान्यताओं की अनुमति वेद नहीं देता उन सभी को त्याग देना चाहिए।

धार्मिक विचार एवं कार्य– धार्मिक क्षेत्र में दयानंद सरस्वती ने न केवल हिन्दू धर्म में कालान्तर में आई त्रुटियों को सुधारने का प्रयास किया बल्कि ईसाई एवं इस्लाम मजहब में व्याप्त बुराइयों को भी उजागर किया। दयानंद सरस्वती वेद को हिन्दू धर्म का वास्तविक आधार मानते थे। शुद्ध वैदिक परम्परा में विश्वास करते हुए इन्होंने "वेदों की ओर लौट चलो" का नारा दिया। वे वेद को ईश्वर प्रेरित मानते थे। वेद को ईश्वरीय ज्ञान मानने के साथ ही उन्होंने कहा कि वैदिक मंत्रों की व्याख्या तर्क की कसौटी पर कसकर विवेक से होनी चाहिए। उनका तर्क था कि वेद की भाषा अत्यन्त प्राचीन है। इसपर जो भाष्य बाद में लिखे गए वे सब सत्य हो यह आवश्यक नहीं है। दयानंद सरस्वती एवं आर्य समाज ने बहुदेववाद, अवतारवाद, मूर्तिपूजा, पशुबलि आदि में विश्वास नहीं किया। कर्मकांडों एवं अंधविश्वासों का विरोध किया। इन्होंने ईश्वर को निराकार, सर्वशक्तिमान एवं सर्वव्यापक माना। 'शुद्धि–आंदोलन' के माध्यम से आर्य समाज ने मतांतरित हिन्दुओं का शुद्धिकरण कर पुनः मूल धर्म में शामिल किया।

राजनीतिक विचार– स्वदेशी राज्य की बात करते हुए दयानंद सरस्वती ने कहा कि विदेशी राज्य चाहे कितना अच्छा हो, लेकिन वह सुखदायक नहीं हो सकता। बुरे से बुरा देशी राज्य अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से अच्छा है। 'स्वराज्य' शब्द का सबसे पहले प्रयोग स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया। उन्होंने स्वदेशी, स्वराज्य, स्वभाषा एवं स्वाभिमान की बात कही।

शिक्षा के क्षेत्र में कार्य– शिक्षा के क्षेत्र में आर्य समाज ने उल्लेखनीय कार्य किया। स्वामी दयानंद सरस्वती के स्वर्गवास होने के बाद 1886 ई. में लाहौर में दयानंद ऐंग्लो वैदिक स्कूल की

स्थापना हुई, जो 1889 ई. में दयानंद ऐंग्लो वैदिक कॉलेज के रूप में अस्तित्व में आया। देश के विभिन्न भागों मे दयानंद ऐंग्लो वैदिक संस्थाओं का विस्तार हुआ। पाश्चात्य शिक्षा–पद्धति से ज्ञान दिए जाने को लेकर आर्य समाज में मतभेद हुआ। वैदिक शिक्षा पद्धति से शिक्षा प्रदान करने के लिए 1902 ई. में हरिद्वार के पास कांगड़ी में गुरूकुल स्थापित किया गया। दयानंद ऐंग्लो वैदिक संस्था एवं गुरूकुल कांगड़ी दोनों ने भारतीय संस्कृति की उपलब्धियों को बताते हुए भारतीयों के मन में आत्मगौरव का भाव उत्पन्न किया। इन शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से अधंविश्वासों एवं कुरीतियों को समाप्त कर धर्म एवं समाज में सुधार का प्रयास किया गया। इसके अतिरिक्त दयानंद सरस्वती ने हिन्दी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया।

रामकृष्ण मिशन एवं स्वामी विवेकानंद

रामकृष्ण मिशन के संस्थापक स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ। इनके बचपन का नाम नरेन्द्रनाथ दत्त था। इनके पिता विश्वनाथ दत्त एवं माता भुवनेश्वरी देवी थी। स्वामी विवेकानंद कलकत्ता विश्वविद्यालय के स्नातक थे। स्वामी विवेकानंद अपनी धार्मिक एवं आध्यात्मिक जिज्ञासा के कारण रामकृष्ण परमहंस के संपर्क में आए। रामकृष्ण परमहंस कलकत्ता में दक्षिणेश्वर मंदिर के पुजारी थे। रामकृष्ण की हिन्दू धर्म में गहरी आस्था थी। रामकृष्ण ईश्वर की प्राप्ति के लिए निःस्वार्थ भक्ति भावना पर बल देते थे। वे सभी मत–पंथों की मौलिक एकता में विश्वास करते थे। रामकृष्ण परमहंस के विचारों से प्रभावित होकर स्वामी विवेकानंद उनके शिष्य बन गए। 1886 ई. में रामकृष्ण की मृत्यु के बाद विवेकानंद ने संन्यास ग्रहण कर लिया। इन्होंने भारत के विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया और धार्मिक ग्रंथों का गहनता से अध्ययन किया। खेतड़ी के महाराजा के सहयोग से विवेकानंद सितम्बर 1893 में विश्व धर्म संसद में भाग लेने अमेरिका के शिकागो शहर गए। सितम्बर 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन में इन्होंने अपना प्रसिद्ध भाषण प्रिय भाइयों एवं बहनों के सम्बोधन से प्रांरभ किया। अपने भाषण में इन्होंने भारतीय संस्कृति एवं धर्म की महत्ता को बड़े प्रभावशाली तरीके से पश्चिमी जगत के समक्ष रखा। इन्होंने अपने व्याख्यान द्वारा भारत की बौद्धिक, आध्यात्मिक एवं धार्मिक समृद्धता को प्रमाणित किया। इनके संबंध में अमेरिका के न्यूयार्क हैरल्ड ने लिखा "शिकागो धर्म सम्मेलन में विवेकानंद ही सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है। उनके भाषण सुनने के बाद लगता है कि भारत जैसे समुन्नत राष्ट्र में ईसाई प्रचारकों को भेजा जाना कितनी मूर्खता की बात है।" विवेकानंद ने इसके बाद अमेरिका एवं इग्लैंड में भ्रमण कर हिन्दू धर्म एवं संस्कृति का प्रचार किया। 1896 ई. में न्यूयार्क में वेदान्त सोसायटी की स्थापना की।

5 मई 1897 में स्वामी विवेकानंद ने वेलूर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरू रामकृष्ण परमहंस के नाम पर की। इसकी शाखाएँ भारत के विभिन्न भागों एवं विदेशों में खोली गयी। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन के माध्यम से अपने विचारों का प्रचार किया। रामकृष्ण मिशन की शिक्षाएँ मुख्य रूप से वेदांत–दर्शन पर आधारित हैं।

सामाजिक विचार एवं कार्य– विवेकानंद ने तत्कालीन भारतीय समाज मे व्याप्त संकीर्णताओं एवं कुरीतियों का विरोध किया। उन्होंने जातीय भेदभावों का विरोध कर समानता की बात की। उनका मत था कि सामाजिक–धार्मिक परम्पराओं एवं मान्यताओं को तभी स्वीकार करना चाहिए जब वे उचित जान पडे। उन्होंने स्त्री पुनरुत्थान की बात कही। वे निर्धनता एवं अज्ञानता को समाप्त करना चाहते थे। उन्होंने कहा "जब तक करोड़ों व्यक्ति भूखे और अज्ञानी हैं तब तक मैं उस प्रत्येक व्यक्ति को देशद्रोही मानता हूँ जो उन्हीं के खर्चे पर शिक्षा ग्रहण करता है परन्तु उनकी परवाह नहीं करता।" विवेकानंद के विचारों को सफल बनाने के लिए रामकृष्ण मिशन ने समाज सेवा एवं परोपकार के कार्यों को बहुत महत्व दिया। अपने कार्यों में मानवतावादी दृष्टिकोण के कारण रामकृष्ण मिशन अधिक लोकप्रिय हुआ। रामकृष्ण मिशन ने कई विद्यालय, अनाथालय, चिकित्सालय आदि स्थापित किए और इसके माध्यम से समाज सेवा के कार्य किए। अकाल, बाढ़ आदि विपदाओं के समय रामकृष्ण मिशन ने सहायतार्थ कार्य कर लोगों को समाज सेवा की प्रेरणा दी।

धार्मिक विचार :– स्वामी विवेकानंद हिन्दू धर्म एवं दर्शन में गहन आस्था रखते थे। इन्होंने हिन्दू धर्म एवं संस्कृति की मौलिकता एवं इसकी विशेषताओं को लोगों के समक्ष रखा। इन्होंने मनुष्य की आत्मा को ईश्वर का अंश बताया। इनका मानना था कि ईश्वर की आराधना का एक रूप दीन दुःखी और दरिद्रों की सेवा भी है। रामकृष्ण मिशन ने मानव सेवा को ईश्वर की सेवा माना है। 'नर सेवा नारायण सेवा ' उनका ध्येय वाक्य है।

स्वामी विवेकानंद

स्वामी विवेकानंद का राष्ट्रीय दृष्टिकोण– स्वामी विवेकानंद ने राष्ट्रीयता की भावना के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

विवेकानंद एवं रामकृष्ण मिशन ने भारतीयों में आत्मविश्वास एवं आत्मसम्मान की भावना का विकास किया। इसी भावना ने युवाओं को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की ओर प्रेरित किया। उन्होंने स्वतंत्रता, समानता एवं स्वतंत्र चिंतन की बात कर युवाओं को नयी दिशा प्रदान की। उन्होंने कहा ''उठो, जागो और तब तक विश्राम न करो जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए।'' वे भारत के पिछड़ेपन, पतन एवं गरीबी से दुःखी थे। वे पश्चिम के अंधानुकरण के विरोधी थे। विवेकानंद आध्यात्मिक उन्नति पर बल देते थे। मनुष्य की आध्यात्मिक उन्नति कर पहले वे मनुष्य को मनुष्य बनाना चाहते थे और उसी को संपूर्ण प्रगति का आधार मानते थे। पूरे विश्व में हिन्दू धर्म एवं दर्शन को प्रसारित कर विवेकानंद ने उल्लेखनीय कार्य किया। उन्होंने भारत के प्राचीन गौरव को संसार के समक्ष रखा। उन्होंने ऐसी शिक्षा की बात कही जिससे चरित्र का निर्माण हो। उन्होंने शक्तिमान एवं पौरूष युक्त बनने की बात कही। उन्होंने कहा कि मनुष्य का साहस एवं वीरत्व एक दिन उसे कुपथ त्यागने की प्रेरणा देंगे। विवेकानंद ने खेतड़ी के महाराजा को लिखा ''हर कार्य को तीन अवस्थाओं से गुजरना होता है उपहास, विरोध और स्वीकृति। जो मनुष्य अपने समय से आगे विचार करता है लोग उसे निश्चय ही गलत समझते हैं। इसलिए विरोध और अत्याचार हम सहर्ष स्वीकार करते हैं परन्तु मुझे दृढ़ और पवित्र होना चाहिए और भगवान में अपरिमित विश्वास रखना चाहिए तब ये सब लुप्त हो जाएँगे।''

अन्य सामाजिक आंदोलनों में सत्यशोधक समाज, थियोसोफिकल समाज, यंग बंगाल आंदोलन आदि प्रमुख थे। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1875 ई. में ज्योतिबा फूले ने की। इन्होंने 'सार्वजनिक सत्य धर्म' एवं 'गुलामगिरी' नामक पुस्तक लिखी। ज्योतिबा फूले एवं उनके सत्यशोधक समाज ने अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए कार्य किया। थियोसोफिकल समाज की स्थापना 1875 ई. में संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयार्क में रूसी महिला हेलन पेट्रोवना ब्लावात्सकी एवं अमेरिकन सैनिक अधिकारी एच. एस. अल्कॉट ने की। इसका प्रमुख उद्देश्य मानवता का विकास करना एवं प्राचीन धर्म, दर्शन व वैज्ञानिक ज्ञान के अध्ययन में सहयोग करना। इसने प्राचीन भारतीय धर्म एवं दर्शन के सिद्धांतों के प्रति सहमति जताई। यंग बंगाल आंदोलन का नेतृत्व हेनरी विलियम डेरोजियो ने किया। इन्होंने स्वतंत्रता एवं समानता की बात कही। तार्किक एवं विवेकपूर्ण दृष्टिकोण अपनाने के लिए कहा। रूढ़िवादी परम्पराओं को त्यागने को कहा। सिख सुधार आंदोलन में पंजाब में 1920–21 ई. में चलाया गया अकाली आंदोलन प्रमुख था। इस आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य गुरूद्वारों के प्रबंध में सुधार करना था।

इन सामाजिक आंदोलनों के अतिरिक्त मुस्लिमों एवं पारसियों में भी सुधार आंदोलन हुए। अहमदिया आंदोलन के प्रवर्तक गुलाम अहमद कादियानी थे। इस आंदोलन का केन्द्र पंजाब के गुरूदासपुर जिले में कादियां नगर था। अहमदिया आंदोलन ने पाश्चात्य प्रभाव का विरोध करते हुए इस्लामी सिद्धातों को स्थापित करने की बात कही। सर सैय्यद अहमद खाँ ने अपने समूह के माध्यम से अलीगढ़ में जो आंदोलन चलाया, वह 'अलीगढ़ आंदोलन' कहलाया। सर सैय्यद अहमद खाँ ने आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा को अपनाने की बात कही। पारसी सामाजिक सुधार आंदोलनों में 'रहनुमाए मज्दायासन सभा' महत्वपूर्ण थी। इसकी स्थापना 1851 ई. में नौरोजी फरदोनजी, दादा भाई नौरोजी, एस.एस. बंगाली आदि के प्रयासों से हुई। इन्होंने पारसी समाज में व्याप्त रूढ़ियों का विरोध किया।

इस सभी सामाजिक आंदोलनों के प्रयासों से कई कानून बने। सतीप्रथा, शिशुहत्या आदि पर प्रतिबंध लगाया गया। 1829 ई. में सती प्रथा विरोधी कानून एवं 1856 ई. में हिन्दू विधवा पुनर्विवाह कानून बना। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बनने में ईश्वर चन्द्र विद्यासागर की भूमिका प्रमुख रही। इन्होंने वैदिक साहित्य एवं अन्य संस्कृत ग्रंथों के माध्यम से प्रमाणित किया कि वेद विधवा–विवाह की अनुमति देता है। इन्होंने हजारों लोगों से हस्ताक्षर करवाकर प्रार्थना–पत्र ब्रिटिश सरकार के पास भेजा, जिसमें विधवा विवाह को मान्यता प्रदान किए जाने के लिए लिखा था। डी.के. कर्वे ने 1899 ई. पूना में एक विधवा आश्रम खोला। कर्वे ने 1906 ई. में बम्बई में भारतीय महिला विश्वविद्यालय खोला।

केशवचन्द्र सेन के प्रयासों से 1872 ई. में सिविल मैरिज एक्ट बना, जिसके अन्तर्गत 14 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं एवं 18 वर्ष से कम आयु के बालकों का विवाह प्रतिबंधित किया। पारसी धर्म सुधारक बी.एम. मालाबारी के प्रयासों से बाल विवाह को रोकने के लिए 1891 ई. में सम्मति आयु अधिनियम पारित हुआ। हरविलास शारदा के प्रयासों से 1930 ई. में शारदा एक्ट बना, जिससे बाल विवाह रोकने का प्रयास किया गया।

इस प्रकार विभिन्न सामाजिक आंदोलनों ने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र–सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक, कला आदि को प्रभावित किया और नवीन चेतना उत्पन्न की। इन आंदोलनों ने भारत की पश्चिमी सभ्यता के आक्रमण से रक्षा की। भारतीयों में आत्मविश्वास एवं आत्मगौरव की भावना का विकास किया। भारतीय संस्कृति के उज्ज्वल पक्ष को सामने लाया गया। इन आंदोलनों के परिणामस्वरूप भारतीयों के मन में भारतीय धर्म, दर्शन एवं ज्ञान को लेकर गौरव की अनुभूति हुई। प्राचीन वेदों एवं उपनिषदों के सत्य को उजागर कर जनता तक पहुँचाया गया। इन्होंने भारतीय समाज की जड़ता को समाप्त कर बहुमुखी विकास का मार्ग प्रशस्त किया। सुधार के माध्यम से समाज में स्वतंत्रता, समानता एवं मानवतावादी मूल्यों को स्थापित करने का प्रयास किया गया। सामाजिक असमानता दूर कर एकता की भावना उत्पन्न करने का प्रयास हुआ। शिक्षा का प्रसार हुआ। स्त्रियों की स्थिति को सुधारने के लिए अनेक कार्य किए गए। इन आंदोलनों ने राष्ट्रीय चेतना के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

क्रान्तिकारी आन्दोलन

जनजातीय प्रतिरोध

1857 ई. की क्रांति के पूर्व एवं 1857 ई. की क्रांति के बाद अंग्रेजी शासन के विरूद्ध कई विद्रोह हुए। जनजातीय प्रतिरोध का नेतृत्व स्थानीय जनजातीय समुदाय के लोगों ने किया। कोल, संथाल, भील, मुंडा आदि जनजातीय समुदाय के नेताओं ने अपने–अपने क्षेत्र में इसका नेतृत्व किया।

अंग्रेजी शासनकाल में विभिन्न स्थानों पर ब्रिटिश शासकों को जनजातीय प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। ब्रिटिश राज की स्थापना के बाद भू–राजस्व प्रणाली, प्रशासनिक एवं न्यायिक प्रणाली के परिवर्तन से जनजातीय समाज प्रभावित हुआ। अंग्रेज शासन प्रणाली के अंतर्गत पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा जनजातीय क्षेत्र में प्रवेश कर जनजातीय समुदाय का शोषण किया गया। उन पर विभिन्न प्रकार के प्रतिबंध लगाकर अत्याचार किए जाते थे। ब्रिटिश अधिकारियों के साथ ही इस नयी व्यवस्था के अंतर्गत ठेकेदार, व्यापारी, साहूकार आदि अंग्रेजों के बिचौलिए के रूप में कार्य करने लगे। वनों पर अधिकार कर वन संपत्ति की सुरक्षा के लिए विभिन्न प्रकार के नियम बनाकर प्रतिबंध लगाए गए। जनजातीय क्षेत्र में उत्पादित वस्तुओं पर अनेक प्रकार के कर लगाए गए। उनसे बेगार ली जाने लगी। ईसाई मिशनरियों की घुसपैठ जनजातीय क्षेत्रों में बढ़ने लगी। आक्रोशित जनजातीय लोगों ने अंग्रेजी सरकार से संघर्ष किया। जब औपनिवेशिक शासन जनजातीय लोगों के प्रतिरोध का दमन बड़ी क्रूरता से करने लगा तब इनका प्रतिरोध सशस्त्र विद्रोह के रूप में बदल गया।

जनजातीय लोगों ने कभी एक–दूसरे पर हमला नहीं किया। इन्होंने उन पर हमला नहीं किया, जिनकी जनजातीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका थी और जिनसे इनके सामाजिक संबंध थे। इन्होंने लुहार, बढ़ई, कुम्हार, जुलाहे, नाई आदि एवं बाहरी लोगों के यहाँ काम करने वाले नौकरों पर हमला नहीं किया।

पूर्वी भारत में चुआर, खासी, सिंगो, नागा, कूकी, खोंड, संथाल, कोल, मुंडा, भूमिज आदि ने विद्रोह किया। पश्चिमी भारत में भील, रामोसी आदि ने विद्रोह किया। दक्षिण में कोरा माल्या एवं कोंडा डोरा जनजातीय विद्रोह हुआ।

खासी विद्रोह– पूर्वी भारत में औपनिवेशिक शोषण के विरूद्ध कई विद्रोह हुए। असम की सीमाओं के निकट पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाली खासी जनजाति ने 1829 ई. में विद्रोह किया। अंग्रेजों ने इनके क्षेत्र से निकलने वाली सड़क बनाने का कार्य प्रारंभ किया। इस कार्य हेतु जब खासी जनजाति के लोगों को बलपूर्वक मजदूरों के रूप में भर्ती किया गया तब इनमें आक्रोश बढ़ गया। तीरत सिंह के नेतृत्व में खासियों ने अंग्रेजों पर आक्रमण किया। अंग्रेजों ने इस विद्रोह को बड़ी क्रूरता से दबाया।

कोल विद्रोह– अंग्रेजों की प्रशासनिक व्यवस्था, उनकी शोषण की नीति, कठोर भूमि कर व्यवस्था तथा स्थानीय अधिकारियों–कर्मचारियों के व्यवहार से कोल लोग असंतुष्ट हो गए। 1831 ई. में छोटा नागपुर से प्रारंभ हुआ यह विद्रोह रांची, हजारीबाग, पलामू, मानभूमि आदि में फैल गया।

भूमिज विद्रोह– भूमिज जनजाति ने 1832 ई. में वीरभूमि एवं जंगल महाल में गंगानारायण के नेतृत्व में विद्रोह किया।

खोंड विद्रोह– उड़ीसा की सीमा के निकट रहने वाली खोंड जनजाति ने 1846 ई. में चन्द बिसायी के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरूद्ध विद्रोह किया।

संथाल विद्रोह– अंग्रेजी शासन के विरूद्ध 1850 ई. के बाद होने वाले विद्रोहों में संथाल जनजाति का विद्रोह सबसे तीव्र एवं महत्वपूर्ण था। भागलपुर से राजमहल तक का क्षेत्र संथाल बाहुल्य क्षेत्र था। संथालों का विद्रोह मुख्य रूप से वीरभूम, बांकुरा, सिंहभूम, हजारीबाग, भागलपुर एवं मुंगेर तक फैला। इस विद्रोह का मुख्य कारण अंग्रेजी उपनिवेशवादी शोषण की नीति थी। भूमि कर अधिक वसूला जाना, अंग्रेजी अदालतों से उचित न्याय न मिलना, पुलिस के अत्याचार एवं भ्रष्टाचार, महाजनों द्वारा शोषण किया जाना, उधार की समस्या आदि कारणों से संथालों में विद्रोह की भावना आई।

30 जून 1855 को भगनीडीह में हजारों संथाल जनजातीय लोग एकत्र हुए। इन्होंने विदेशियों का राज्य समाप्त कर न्याय एवं धर्म पर आधारित राज्य स्थापित करने का निश्चय किया। संथालों के प्रमुख नेता सिधू और कान्हू थे। इन्होंने अंग्रेज कंपनी के शासन का अंत करने की घोषणा करते हुए स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया। इन्होंने कहा कि स्वयं ईश्वर ने इन्हें इस कार्य के लिए चुना है और स्वर्ग से इन्हें संदेश प्राप्त हुआ है। प्रत्येक गाँव में सिधू एवं कान्हू की ओर से एक पत्तल, धूप में सुखाए गए चावल, तेल एवं हल्दी भेजी गयी। यह कहा गया कि इनका प्रयोग करने से संथालों की आत्मशक्ति बढ़ेगी और उन्हें संघर्ष की प्रेरणा मिलेगी। इन्होंने उपनिवेशवादी सत्ता के प्रतीक पुलिस स्टेशन एवं अन्य भवनों पर हमले किए। धनी व्यक्तियों को लूटा। इस विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजी प्रशासन की सहायता के लिए सेना बुलाई गयी। 1855 ई. में सिधू पकड़ा गया और उसे मार दिया गया। फरवरी 1856 में कान्हू पकड़ा गया। इस प्रकार 1856 ई. में संथालों का विद्रोह समाप्त हुआ।

मुंडा विद्रोह– मुंडा जनजाति ने प्रमुख विद्रोह 1899–1900 ई. के बीच बिरसा मुंडा के नेतृत्व में विद्रोह किया। यह विद्रोह राँची के दक्षिण के भू क्षेत्र में हुआ। मुंडा जनजाति बिरसा मुंडा को भगवान मानने लगी। बिरसा मुंडा ने ब्रिटिश अधिकारियों, ईसाई पादरियों, ठेकेदारों एवं जागीरदारों के विरूद्ध मुंडाओं को सशस्त्र विद्रोह के लिए उकसाया। इन्हें मार डालने के लिए कहा। मुंडाओं ने गिरिजाघर एवं पुलिस वालों पर हमले किए। जून 1900 में जेल में बिरसा मुंडा की मृत्यु हो गयी।

सिधू   कान्हू   बिरसा मुंडा

रामोसी विद्रोह– पश्चिम के जनजातीय विद्रोहों में 1822 ई. में सतारा के आस पास के क्षेत्र में रामोसी विद्रोह चितरसिंह के नेतृत्व में हुआ। रामोसी अंग्रेजी शासन प्रणाली से आक्रोशित थे।

भील विद्रोह– 1825 ई. में सेवरम के नेतृत्व में भील विद्रोह हुआ। कृषि संबंधी परिवर्तन के कारण ये अंग्रेजों से असंतुष्ट थे। अंग्रेजों ने भील विद्रोह को दबाने के लिए सेना की टुकड़ी भेजी।

कोरा माल्या विद्रोह– दक्षिण के जनजातीय विद्रोह में 1900 ई. में हुआ कोरा माल्या का विद्रोह प्रमुख था। यह ब्रिटिश साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलन था। कोरा माल्या ने अपने को पाँच पांडवों में से एक पांडव बताया और कहा कि उसमें बांस को बंदूकों में और पुलिस की बंदूकों को पानी में बदल देने की शक्ति है। इसने लगभग 5,000 लोगों को एकत्र किया और पुलिस स्टेशन पर आक्रमण किया। इसने यह भी घोषणा की कि उसने अंग्रेजों को देश से भगा दिया है।

गोदावरी एजेंसी में वन अधिनियमों एवं उत्पाद शुल्क के विरोध में आंदोलन हुआ। विद्रोहियों ने अपने आपको राम की सेना बताया। इनके एक नेता राजन अनंतय्या ने अपने आपको राम का अवतार कहा।

कोंडा डोरा विद्रोह– ब्रिटिश सरकार के अत्याचार, मुठ्ठादारों (प्रधान) के शोषण, बेगार आदि से पीड़ित कोंडा डोरा जनजाति ने विद्रोह कर दिया। यह जनजाति विशाखापट्टनम जिले के कृष्णदेवपेटा की पहाड़ियों में रहती थी। इसने 1922 ई. में तपस्वी रामराजा के नेतृत्व में सशस्त्र विद्रोह कर दिया। इसके प्रमुख नेता गौतम डोरा, मल्लू डोरा, अंगिराज, इयेंग डोरा आदि थे। इन्होंने ब्रिटिश सेनापति स्काट एवं हेइटारसन की हत्या कर दी। रामराजा ने कोकनद कांग्रेस अधिवेशन (1923 ई.) में अध्यक्ष को पत्र लिखा कि यदि कई हजार बंदूकें उन्हें मिल जाए तो वे और उनके साथी सारे हिन्दुस्तान से ब्रिटिश हूकूमत समाप्त कर सकते हैं और स्वराज्य स्थापित कर सकते हैं। इस जनजाति ने विद्रोह कर उड़ीसा एवं आन्ध्र में ब्रिटिश सरकार के समानांतर सरकार बनाने की योजना बनाई। 1924 ई. में ब्रिटिश सरकार ने इस विद्रोह को बड़ी क्रूरता से दबाया। गौतम डोरा मारा गया। अंग्रेजों के बढ़ते अत्याचार को देखते हुए रामराजा ने आत्मसमर्पण कर दिया किन्तु ब्रिटिश अधिकारियों ने उसे कैद कर गोली मार दी।

जहाँ ब्रिटिश अधिकारी आधुनिक हथियारों एवं कई स्थानों पर सेना की सहायता से जनजातीय विद्रोह को दबा रहे थे, वहीं दूसरी ओर जनजातीय लोग तीर–धनुष, भाले, कुल्हाड़ी आदि से लड़ रहे थे। इस सशस्त्र संघर्ष में अपने आत्मविश्वास के बल पर विभिन्न जनजातियों ने अंग्रेजी औपनिवेशिक साम्राज्य के विरूद्ध अदम्य वीरता दिखाई। अंग्रेजों के बिचौलिए के रूप में कार्य कर रहे व्यापारियों एवं साहूकारों पर भी हमले हुए। अधिकांश विद्रोहों को दबा दिया गया किन्तु इन जनजातीय प्रतिरोध ने यह प्रमाणित कर दिया कि वे शोषण को स्वीकार नहीं करेंगे। ये विद्रोह भले ही सीमित क्षेत्र में हुए हो किंतु इन्होंने अंग्रेजी सत्ता को इनकी समस्याओं की ओर ध्यान देने पर मजबूर कर दिया। सशस्त्र प्रतिरोध के परिणाम स्वरूप कई भूमि संबंधी सुधार किए गए। 1908 ई. में छोटा नागपुर टेनेन्सी एक्ट बना।

क्रांतिकारी दल एवं गतिविधियाँ

भारत एवं विदेशों में अनेक क्रांतिकारी घटनाएँ हुई। इनमें अभिनव भारत, अनुशीलन समिति, गदर दल, हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक पार्टी, आजाद हिन्द फौज आदि क्रांतिकारी संगठनों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत में महाराष्ट्र, बंगाल एवं पंजाब क्रांतिकारी गतिविधियों के प्रमुख केन्द्र थे। विदेशों में क्रांतिकारी गतिविधियों के प्रमुख केन्द्र इंग्लैंड में लंदन, फ्रांस में पेरिस, अमेरिका में सेनफ्रांसिस्को एवं पोर्टलैंड, जर्मनी में बर्लिन एवं जापान में टोक्यो थे। क्रांतिकारी आंदोलनों में अंग्रेजी राज के विरूद्ध हुई सशस्त्र गातिविधियों में क्रांतिकारी ने भारतीय सेना को भी साथ लेने का प्रयास किया। क्रांतिकारी आंदोलनों में अंग्रेजी विरोधी विदेशी ताकतों से भी सहायता ली गयी। इसका उदाहरण गदर आंदोलन एवं आजाद हिन्द फौज है। गदर दल ने जर्मनी की सहायता से एवं आजाद हिन्द फौज ने जापान की सहायता से अंग्रेजी राज्य को भारत से समाप्त करने का प्रयास किया।

लंदन में 1905 ई. में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 'इण्डिया हाउस' की स्थापना की। यह लंदन में रहने वाले भारतीयों के लिये आन्दोलन का एक केन्द्र बन गया। इन्होंने 'इण्डियन सोशियोलॉजिस्ट' नामक अखबार निकाला। वीर सावरकर (अभिनव भारत के नेता), लाला हरदयाल (गदर दल के नेता) एवं मदनलाल ढींगरा जैसे कई क्रांतिकारी इसके सदस्य बने। श्यामजी कृष्ण वर्मा को 'क्रांतिकारियों का पिता' कहा गया। पेरिस में एस.आर. राणा, श्रीमती भीखाजी रूस्तम कामा आदि सक्रिय थे।

अभिनव भारत

नासिक में गणपति उत्सव मनाने के संबंध में 1899 ई. में 'मित्र मेला' संगठन की स्थापना की गयी। 1904 ई. में इसी मित्र मेला से वीर सावरकर के नेतृत्व में 'अभिनव भारत' नामक गुप्त क्रांतिकारी संस्था का जन्म हुआ। इसका उद्देश्य भारत को विदेशी सत्ता से स्वतंत्र कराना था।

इस संस्था ने तिलक द्वारा प्रारंभ किए गए गणपति उत्सव एवं शिवाजी उत्सव के माध्यम से क्रांतिकारी विचारों को लोगों तक पहुँचाया। इसने सभाओं एवं पुस्तिकाओं के माध्यम से अपने विचारों का प्रसार किया। यह संस्था नवयुवकों को लाठी चलाने, तलवार चलाने, पहाड़ पर चढ़ने, घुड़सवारी करने, दौडने आदि की शिक्षा देकर अंग्रेजों के विरूद्ध लड़ने के लिए तैयार करने लगी। महाराष्ट्र के पूना एवं बंबई के कई कॉलेज एवं स्कूलों में इसकी शाखाएँ स्थापित की गयी। इसकी शाखाएँ महाराष्ट्र के अतिरिक्त मध्यप्रदेश एवं कर्नाटक तक विस्तारित की गयी। अभिनव भारत ने विदेशों से पिस्तौल आदि शस्त्र एकत्र किए। लंदन से विनायक दामोदर सावरकर (वीर सावरकर) ने शस्त्र भारत भिजवाए। अभिनव भारत की ओर से पांडुरंग महादेव बापट को बम बनाने की कला सीखने के लिए विदेश भेजा गया। बापट ने रूसी पुस्तक 'बम मैनुअल' की प्रति प्राप्त कर इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया। अभिनव भारत ने बंगाल एवं भारत की अनेक गुप्त

क्रांतिकारी संस्थाओं से संबंध स्थापित किया।

कर्जन वाइली हत्याकांड– 1909 ई. में कर्जन वायली की हत्या मदन लाल धींगरा ने कर दी। मदन लाल ढ़ींगरा अमृतसर से लंदन इन्जीनियरिंग की पढ़ाई करने आए थे। ये कर्जन वायली द्वारा भारतीयों पर किये गए अत्याचार से दुखी थे। कर्जन वायली सेक्रेट्री ऑफ स्टेट का ए.डी.सी. था। वीर सावरकर ने वाइली की शोकसभा में वाइली की हत्या करने वाले मदनलाल ढ़ींगरा के निंदा प्रस्ताव का विरोध किया।

वीर सावरकर– भारत के स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारी नेताओं में अभिनव भारत के विनायक दामोदर सावरकर का नाम अग्रणी है। इनकी देशभक्ति, त्याग एवं बलिदान के कारण ही ये वीर सावरकर कहलाने लगे। इन्होंने युवाओं को अंग्रेजी शासन के विरूद्ध क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। वीर सावरकर का जन्म 28 मई 1883 में भागुर (महाराष्ट्र) में हुआ। इन्होंने उच्च शिक्षा के लिए पूना के फर्ग्युसन कॉलेज में प्रवेश लिया। इन्हीं दिनों ये महाराष्ट्र के राष्ट्रवादी नेता बाल गंगाधर तिलक के संपर्क में आए। 1901 ई. में महारानी विक्टोरिया की मृत्यु पर आयोजित शोक सभा का इन्होंने विरोध किया। एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक उत्सव को इन्होंने 'गुलामी का उत्सव' एवं 'देश व जाति के प्रति विद्रोह' कहा और इसका विरोध किया।

1906 ई. में वीर सावरकर लंदन चले गए। लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा स्थापित 'इण्डिया हाउस' में इन्होंने महापुरूषों की जयंतियाँ एवं विचार गोष्ठियाँ आयोजित कर भारतीय युवाओं में देश भक्ति की भावना जागृत की। सावरकर ने 1857 ई. की क्रांति को 'प्रथम स्वतंत्रता युद्ध' कहा। इन्होंने 'भारत का स्वतंत्रता संग्राम' (The indian war of Independence) नामक पुस्तक लिखी। इस पर ब्रिटिश सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया। यह पुस्तक गुप्त रूप से विभिन्न शीर्षकों 'पीक वीक पेपर्स', 'स्काट्स पेपर्स' आदि नाम से भारत पहुँची।

नासिक षडयंत्र केस– जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या नासिक में 21 दिसम्बर 1909 को अनंत लक्ष्मण ने कर दी थी। यह 'नासिक षड़यंत्र केस' कहलाया। नासिक षड़यंत्र केस में अनंत लक्ष्मण कन्हारे, कृष्णजी गोपाल कर्वे और विनायक नारायण देशपांडे को 19 अप्रैल 1911 को फांसी दी गयी।

जैक्सन की हत्या के लिए लंदन गुट द्वारा भेजी गई ब्राउनिंग पिस्तौल का प्रयोग किया गया था। वीर सावरकर को लंदन से बंदी बनाकर भारत लाया गया। जब इन्हें भारत लाया जा रहा था तब ये समुद्र में कूद पड़े किंतु पकड़े गए। वीर सावरकर पर नासिक षड़यंत्र केस चलाकर दिसम्बर 1910 को अण्डमान द्वीप की सेलूलर जेल भेज दिया गया। इन्हें आजीवन निर्वासन का दंड दिया गया। वीर सावरकर को सेलूलर जेल में घोर यातनाएँ दी गयीं। स्वास्थ्य खराब होने पर 1924 ई. में इन्हें रत्नागिरी में नजरबंद किया गया। इन्हें 1937 ई. में जेल से मुक्ति मिली।

भारत में बंगाल, महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब आदि में क्रांतिकारी गतिविधियाँ चलती रहीं। दिल्ली षड़यन्त्र केस के बाद लाला हरदयाल एवं रासबिहारी बोस जैसे क्रांतिकारी देश के बाहर सक्रिय हो गए।

दिल्ली षड़यन्त्र केस(1912)– 23 दिसम्बर 1912 में दिल्ली के चाँदनी चौक में वायसराय हार्डिंग पर बम फेंका गया। हार्डिंग बच गया। इस बम काण्ड के प्रमुख नेता रासबिहारी बोस भागने में सफल हो गये। दिल्ली षड़यन्त्र केस चलाकर हार्डिंग बम काण्ड में अमीरचन्द्र, अवधबिहारी, बालमुकुन्द और बसन्त कुमार को फाँसी की सजा दी गई। लाला हरदयाल लंदन चले गए।

वीर सावरकर

लाला हरदयाल

गदर दल

विदेशों में क्रांतिकारी गतिविधियों का एक प्रमुख केन्द्र अमेरिका था। अमेरिका एवं कनाडा में रह रहे भारतीयों ने अनुभव किया कि भारत के ब्रिटिश उपनिवेश होने के कारण भारतीयों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। 20 वीं शताब्दी के प्रांरभ में कई भारतीय विशेषकर पंजाब से लोग कनाडा एवं अमेरिका पहुँचे। कठिन परिश्रम करने के बाद भी वे अनुभव करने लगे कि उनका सम्मान नहीं हो रहा है।

अमेरिका में भारतीय क्रांतिकारियों की गतिविधियों का मुख्य केन्द्र पोर्टलैंड था। सोहन सिंह भखना के नेतृत्व में अमेरिका के पोर्टलैंड में 'हिन्दुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट' नामक संस्था की स्थापना हुई। इसका उद्देश्य भारत के लोगों के अधिकारों की रक्षा करना और भारत की स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए भारतीयों में राजनीतिक चेतना उत्पन्न करना था। यह संस्था आगे चलकर 'गदर दल' के रूप में सामने आई। गदर आंदोलन चलाने के लिए 1 नवम्बर 1913 को अमेरिका के सेनफ्रांसिस्को में लाला हरदयाल ने 'गदर दल' का गठन किया। इसके अध्यक्ष सोहन सिंह भखना एवं मंत्री लाला हरदयाल थे। गदर पार्टी के प्रमुख सदस्यों में काशीराम, भाई परमानंद, करतार सिंह सरावा, रामचंद्र आदि थे। गदर दल के दो विभाग थे–प्रथम प्रचार विभाग एवं द्वितीय मिलिटरी विभाग। प्रचार विभाग के सचिव हरदयाल और मिलिटरी विभाग के सचिव पांडुरंग खानखोजे थे। लाला हरदयाल एवं उनके साथियों ने 'गदर' नामक पत्र सेनफ्रांसिस्को से निकाला। पहले यह गुरूमुखी एवं उर्दू में निकलता था, बाद में गुजराती एवं हिंदी में निकलने

लगा। इसने अमेरिका में भारतीय स्वतंत्रता के लिए सहानुभूति प्राप्त करने का प्रयास किया। लोगों को भारतीय स्वतंत्रता प्राप्त करने में योगदान देने के लिए प्रेरित किया। इसने पहली बार गुरिल्ला युद्ध प्रणाली द्वारा भारत को स्वतंत्र कराने की योजना बनाई। अमेरिका में रह रहे पंजाबी अप्रवासी युवकों को प्रथम विश्व युद्ध के समय इस दल में सम्मिलित किया गया। प्रथम विश्व युद्ध के समय इस दल ने सक्रियता दिखाते हुए भारत की स्वतंत्रता के लिए योजना बनाई। प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश भारतीय सेना की टुकड़ियाँ यूरोप एवं एशिया में ब्रिटेन की ओर से लड़ रहीं थी। ऐसे समय गदर दल के नेताओं ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए भारत में विद्रोह की योजना बनाई। इसके सदस्यों ने सेना के सिपाहियों को गुप्त रूप से राजनीतिक शिक्षा दी और विदेशी राज्य के विरूद्ध विद्रोह के लिए प्रोत्साहित किया। इन्होंने किसानों के साथ संपर्क स्थापित कर कार्य किया। किसानों एवं युवकों के बीच विद्रोह की घोषणा की प्रतियाँ बाँटी। इन्होंने शस्त्र प्राप्त किए और सरकारी खजाने को लूटा। विभिन्न वर्ग के लोगों में गदर दल का साहित्य बाँटकर क्रांति की भावना का प्रचार किया। भारत वापस जाने वाले साथियों को सम्बोधित करते हुए गदर दल के नेता रामचंद्र ने कहा "भारत जाओ और देश के कोने–कोने में विद्रोह भड़का दो। भारत पहुँचने पर तुम्हें हथियार दे दिए जायेंगे। हथियार न मिल पाएँ तो राइफल प्राप्त करने के लिए पुलिस चौकियों को लूटो। अपने नेताओं की आज्ञा का बिना किसी झिझक के पालन करो।"

अगस्त 1914 में प्रथम महायुद्ध के प्रारंभ होते ही क्रांतिकारियों ने भारत को स्वंतत्र कराने के लिए जर्मनी के शासकों से संपर्क स्थापित किया। अमेरिका से लाला हरदयाल, जितेन्द्रनाथ लाहिडी, भूपेन्द्रनाथ दत्त, तारकनाथ आदि को बर्लिन भेजा गया। लाला हरदयाल ने बर्लिन में 'भारतीय स्वतंत्रता लीग' की स्थापना की। दक्षिण–पूर्व एशिया में क्रांतिकारी गतिविधियों को संगठित करने एवं संचालित करने का कार्य गदर पार्टी के भगवान सिंह को सौंपा गया था।

कामागाटामारू प्रकरण (1914)– कामागाटामारू एक जहाज था, जिसे हांगकांग से गुरूदत्त ने किराए पर लिया था। इसमें 376 पंजाबी भारतीय यात्री थे। यह हांगकांग, शंघाई और याकोहामा होता हुआ कनाड़ा के बैंकुवर पहुँचा। कनाड़ा सरकार ने इसे बैंकुवर में उतरने नहीं दिया। 23 जुलाई 1914 को यह बैंकुवर से रवाना होकर 29 सितम्बर 1914 को कलकत्ता के बजबज बंदरगाह पर उतरा। सरकार इसके यात्रियो को पंजाब भेजना चाहती थी। यात्रियों की पुलिस से मुठभेड़ हुई, जिसमें लगभग 20 यात्री मारे गए।

इस जहाज में गदर पार्टी के मुख्य पत्र 'गदर' की प्रतियाँ आई थी। अंग्रेज सरकार की रिपोर्ट के अनुसार जब जहाज बैंकुवर में था तब हथियार खरीदकर जहाज पर लाने का प्रयास किया गया था। कामागाटामारू घटना का गदर दल के सदस्यों ने विरोध किया और इस घटना को लेकर भारतीयों में ब्रिटिश विरोधी भावना जागृत की।

सिंगापुर विद्रोह (फरवरी 1915)– यह विद्रोह गदर पार्टी ने किया था। इस कार्य के लिए मूलचंद्र को सिंगापुर भेजा गया था। यह तय हुआ था कि भारतीय सैनिक विद्रोह कर जर्मन कैदियों को मुक्त करायेंगे। बाद में भारतीय सैनिक एवं जर्मन सैनिक मिलकर मलाया पर अधिकार कर पूर्व एशिया से अंग्रेजों को निकाल देंगे। इसके बाद जर्मन सैनिक भारत की क्रांति में सहयोग करेंगे। योजनानुसार भारतीय सैनिकों ने विद्रोह कर जर्मनी के कैदियों को मुक्त करवाया किन्तु जर्मन सैनिकों ने भारतीय सैनिकों का साथ नहीं दिया। दक्षिण–पूर्व एशिया में जर्मनी की सहायता से अंग्रेजों पर आक्रमण करने की गदर दल की योजना असफल रही।

पश्चिम में अगासे एवं पांडुरंग खानखोजे को गदर दल ने ईरान भेजा। ये दोनों वेश बदलकर बलूचिस्तान जाते और भारत में हथियार भेजते थे। प्रमथनाथ दत्त, अगासे आदि को कैद कर लिया गया । इसके बाद खानखोजे ने ईरानी सेना में भर्ती होकर अंग्रेजों से युद्ध किया।

लाहौर सशस्त्र विद्रोह (21 फरवरी 1915)– रासबिहारी बोस ने 21 फरवरी 1915 को सेना में विद्रोह की तिथि निश्चित की। इसका केन्द्र लाहौर था। ब्रिटिश शासकों का मानना था कि गदर पार्टी के प्रचार से भारत में क्रांति को सफल बनाने के लिए कम से कम 8000 भारतीय अन्य देशों से सिर्फ पंजाब आए थे। गदर दल के प्रमुख नेता करतार सिंह सरावा सहित कई नेता गिरफ्तार किए गए। रासबिहारी बोस बचकर भाग निकले।

भारत सरकार ने भारत सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत विशेष मुकदमा दायर किया। यह 'प्रथम लाहौर षडयंत्र केस' के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसमें करतार सिंह, विष्णु पिंगले आदि को मृत्यु दंड मिला। अमेरिकी सरकार ने गदर दल के क्रांतिकारियों पर मुकदमा चलाया। यह मुकदमा 'सेनफ्रांसिस्को का प्रथम मुकदमा' (20 नवम्बर 1917) कहलाया। इन पर आरोप लगाया गया कि इन्होंने बर्लिन में कमेटी बनाई और जर्मन धन से हथियार खरीदे। लोगों को भर्ती कर भारत भेजा और भारत में क्रांति करने का सुनियोजित प्रयास किया।

गदर दल ने भारत की सेना एवं जनता में विद्रोह की भावना फैलाकर सशस्त्र संग्राम के माध्यम से भारत को आजाद कराने का प्रयत्न किया। इस दल ने गुरिल्ला युद्ध प्रणाली अपनाते हुए सेना को भी अपने साथ लेने का प्रयास किया तथा विदेशियों से भी सहायता प्राप्त की।

काबुल में अस्थाई सरकार की स्थापना– जर्मनी की सहायता से राजा महेन्द्र प्रताप ने भारत को स्वतंत्र कराने का प्रयास किया। काबुल में दिसम्बर 1915 में भारत की अस्थाई सरकार की स्थापना हुई। इसके राष्ट्रपति महेन्द्र प्रताप एवं प्रधानमंत्री मुहम्मद बरकतउल्ला बनाए गए। इसने अफगान सरकार से सीधा संबंध स्थापित किया।

हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन

भारत में उन्नीसवीं सदी के अंत में प्रारंभ हुई क्रांतिकारी गतिविधियाँ प्रथम विश्वयुद्ध के समाप्त होते ही शिथिल हो गयी। क्रांतिकारी रासबिहारी बोस जापान चले गए। शचीन्द्र नाथ सान्याल को 1915 ई. के 'बनारस षड़यंत्र केस' में आजीवन कारावास मिला। कई क्रांतिकारी नवयुवकों ने महात्मा गाँधी द्वारा प्रारंभ किए गए असहयोग आंदोलन में भाग लिया। महात्मा गाँधी

द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लिए जाने से कई नवयुवकों ने क्रांतिकारी गतिविधियों में सम्मिलित होना प्रारंभ कर दिया। शचीन्द्र सान्याल ने जेल से छूटने पर नवयुवकों को एकजुट करना प्रारंभ किया। अक्टूबर 1924 में कानपुर में क्रांतिकारी युवकों का सम्मेलन हुआ। शचीन्द्र सान्याल के प्रयासों से 'हिन्दुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन' का गठन किया गया। मन्मथनाथ गुप्त, रामप्रसाद बिस्मिल, योगेश चटर्जी, चन्द्रशेखर आजाद आदि इसके प्रमुख नेता थे। इस संस्था का उद्देश्य सशस्त्र क्रांति के माध्यम से अंग्रेजी साम्राज्य को समाप्त करना था। इसने नवयुवकों को इस दल में सम्मिलित किया। हथियार एकत्र कर उन्हें प्रशिक्षित करना प्रारंभ किया। इसका सैनिक संगठन रिपब्लिकन आर्मी था। 1924 ई. में इस दल ने अपना पर्चा 'रिवोल्यूशनरी' (Revolutionary) निकाला। बाद में इस दल का नाम 'हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन' रखा गया।

काकोरी कांड– क्रांतिकारियों को अपने कार्यों के लिए धन की आवश्यकता थी। इस कारण सरकारी खजाना लूटने के लिए एक योजना बनाई गयी। 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के पास काकोरी गांव के निकट ट्रेन को रोककर सरकारी खजाना क्रांतिकारियों द्वारा लूट लिया गया। काकोरी कांड के संबंध में बहुत बड़ी संख्या में नवयुवकों को गिरफ्तार कर उन पर मुकदमा चलाया गया। रामप्रसाद बिस्मिल,अशफाकउल्ला खाँ, रोशनसिंह एवं राजेन्द्र लाहिडी को फाँसी दी गयी। शचीन्द्र सान्याल को आजीवन कारावास मिला। चन्द्रशेखर आजाद को ब्रिटिश सरकार गिरफ्तार नहीं कर पाई और आजाद ने गुप्त रूप से क्रांतिकारी गतिविधियाँ जारी रखी। इस समय पंजाब, संयुक्त प्रांत, आगरा व अवध, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, राजपूताना आदि में गुप्त क्रांतिकारी संगठन थे किंतु इस संगठनों में एकता एवं समन्वय का अभाव था।

रामप्रसाद बिस्मिल

अशफाकउल्ला खाँ

8–9 सितम्बर 1928 को दिल्ली के फिरोजशाह कोटला में उत्तर भारत में सक्रिय क्रांतिकारियों की बैठक हुई, जिसमें एक केन्द्रीय समिति का गठन हुआ। इस नई केन्द्रीय समिति में चन्द्रशेखर आजाद, भगतसिंह, सुखदेव, विजयकुमार सिन्हा, शिव वर्मा, फणीन्द्र नाथ घोष, कुन्दन लाल आदि को सम्मिलित किया गया। क्रांतिकारी संगठन हिन्दुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम भगत सिंह के सुझाव पर हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन (HSRA) कर दिया गया। इस संगठन के निर्माण में चन्द्रशेखर आजाद की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसका लक्ष्य स्वाधीनता प्राप्त करना एवं समाजवादी राज्य की स्थापना करना था। क्रांतिकारी अब संगठित क्रांतिकारी कार्यवाही में विश्वास करने लगे। बम बनाने में सहायता देने के लिए इस एसोसिएशन ने यतीन्द्र नाथ दास को कलकत्ता से पंजाब भेजा।

सांडर्स की हत्या– 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध करने वाले पंजाब के प्रमुख नेता लाला लाजपतराय अंग्रेज स्कॉट द्वारा लाठी चार्ज में घायल हो गए। एक माह बाद उनकी मृत्यु हो गयी। इसका बदला लेने के उद्देश्य से 17 दिसम्बर 1928 को भगतसिंह, चन्द्रशेखर आजाद और राजगुरू ने लाहौर में स्कॉट को मारने का निश्चय किया किंतु धोखे में उसके सहायक सांडर्स की हत्या हो गई।

सांडर्स की हत्या के बाद हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन ने पोस्टर लगाए, जिन पर लिखा था "लाखों लोगों के चहेते नेता की एक सिपाही द्वारा हत्या पूरे देश का अपमान था। इसका बदला लेना भारतीय युवकों का कर्त्तव्य था। सांडर्स की हत्या का हमें दुःख है पर वह उस अमानवीय और अन्यायी व्यवस्था का एक अंग था, जिसे नष्ट करने के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं।" सांडर्स हत्याकांड के लिए ब्रिटिश सरकार ने 'लाहौर षड़यंत्र केस' चलाकर 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरू एवं सुखदेव को फाँसी दे दी।

केन्द्रीय विधानसभा बम कांड– केन्द्रीय विधानसभा में 8 अप्रैल 1929 को पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड यूनियन बिल पास हो रहा था। इसी समय भगतसिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली में केन्द्रीय विधानसभा के केन्द्रीय हॉल में खाली बेंचों पर बम फेंककर इन बिलों के विरूद्ध अपना विरोध जताया।

चन्द्रशेखर आजाद– इनका जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के भाबरा गाँव में हुआ। इनके पिता सीताराम तिवारी एवं माता जगरानी देवी थी। वे अपने घर को छोड़कर काशी आ गये और संस्कृत विद्यालय में पढ़ने लगे। इन्होंने बनारस में रहते हुए असहयोग आंदोलन में भाग लिया। पकड़े जाने पर जब मजिस्ट्रेट ने इनसे जानकारी माँगी तब इन्होंने अपना नाम 'आजाद', पिता का नाम 'स्वतंत्रता' एवं निवास स्थान 'कारागार' बताया। मजिस्ट्रेट ने इस बालक को 14 बेत की सजा सुनाई। बेंत पड़ते समय इन्होंने 'वन्देमातरम्' के नारे लगाए। वीरता के लिए बनारस में इनका अभिनन्दन किया गया। काकोरी ट्रेन लूट एवं सांडर्स हत्याकांड में आजाद ने भूमिका निभाई। इनके नेतृत्व में दिसम्बर 1930 में हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी ने दिल्ली के निकट वायसराय लार्ड इर्विन की रेलगाड़ी को बम से उड़ाने का प्रयास किया किंतु वायसराय इसमें बच गया।

27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में सुखदेव राज से बातचीत के समय इन्हें एक भेदिए ने पहचान लिया और पुलिस को सूचित कर दिया। पुलिस अधीक्षक

नाटबावर ने इन्हें घेर लिया। इन्होंने बड़ी वीरता से पुलिस का सामना किया। इन्होंने अपने पास आखरी गोली बची देख अपनी कनपटी पर गोली चलाकर मृत्यु को वरण किया। अंग्रेज सरकार आजाद को जीवित रहते हुए नहीं पकड़ सकी।

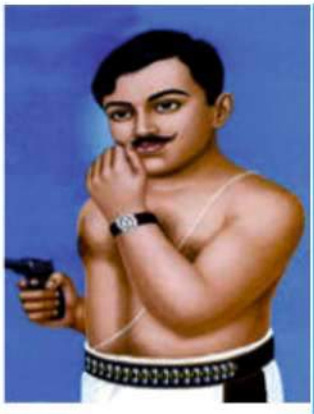

चन्द्रशेखर आजाद

भगत सिंह

भगत सिंह– भगत सिंह का जन्म 23 सितम्बर 1907 को पंजाब के लायलपुर जिले के बंगा नामक स्थान पर हुआ। इनके पिता का नाम किशन सिंह एवं माता का नाम विद्यावती देवी था।राष्ट्रभक्ति की भावना इन्हें विरासत में मिली थी। इनके चाचा अजीत सिंह एवं स्वर्णसिंह क्रांतिकारी थे और देश के लिए जेल जा चुके थे। अजीतसिंह लाला लाजपतराय के साथ मांडले जेल में रहे। जिस दिन अजीतसिंह जेल से छूटकर आए उसी दिन भगतसिंह का जन्म हुआ, इसलिए इनका नाम भाग्यवाला–भगतसिंह रखा गया। इन्होंने लाहौर के डी.ए.वी. कॉलेज में अध्ययन किया।

लाहौर में शचीन्द्र सान्याल से मिलने के बाद ये क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय हो गये। शचीन्द्र सान्याल ने इन्हें क्रांतिकारी गतिविधियों के प्रशिक्षण के लिए कानपुर भेजा। कानपुर में भगतसिंह ने गणेशशंकर विद्यार्थी के समाचारपत्र 'प्रताप' में 'बलवन्त' के नाम से क्रांतिकारी लेख लिखे। 1926 ई. में 'नौजवान सभा' का गठन कर क्रांतिकारियों से सम्पर्क किया।

भगतसिंह ने 'इंकलाब जिन्दाबाद' का नारा दिया। सांडर्स हत्याकांड एवं केन्द्रीय विधानसभा बमकांड में इनकी प्रमुख भूमिका थी। लाहौर षडयंत्र केस में भगतसिंह को राजगुरू एवं सुखदेव के साथ 23 मार्च 1931 को फाँसी पर चढ़ा दिया गया।

महाराष्ट्र के राजगुरू जब वीर सावरकर का भाषण सुनने के लिए काशी विश्वविद्यालय में गए थे तब इनकी भेंट भगतसिंह से हुई। इन्होंने शारीरिक शिक्षक के रूप में कार्य किया। सांडर्स हत्याकांड में भगतसिंह के साथ थे। सांडर्स को पहली गोली राजगुरू ने ही मारी थी। सुखदेव भगतसिंह के बचपन के साथी थे। भगतसिंह को क्रांतिकारी मार्ग पर लाने का श्रेय सुखदेव को जाता है। भगतसिंह अपने दल के नेता थे और सुखदेव उस दल के संगठनकर्ता।

भारत के विभिन्न भागों में क्रांतिकारी घटनाएँ होती रहीं। बंगाल के सूर्यसेन के नेतृत्व में पूर्वी बंगाल के चटगाँव के शस्त्रागार पर अप्रैल 1930 में क्रांतिकारियों ने हमला किया। इन्होंने शस्त्रागार को लूट लिया। सूर्यसेन पकड़े गये और इन्हे फाँसी की सजा दी गई।

राजगुरू

सुखदेव

आजाद हिन्द फौज

द्वितीय विश्वयुद्ध में दिसम्बर 1941 में जापानियों ने उत्तर मलाया में ब्रिटिश सेना को पराजित कर दिया। इसके बाद मलाया में केप्टन मोहन सिंह के मन में आजाद हिन्द फौज के गठन का विचार आया। ब्रिटिश भारतीय सेना के केप्टन मोहनसिंह ने भारतीय सैनिकों के साथ जापानी फौज के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था। फरवरी 1942 को सिंगापुर के पतन के बाद 40,000 भारतीय युद्ध बंदियों को जापानी मेजर फूजीहारा ने केप्टन मोहनसिंह को सौंप दिया।

23 जून 1942 को बैंकाक में रासबिहारी बोस की अध्यक्षता में 'भारतीय स्वतंत्रता लीग' की स्थापना की गयी। बैंकाक सम्मेलन में यह निश्चय किया गया कि भारतीय सैनिकों एवं पूर्व एशिया के भारतीय नागरिकों को लेकर भारतीय राष्ट्रीय सेना बनाई जाए। 1 सितम्बर 1942 को भारतीय युद्ध बंदियों को लेकर 'आजाद हिंद फौज' की स्थापना की गयी। इसकी पहली डिवीजन के गठन के साथ की नियमतः इसकी स्थापना 1 सितम्बर 1942 को हो गयी। रासबिहारी बोस द्वारा निमंत्रण मिलने पर सुभाषचंद्र बोस जर्मनी पनडुब्बी द्वारा जापान गए। जून 1943 में सुभाषचंद्र बोस जापान के टोक्यो पहुँचे। सुभाषचंद्र बोस ने टोक्यो रेडियो पर ब्रिटिश शासन के विरूद्ध सशस्त्र क्रांति की घोषणा की। सुभाषचंद्र बोस सिंगापुर पहुँचे, जहाँ 4 जुलाई 1943 को रासबिहारी बोस ने पूर्व एशिया में भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का नेतृत्व सुभाषचंद्र बोस को सौंप दिया। सुभाषचंद्र बोस 'भारतीय स्वतंत्रता लीग' के अध्यक्ष बने। सुभाषचंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर के कैथहाल में अस्थायी भारतीय सरकार की स्थापना की घोषणा की। जापान, जर्मनी, इटली, बर्मा, चीन, थाइलैंड, फिलीपींस, मंचूरिया आदि की सरकारों ने आजाद हिन्द की अस्थायी सरकार को मान्यता प्रदान कर दी। सुभाषचंद्र बोस ने जापान के सेनाध्यक्ष को इस बात के लिए सहमत कर लिया कि भारत–बर्मा सीमा पर आजाद हिन्द फौज भी जापानी सेना के साथ अंग्रेजी सेना के विरूद्ध युद्ध करेगी।

सुभाषचंद्र बोस ने आजाद हिन्द फौज के सैनिकों के समक्ष 'दिल्ली चलो' का नारा दिया। उन्होंने अपने भाषण में कहा "तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूँगा।" सुभाषचंद्र बोस ने महात्मा गांधी के लिए राष्ट्रपिता शब्द का प्रयोग किया। उन्होंने रेडियो पर गांधी जी को सम्बोधित करते हुए कहा "भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध प्रांरभ हो चुका है। राष्ट्रपिता भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएँ चाहते हैं।" आजाद हिन्द फौज का मुख्यालय रंगून एवं सिंगापुर में बनाया गया। गांधी, सुभाष एवं नेहरू ब्रिगेड बनायी गयी। झांसी रानी रेजीमेंट के रूप में महिलाओं का दल बनाया गया।

अंडमान एवं निकोबार टापुओं को अधिकार में लेकर आजाद हिन्द की अस्थाई सरकार ने अंडमान का नाम शहीद द्वीप एवं निकोबार का नाम स्वराज द्वीप रखा। इन द्वीपों पर भारत का झण्डा फहराया गया। आजाद हिन्द फौज के सैनिकों ने जापानी फौज के साथ कोहिमा पर कब्जा कर भारत का तिरंगा झंडा फहराया। आजाद हिन्द फौज इम्फाल तक पहुँच गयी। जून 1944 के बाद जापान आगे नहीं बढ़ सका और आजाद हिन्द फौज को रसद सामग्री, गोला बारूद एवं दवाइयों की कमी के कारण बहुत परेशानी उठानी पडी। अगस्त 1945 में जापान ने अपनी पराजय के बाद आत्मसमर्पण कर दिया। सुभाषचंद्र बोस 18 अगस्त 1945 को फारमोसा के ताईहोकू हवाई अड्डे से विमान से जैसे ही रवाना हुए विमान में आग लग गयी। जापानी सूत्रों के अनुसार सुभाष चंद्र बोस को घायल अवस्था में अस्पताल पहुँचाया गया।

जापान के युद्ध में पराजय के बाद आजाद हिन्द फौज के अधिकारियों एवं सैनिकों को गिरफ्तार कर युद्ध बंदी के रूप में भारत लाया गया। शहनवाज खां, गुरूदयाल सिंह ढिल्लो एवं कर्नल सहगल पर दिल्ली के लाल किले में मुकदमा चलाया गया। आजाद हिन्द फौज के अधिकारियों एवं सैनिकों की रिहाई के लिए देश में आंदोलन हुआ। भूलाभाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू, कैलाशनाथ काटजू, आसफ अली, जवाहर लाल नेहरू आदि ने बचाव पक्ष के वकील के रूप में न्यायालय में इन अधिकारियों के मुकदमें की पैरवी की । सैनिक न्यायालय ने इन अधिकारियों को मृत्युदंड की सजा दी। पूरे देश में इस निर्णय के विरूद्ध जनआंदोलन हो गया। भारतीय जनता की तीखी प्रतिक्रिया को देखते हुए तत्कालीन वायसराय लार्ड वेवल ने अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए इनकी सजा माफ कर दी।

आजाद हिन्द फौज के त्याग एवं बलिदान ने भारतीयों के मन में स्वतंत्रता की भावना को और तीव्र कर दिया। अब लोग शीघ्र स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते थे। आजाद हिन्द फौज के सैनिकों के बचाव के लिए चलाए जा रहे आंदोलन में विभिन्न वर्ग के लोग सम्मिलित हुए। राजनीतिक दलों के साथ व्यवसायी, भारतीय ब्रिटिश सैनिक, युवा आदि बहुत बड़ी संख्या में इनके बचाव के पक्ष में आ गए। छात्र कक्षा का बहिष्कार करने लगे। व्यवसायियों ने अपनी दुकानें बंद की। इसका प्रभाव ब्रिटिश नौ सेना एवं थल सेना पर भी पड़ा। फरवरी 1946 में बंबई की नौ सेना के विद्रोहियों ने आजाद हिन्द फौज के सिपाहियों को छोड़ने की माँग की। गुप्तचर ब्यूरो के निदेशक ने आजाद हिन्द फौज के सैनिकों को रिहा करने के लिए चलाए जा रहे आंदोलन के बारे में कहा "शायद ही कोई और मुद्दा हो जिसमें भारतीय जनता ने इतनी दिलचस्पी दिखाई हो और यह कहना गलत नहीं होगा कि जिसे इतनी व्यापक सहानुभूति मिली हो।"

सुभाषचन्द्र बोस– सुभाषचन्द्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ। इनके पिता जानकीदास एवं माता प्रभावती थी। इनकी प्रारम्भिक शिक्षा कटक में हुई। इन्होंने उच्च शिक्षा कलकत्ता विश्वविद्यालय से प्राप्त की। 1920 ई. में इन्होंने आई.सी.एस. की परीक्षा उत्तीर्ण की। आई.सी.एस. जैसी नौकरी छोड़कर इन्होंने देश सेवा का संकल्प लिया। इनके राजनीतिक गुरू देशबंधु चितरंजन दास थे, जिनके मार्गदर्शन में इन्होंने कार्य किया।

सुभाषचन्द्र बोस ने असहयोग आंदोलन में बड़ी सक्रियता से भाग लिया। दिसम्बर 1921 में इन्हें गिरफ्तार कर 6 माह की कैद की सजा सुनाई गयी। गांधी के असहयोग आंदोलन वापस लिए जाने पर इन्होंने दुःख व्यक्त किया। जब चितरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने 'स्वराज्य पार्टी' की स्थापना की तब इन्होंने स्वराज्य दल के विचारों का प्रचार किया। 1924 ई. में चितरंजनदास के कलकत्ता के महापौर बनने पर इन्हें कलकत्ता निगम का मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया गया। क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण अंग्रेज सरकार ने इन्हें गिरफ्तार कर

सुभाषचन्द्र बोस

लिया। इन्हें तीन वर्ष के लिए बर्मा के मांडले जेल में निर्वासित कर दिया। इन्होंने 1928ई. में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में नेहरू रिपोर्ट की औपनिवेशक स्वराज्य की माँग का विरोध किया और पूर्ण स्वाधीनता दिए जाने बात कही। सुभाषचन्द्र बोस कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन (1938ई.) में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। अगले वर्ष कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन (1939ई.) मे भी कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में इन्होंने महात्मा गांधी के प्रत्याशी पट्टाभिसीतारम्मैया को पराजित किया था। कांग्रेस कार्यकारिणी में गांधी के समर्थकों का बहुमत था। महात्मा गांधी

से सुभाषचन्द्र बोस के वैचारिक मतभेद थे। कांग्रेस की कार्यकारिणी से मतभेद होने पर सुभाषचन्द्र बोस ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। सुभाषचन्द्र बोस के इस्तीफा देने के बाद राजेन्द्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए। मई 1939 में सुभाषचन्द्र बोस ने नए दल 'फारवर्ड ब्लॉक' की स्थापना की। सुभाषचन्द्र बोस को आगामी तीन वर्षों के लिए कांग्रेस के किसी भी निर्वाचित पद के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया।

द्वितीय विश्व युद्ध में इन्होंने भारतीयों से अंग्रेजों को सहायता न देने की अपील की। वे भारत की स्वतंत्रता के लिए ब्रिटेन के विरोधी देशों से सैनिक सहायता प्राप्त करने के पक्षधर थे। 2 जुलाई 1940 को भारत सुरक्षा कानून के अन्तर्गत इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जेल में इन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया। इस पर इन्हें जेल से रिहा कर कलकत्ता के एलिगन रोड पर स्थित इनके घर पर कड़े पहरे के साथ नजरबंद कर दिया गया। 16 जनवरी 1941 को ये अंग्रेजों को चकमा देकर घर से निकल गए। ये पठान के वेश में छुपते हुए काबुल पहुँचे। वहाँ से रूस होते हुए जर्मनी के बर्लिन पहुँचे। जर्मनी में सुभाषचन्द्र बोस ने हिटलर से मुलाकात की। जर्मनी में इन्हें 'नेताजी' कहकर पुकारा गया। रासबिहारी बोस के निमंत्रण पर सुभाषचन्द्र बोस जापान पहुँचे और आजाद हिन्द फौज की कमान सम्भाली। जापानी सूत्रों के अनुसार वायुयान दुर्घटना में 18 अगस्त 1945 को इनकी मृत्यु हो गयी किन्तु इनकी मृत्यु को लेकर संशय की स्थिति बनी रही।

राजनैतिक आंदोलन
(1885–1907)

राष्ट्रवाद का उदय एवं विकास

उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में राष्ट्रीय भावना के विकास के परिणामस्वरूप राजनीतिक आंदोलन का सूत्रपात हुआ। भारतीयों ने राजनीतिक आंदोलन के माध्यम से अंग्रेजी सत्ता से मुक्ति प्राप्त करने के लिए एक लंबा संघर्ष किया। अंग्रेजी शासन काल में भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना के उदय के निम्न कारण थे–

शोषणकारी आर्थिक नीति– आधुनिक भारतीय राष्ट्रवाद का उदय विदेशी प्रभुत्व को चुनौती देने के रूप में हुआ। अंग्रेजी शोषणकारी आर्थिक नीतियों से भारतीय कृषि, परंपरागत उद्योग एवं हस्तशिल्प नष्ट होने लगे। भारतीय समाज के आर्थिक ढाँचे में परिवर्तन आने लगा। सर्वप्रथम यह परिवर्तन भूमि एवं कृषि व्यवस्था में आया। गाँवों की आत्मनिर्भरता को समाप्त किया गया। भूमि कर या लगान की राशि अधिक थी। कृषि का वाणिज्यीकरण किया गया। अब किसानों पर विशेष प्रकार की फसलें रुई, जूट आदि उत्पादित करने के लिए दबाव डाला जाने लगा। जंगल कानून अधिकार पारित कर चारागाहों एवं जंगल की भूमि के उपयोग करने के अधिकार छीन लिए गए। ब्रिटेन के व्यापारियों के हित में भारतीय उद्योग धंधों को नष्ट किया जाने लगा। ब्रिटिश नीति के परिणामस्वरूप सबसे पहले भारत का वस्त्र उद्योग नष्ट हुआ। ब्रिटेन ने अपने उद्योगों के लिए भारत को कच्चे माल उत्पादक देश के रूप में परिवर्तित किया। अंग्रेजों ने ब्रिटेन के कारखानों में बनी वस्तुओं की खपत के लिए भारत का एक मंडी के रूप में उपयोग किया। भारतीय हस्तकार एवं शिल्पी बर्बाद होने लगे। ब्रिटेन के पूंजीपतियों ने चाय बागान, कोयला खानों, रेलवे, बैकों आदि में अपनी पूँजी लगाई। स्वदेशी उद्योगों के पतन से भारत की गरीबी में वृद्धि हुई।

अंग्रेजी शासन में भारतीय समाज में नए वर्ग का उदय हुआ। अंग्रेजों की शोषण नीति से इस वर्ग के आर्थिक, राजनीतिक एवं सामाजिक हितों का एकीकरण हुआ। मजदूर, पूँजीपति, व्यापारी, बुद्धिजीवी मध्यम वर्ग आदि में राष्ट्रीय चेतना जागृत हुई।

प्रशासनिक एकीकरण– अंग्रेजी सरकार ने अपने हितों के लिए एक समान कानून एवं एक प्रकार की न्याय व्यवस्था स्थापित की। एकीकृत प्रशासनिक व्यवस्था से भारतीय लोगों में पारस्परिक संपर्क बढ़ा। इसके परिणामस्वरूप भारतीयों में राष्ट्रीय भावना का विकास हुआ।

यातायात एवं संचार के साधनों का विकास– रेलवे, मोटर और आवागमन के अन्य आधुनिक साधनों ने सामाजिक स्तर पर भारतीयों को एक सूत्र में बाँधने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आवागमन के साधन अंग्रेजी साम्राज्य की सुरक्षा के माध्यम थे किन्तु इसने भारतीयों को राजनीतिक आंदोलन के लिए संगठित करने का कार्य किया। तार, डाक आदि संचार के साधनों ने विचार के आदान–प्रदान एवं राजनीतिक आंदोलनों के कार्यक्रम निश्चित करने में सहायता प्रदान की।

प्रेस एवं साहित्य की भूमिका– प्रेस ने राष्ट्रीय चेतना के उदय में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसने लोगों को राजनीतिक शिक्षा प्रदान दी। आर्थिक एवं राजनीतिक विचारों का प्रचार किया। ब्रिटिश सरकार की शोषणकारी नीतियों एवं कार्यवाहियों की आलोचना की। अंग्रेजों के दुर्व्यवहार, भारतीयों के साथ जातीय भेदभाव आदि के समाचार मुख्य रूप से समाचार पत्रों में छपने लगे। समाचार पत्रों के माध्यम से जनता के मध्य जनतंत्र, प्रतिनिधि सरकार, स्वाधीनता आदि विचारों का प्रचार हुआ। संवाद कौमुदी, सोमप्रकाश, हिन्दू पेट्रियट, अमृत बाजार पत्रिका, बंगाली, हिंदू आदि राष्ट्रवादी विचारों का प्रसार करने वाले समाचार पत्रों का प्रकाशन हुआ।

देशभक्तिपूर्ण साहित्य ने राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने में प्रमुख भूमिका निभाई। आधुनिक हिंदी के पिता भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 1876 में 'भारत दुर्दशा' नामक नाटक में अंग्रेजी शासन में भारत की दुर्दशा का दर्शाया। उर्दू में अल्ताफ हुसैन हाली, बंगला में बंकिमचंद्र चटर्जी, मराठी में विष्णु शास्त्री चिपलुणकर आदि ऐसे राष्ट्रवादी साहित्यकार हुए जिनकी रचनाओं ने राष्ट्रवादी भावना को जागृत किया।

सामाजिक–धार्मिक सुधार आंदोलन– राजा राममोहन राय के ब्रह्म समाज, दयानंद सरस्वती के आर्य समाज एवं स्वामी विवेकानंद के रामकृष्ण मिशन ने भारतीय समाज में व्याप्त रूढ़ियों

को समाप्त कर सामाजिक रूप से भारतीयों को एक करने का प्रयास किया। भारतीय संस्कृति के गौरव को उजागर कर आत्मसम्मान की भावना का विकास किया। इन सुधार आंदोलनों ने भारतीयों में राष्ट्रवादी भावना उत्पन्न की।

जातीय भेदभाव– ब्रिटिश सरकार एवं अंग्रेजों की जातीय भेद की नीति के कारण भारतीयों के मन में अंग्रेजों के प्रति घृणा की भावना भर गयी। यह अधिकांश देखने में आता था कि रेल के एक ही डिब्बे में अंग्रेज भारतीयों को अपने साथ यात्रा करने की अनुमति नहीं देते थे। भारतीय यूरोपीय लोगों के क्लब में नहीं जा सकते थे।

आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा– पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त भारतीयों ने यूरोपीय राष्ट्रों के समसामयिक राष्ट्रवादी आंदोलनों का अध्ययन किया। वे मैजिनी, गैरीबाल्डी जैसे नेताओं के कार्यों से प्रभावित हुए। बर्क, मिल आदि के विचारों से परिचित हुए और एक मजबूत एवं एकताबद्ध भारत को बनाने का प्रयास करने लगे।

लार्ड लिटन की नीति– गवर्नर जनरल लार्ड लिटन के कार्यों ने भारतीयों में असंतोष की भावना भर दी। इसने 1877 ई. में भयंकर अकाल के समय भव्य 'दिल्ली दरबार' का आयोजन किया, जिसमें ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया। 1878 ई. के वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट द्वारा भारतीय समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाया गया। 1878 ई. में शस्त्र एक्ट द्वारा भारतीयों के शस्त्र रखने पर प्रतिबंध लगाया गया।

इल्बर्ट बिल विवाद– लार्ड रिपन के समय 1883 ई. में उसकी परिषद के विधि सदस्य पी.सी. इल्बर्ट ने एक विधेयक प्रस्तुत किया, जिसे इल्बर्ट बिल कहा गया। इस प्रस्ताव में भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपियनों के मुकदमों का निर्णय का अधिकार दिए जाने का प्रावधान था किंतु यूरोपियनों के विरोध के कारण यह बिल पारित नहीं हो पाया।

विभिन्न संस्थाओं की स्थापना– ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, पूना सार्वजनिक सभा, इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, बंबई प्रेसीडेंसी एसोसिएशन, इंडियन नेशनल कांग्रेस आदि ऐसी संस्थाओं की स्थापना हुई, जिसने राजनीतिक चेतना को जागृत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

1885 के पूर्व की स्थिति एवं विभिन्न संगठन

19 वीं सदी में सामाजिक–धार्मिक सुधारवादी संगठनों के साथ ही कई राजनीतिक संगठनों का गठन हुआ। ये संगठन वर्गीय हितों के आधार पर गठित हुए। जमींदारों, व्यापारियों एवं शिक्षित मध्यम वर्ग ने अपने वर्ग के हितों के लिए विभिन्न संगठनों की स्थापना की। इन संगठनों ने राजनीतिक चेतना के उदय एवं विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

लैंड होल्डर्स सोसायटी– लैंड होल्डर्स सोसायटी की सीपना 1838 ई. में कलकत्ता में हुई। यह मूलतः जमींदार वर्ग का संगठन था। यह यूरोप के बुर्जुआ वर्ग के संगठनों की भाँति भारत का पहला राजनीतिक संगठन था। इसके प्रमुख सदस्यों में प्रसन्न कुमार ठाकुर, राधाकांत देव, द्वारकानाथ ठाकुर आदि थे। जब लंदन में 1839 ई.में ब्रिटिश इंडिया सोसायटी की स्थापना हुई तब लैंड होल्डर्स सोसायटी ने उससे संबंध स्थापित कर लिया। इन्होंने ब्रिटिश संसद में अपनी बात को रख कर ब्रिटिश जनमत को अपने पक्ष में करने का प्रयत्न किया।

बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसायटी– बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसायटी की स्थापना 20 अप्रैल 1943 को कलकत्ता में हुई। इसके अध्यक्ष जार्ज थांपसन एवं सचिव प्यारीचंद्र मित्र थे। यह भी लैंड होल्डर्स सोसायटी के समान ही भारतीयों एवं गैरसरकारी अंग्रेजों का संगठन था। इसमें उच्च मध्यम वर्गीय लोग थे। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसायटी के मंच से ही भारतीयों ने राजनीतिक शिक्षा का पहला पाठ पढ़ा।

ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन– इसकी स्थापना 1851 ई. में हुई। इसके अध्यक्ष राधाकांत देव एवं सचिव देवेन्दनाथ ठाकुर थे। यह नव भारतीय जमींदारों का संगठन था। इसे व्यापक रूप देने के लिए इसमें व्यापारी एवं नवीन बुद्धिजीवियों को स्थान दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर का नवीनीकरण 1853 ई. में होना था। इसने अखिल भारतीय स्तर पर चार्टर आंदोलन चलाने का प्रयास किया। तीनों प्रेसीडेंसियों में संगठन बनाकर स्मृति पत्र दिए गए। इस संस्था ने भारत के प्रशासन में भारतीयों को सम्मिलित करने की माँग की। इसने ब्रिटिश संसद से माँग की कि ऐसी संस्थाओं की स्थापना की जाए जो विधानसभाओं का कार्य करे और इनमें भारतीयों के प्रतिनिधि हो। इस एसोसिएशन के प्रमुख प्रसिद्ध सदस्यों में व्योमेश चंद्र बनर्जी (जो बाद में कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बने), रमेशचंद्र दत्त (बाद में कांग्रेस अध्यक्ष बने), मनमोहन घोष (कलकत्ता हाई कोर्ट के प्रथम भारतीय बैरिस्टर) आदि थे।

ईस्ट इंडिया एसोसिएशन– इसकी स्थापना लंदन में 1 दिसम्बर 1866 को दादाभाई नौरोजी द्वारा की गयी। इसका उद्देश्य उचित उपायों द्वारा भारत की भलाई करना था। यह ब्रिटिश जनता और संसद को भारतीय विषयों की जानकारी देती थी। 1873 ई. में जब दादाभाई नौरोजी बड़ौदा के दीवान बनकर भारत आ गए तब अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारियों ने इस संस्था पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। दादाभाई नौरोजी भारत के पहले आर्थिक विचारक थे। उन्होंने अपने लेखन द्वारा सिद्ध किया कि भारत की गरीबी का कारण अंग्रेजों द्वारा भारत का शोषण एवं यहाँ का धन ब्रिटेन भेजना था। दादाभाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक 'पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया' में बताया कि भारत के धन का निष्कासन किस प्रकार इग्लैंड में हुआ। इन्हें 'भारत का पितामह' (ग्रैंड ओल्ड मेन ऑफ इंडिया) कहा जाता है। ये कांग्रेस के तीन बार अध्यक्ष रहे।

पूना सार्वजनिक सभा– इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1870 को हुई। इसके संस्थापक गणेश वासुदेव जोशी थे, जो इसके सचिव थे। इसके सक्रिय सदस्यों में एस. एच. साठे, एस.एच.चिपलूणकर एवं महादेव गोविंद रानाडे थे। इसका उद्देश्य सरकार एवं जनता के बीच मध्यस्थ का कार्य करना था। इसे पश्चिम भारत के प्रगतिशील लोगों का प्रमुख संगठन माना जाता था। पूना सार्वजनिक सभा ने बंबई प्रेसीडेंसी में राजनीतिक चेतना का विकास कर जनता को संगठित किया। इस संस्था के सदस्य अपनी सभाओं में देश की दयनीय दशा का चित्र लोगों के सामने

रखकर उससे उबरने के उपाय बताते थे। इनकी सभाओं में कीर्तन करने वाला दल देश प्रेम के गाने गाता था।

इंडियन लीग– इंडियन लीग की स्थापना 25 सितम्बर 1875 को कलकत्ता में शिशिर कुमार घोष ने की। शिशिर कुमार घोष 'अमृत बाजार पत्रिका' के संपादक एवं मालिक थे। इसके अस्थायी अध्यक्ष शंभूचंद्र मुखर्जी थे। इस संस्था का उद्देश्य लोगों में राष्ट्रीयता की भावना जगाना और राजनीतिक शिक्षा देना था।

इंडियन एसोसिएशन– इसकी स्थापना कलकत्ता में 26 जुलाई 1976 को सुरेन्द्रनाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस ने की। यह संस्था संपूर्ण भारत को संगठित कर एक मोर्चा बनाना चाहती थी। एक अखिल भारतीय संगठन बनाने के उद्देश्य से ही इसका नाम इंडियन एसोसिएशन रखा गया।इसके प्रमुख उद्देश्य निम्न थे– देश में एक सशक्त राष्ट्रीय जनमत के निर्माण के लिए प्रयत्न करना, सभी भारतीयों को सामूहिक राष्ट्रीय भावना और राजनीतिक हितों के आधार पर एक करने का प्रयत्न करना, हिन्दू और मुस्लिमों के मध्य मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध बनाने का प्रयत्न करना, राजनीतिक आंदोलनों में जनसाधारण को सम्मिलित करना ।

इस संगठन ने वायसराय लिटन द्वारा सिविल सेवा की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष किए जाने, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट (1878 ई.) एवं शस्त्र कानून (1878 ई.) बनाये जाने के विरूद्ध आंदोलन किया। लार्ड रिपन के समय के इलबर्ट बिल के संबंध में चले आंदोलन में इस संगठन की प्रमुख भूमिका थी। जज की आलोचना के बाद सरकार ने मई 1883 में सुरेन्द्र नाथ बनर्जी को गिरफ्तार कर लिया था। उन्हें दो महीने बाद 4 जुलाई 1883 में रिहा किया गया।

मद्रास महाजन सभा– 16 मई 1884 को मद्रास महाजन सभा की स्थापना हुई। पी. रंगिया नायडू इसके अध्यक्ष और वी.राघवाचारी तथा आनंद चार्लू सचिव थे। यह मद्रास प्रेसीडेंसी की केन्द्रीय राजनीतिक संस्था बन गयी। मद्रास महाजन सभा ने विधानपरिषदों में सुधार, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, सरकारी ढाँचे में परिवर्तन, किसानों की समस्याओं आदि पर अपने सम्मेलन में विचार–विमर्श किया।

बंबई प्रेसीडेंसी एसोसिएशन– 31 जनवरी 1885 को बंबई प्रेसीडेंसी की स्थापना हुई। बंबई के नागरिकों की एक सभा सर जमरोद जीजा बाई की अध्यक्षता में बुलाई गयी,जिसमें इस संस्था के गठन की घोषणा की गयी। काशीनाथ त्र्यंबक तैलंग, बदरूद्दीन तैयबजी एवं फिरोजशाह ने इसके निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाई। इसने बंबई प्रेसीडेंसी में जनजागृति का कार्य किया।

इंडियन नेशनल कांफ्रेस– इंडियन एसोसिएशन ने देश के विभिन्न एसोसिएशन एवं व्यक्तियों को लेकर 29–30 दिसम्बर 1883 को रामतनु लाहिडी की अध्यक्षता में कलकत्ता के अल्बर्ट हॉल में राष्ट्रीय सम्मेलन किया। इसमें बंगाल के अतिरिक्त अहमदाबाद, मद्रास और उत्तर भारत के प्रतिनिधि सम्मिलित थे। इस प्रकार एक संयुक्त अखिल भारतीय राष्ट्रीय संगठन की स्थापना की दिशा में यह प्रथम प्रयास था। इस सम्मेलन में सिविल सर्विस की परीक्षा भारत में लिए जाने एवं इसमें बैठने की आयु सीमा बढ़ाने, भारत में प्रतिनिधि विधानसभाओं की स्थापना करने आदि के संबंध में चर्चा हुई। द्वितीय इंडियन नेशनल कांफ्रेस कलकत्ता में 25–27 दिसम्बर को हुई। इसी समय ह्यूम ने इंडियन नेशनल कांग्रेस का सम्मेलन बंबई में रखा था। इस कारण सुरेन्द्रनाथ बनर्जी बंबई के 28–30 दिसम्बर के कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में सम्मिलित न हो सके।

कांग्रेस की स्थापना एवं उद्देश्य

कांग्रेस की स्थापना के पूर्व स्थापित विभिन्न राजनीतिक संगठनों ने भारत में राजनीतिक चेतना एवं राष्ट्रीयता की भावना के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। देश के विभिन्न भागों में विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं द्वारा चलाए जा रहे आंदोलनों को एकसूत्र में बाँधकर राष्ट्रीय आंदोलन को संगठित करने की भावना प्रबल होती जा रही थी। एक देशव्यापी संगठन की आवश्यता से कांग्रेस का जन्म हुआ।

ह्यूम ने 1 मार्च 1883 को कलकत्ता विश्वविद्यालय के स्नातकों के नाम एक पत्र लिखकर भारतीय जनता का एक राजनीतिक संगठन बनाने की अपील की। मई 1885 में ह्यूम वायसराय डफरिन से शिमला में मिले। उन्होंने डफरिन से कांग्रेस की स्थापना के पहले सलाह लेकर समर्थन प्राप्त किया। जुलाई 1885 में ह्यूम इंडियन नेशनल यूनियन के प्रतिनिधि के रूप में ब्रिटेन गए एवं राजनेताओं से बातचीत की। कांग्रेस की स्थापना के पूर्व इसका नाम 'इंडियन नेशनल यूनियन' रखना तय हुआ था। अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी एलेन अक्टावियन ह्यूम द्वारा उदारवादी बुद्धिजीवियों के सहयोग से दिसम्बर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गयी।

कांग्रेस का प्रथम सम्मेलन पूना में होना था। पूना में हैजा फैल जाने के कारण यह सम्मेलन बंबई में हुआ। कांग्रेस का प्रथम सम्मेलन 28 दिसम्बर 1885 को बंबई के ग्वालिया टैंक स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल में उमेशचंद्र बेनर्जी की अध्यक्षता में हुआ। इसमें 72 प्रतिनिधि सम्मिलित हुए। इनमें बंबई, मद्रास, बंगाल प्रेसीडेंसी, पंजाब, उत्तर पश्चिमी प्रदेश और अवध आदि के प्रतिनिधि थे। इंडियन नेशनल यूनियन के स्थान पर इसका नाम 'इंडियन नेशनल कांग्रेस' रखा गया। 'कांग्रेस' शब्द अमेरिका के इतिहास से लिया गया है जिसका अर्थ होता है 'लोगों का समूह'। कांग्रेस के प्रथम सम्मेलन में सम्मिलिन होने वाले प्रमुख नेता दादाभाई नौरोजी, फिरोजशाह मेहता, काशीनाथ तैलंग, दिनेश वाचा आदि थे। प्रारंभ में कांग्रेस ने उदारवादी दृष्टिकोण अपनाते हुए अपने सीमित लक्ष्य रखे। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इन्होंने वैधानिक आंदोलन का मार्ग अपनाया। इसने देश के विभिन्न भागों में राजनीतिक चेतना जागृत कर लोगों को राजनीतिक रूप से शिक्षित एवं संगठित करने का कार्य किया।

कांग्रेस के उद्देश्य– कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में अध्यक्ष डब्लू. सी.बनर्जी ने कांग्रेस के चार उद्देश्य बताए–

1. देशहित के लिए कार्य करने वाले विभिन्न भागों के भारतीयों के बीच व्यक्तिगत संपर्क एवं मित्रता स्थापित करना।
2. देशप्रेमियों के बीच जाति, धर्म या प्रांतीय विद्वेष को मिटाना और राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित एवं दृढ़

करना।

3. महत्वपूर्ण राजनीतिक एवं सामाजिक प्रश्नों पर भारत के शिक्षित वर्ग के मत को व्यक्त करना।
4. उन नीतियों एवं उपायों को निर्धारित करना जो आगे के वर्ष में सार्वजनिक हित के लिए राजनीतिज्ञों के लिए आवश्यक हो।

काँग्रेस की प्रमुख माँगों में रॉयल कमीशन की नियुक्ति, विधायिका सभा या कौंसिलों में अधिक संख्या में चुने हुए प्रतिनिधि लिए जाएँ, उत्तर पश्चिम प्रदेश एवं पंजाब में ऐसी कौंसिलें बनाई जाएँ, इन कौंसिलों को बजट पर बहस करने का अधिकार दिया जाएँ, सिविल सर्विस की परीक्षा ब्रिटेन के साथ भारत में भी आयोजित की जाएँ, सेना के खर्च में कमी की जाएँ आदि थीं। कांग्रेस द्वारा स्वीकृत प्रस्तावों का समर्थन करने का अनुरोध देश के विभिन्न राजनीतिक संगठनों से किया गया। काँग्रेस का दूसरा अधिवेश 28 दिसम्बर 1886 को कलकत्ता में करने का निश्चय किया गया। ए.ओ. ह्यूम कांग्रेस के महासचिव चुने गए। काँग्रेस के प्रथम अधिवेशन का समापन करते हुए ए. ओ. ह्यूम ने ब्रिटिश साम्राज्ञी विक्टोरिया की प्रशंसा की। यदि ह्यूम ने शिक्षित भारतीयों के बढ़ते असंतोष को रोकने के लिए कांग्रेस का 'सुरक्षा वाल्व' (safty valve) के रूप में उपयोग कहना चाहा तो उदारवादी बुद्धिजीवी कांग्रेसी नेताओं ने अंग्रेजी प्रहार से बचने के लिए इसे तड़ित चालक (lightning conductor) के रूप में उपयोग करने का प्रयास किया।

काँग्रेस के प्रथम अधिवेशन में भारत के विभिन्न वर्ग के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कांग्रेस प्रतिवर्ष दिसम्बर में देश के विभिन्न स्थानों पर अपने अधिवेशन करने लगी। कलकत्ता में हुए काँग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता दादाभाई नौरोजी ने की। मद्रास में 1887 ई. में हुए काँग्रेस के तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता बदरूद्दीन तैयबजी ने की। ये काँग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। 1888 ई. में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष जार्ज यूल थे। ये काँग्रेस के पहले यूरोपीय अध्यक्ष थे। 1889 ई. में काँग्रेस के बंबई अधिवेशन में अध्यक्ष विलियम वेडनबर्न बने।

1885 ई. से 1907 ई. तक की कार्यप्रणाली

उदारवादी युग (1885ई. से 1905ई.)– काँग्रेस के 1885 से 1905 तक के युग को उदारवादी युग कहा गया। इस काल में उदारवादी भारतीय नेताओं का दृष्टिकोण सुधारवादी था। इन्होंने संवैधानिक तरीके से अपनी माँगों को ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखा। अपनी माँगों को इन्होंने प्रार्थनाओं, स्मृतिपत्रों आदि के माध्यम से ब्रिटिश सरकार के सामने प्रस्तुत किया। उनका उद्देश्य बड़ी संख्या में भारतीय जनता को राष्ट्रवादी राजनीति की धारा में लाना था। वे भारतीयों को राजनीतिक रूप से शिक्षित कर जनजागृति लाना चाहते थे। उनका मानना था कि भारत एवं ब्रिटेन दोनों स्थानों पर भारतीय जनता की माँगें न्यायसंगत बताकर ब्रिटिश शासकों की सहानुभूति प्राप्त कर सके है और उन्हें न्याय प्राप्त हो सकता है। इस संबंध में काँग्रेस ने अपने विभिन्न प्रतिनिधिमंडल ब्रिटेन भेजे। इन प्रतिनिधिमंडलों ने ब्रिटिश संसद एवं ब्रिटिश जनता को भारतीयों की मांगों के औचित्य के बारे में बताया।

इस काल में काँग्रेस ने सरकार से विरोध करने की नीति नहीं अपनाई। इस समय के उदारवादी नेताओं का मानना था कि अंग्रेजी सरकार से सीधा संघर्ष करना अभी व्यावहारिक नहीं है। काँग्रेस के प्रमुख उदारवादी नेताओं में दादाभाई नौरोजी, गोपालकृष्ण गोखले, सुरेन्द्रनाथ बनर्जी, फिरोजशाह मेहता, दिनेश वाचा आदि थे। उदारवादियों ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद के आर्थिक पहलू की कड़ी आलोचना की और भारतीय जनता में आर्थिक चेतना जागृत की। कृषि, व्यापार एवं उद्योग आदि के क्षेत्र में अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे आर्थिक शोषण को उजागर किया। भारत के आर्थिक पिछड़ेपन एवं गरीबी का कारण अंग्रेजों द्वारा भारत का आर्थिक शोषण करना बताया। उदारवादियों ने माँग की कि राष्ट्रीय आर्थिक नीति इंग्लैंड के हितों के आधार पर नहीं बनानी चाहिए बल्कि भारत के हितों के आधार पर बननी चाहिए। इन्होंने औपनिवेशिक साम्राज्यवादी आर्थिक नीति के विरूद्ध एक आंदोलन खड़ा किया गया। भारत का आधुनिक ढंग से औद्योगिकीकरण, भारतीय उद्योगों का संरक्षण,भू राजस्व को कम करना, सिंचाई सुविधाओं का प्रसार करने आदि की माँग की। औद्योगिक प्रदर्शनियाँ लगाना काँग्रेस के कार्यक्रम का एक भाग बन गया।

दादाभाई नौरोजी

फिरोजशाह मेहता

उदारवादियों ने प्रशासनिक सुधार से संबंधित कई मांगें रखी। इन मांगों में लोक सेवाओं में भारतीयों की नियुक्ति, लोक सेवाओं का भारतीयकरण करना, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के कार्यों का पृथक्करण, शस्त्र कानून को हटाना, सेना संबंधी खर्चों में कमी करना आदि प्रमुख थीं। इस काल में उदारवादी संवैधानिक तरीके से विधायी परिषदों में सुधार की मांग उठाते रहे। ब्रिटिश सरकार द्वारा 1892 ई. का अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम द्वारा केन्द्र एवं प्रांतीय विधायी परिषदों में भारतीय सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गयी। एक प्रकार से अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की व्यवस्था की गयी। सदस्यों को प्रश्न पूछने एवं बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया। भारतीय 1892 के अधिनियम से संतुष्ट नहीं थे और उन्होंने अधिक अधिकार दिए जाने की माँग उठाई।

उदारवादी भाषण की स्वतंत्रता, विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता आदि नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए प्रयत्नशील रहे। इस काल में काँग्रेस को अधिक सफलता नहीं मिल पाई। फिर भी उन्होंने भारतीयों को

सामान्य राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक हितों के प्रति जागरूक किया। जनता को राजनीतिक कार्य के लिए प्रशिक्षित किया। जनतंत्र, नागरिक स्वतंत्रता एवं राष्ट्रवादी विचारों को जनता तक पहुँचाया।

ब्रिटिश सरकार की काँग्रेस के प्रति नीति– 1886 ई. में वायसराय डफरिन ने काँग्रेस के प्रतिनिधियों के लिए कलकत्ता में स्वागत समारोह किया। 1888 ई. में काँग्रेस के स्वरूप के बदलने से ब्रिटिश सरकार कांग्रेस के प्रति शंकालु हो गयी। डफरिन ने 1888 ई. में काँग्रेस को भारतीय जनता के बहुत सूक्ष्म भाग का प्रतिनिधि बताया। वायसराय कर्जन काँग्रेस को समाप्त करना चाहता था। 1900 ई. में लार्ड कर्जन ने भारत सचिव को लिखा ''काँग्रेस धीरे–धीरे लड़खड़ाकर गिर रही है और भारत में रहते हुए मेरी बहुत बड़ी आकांक्षा है कि मैं इसकी शांतिपूर्ण मृत्यु में सहायक बनूं।''

राष्ट्रवादी आंदोलन के विकास एवं भारतीयों में बढ़ती एकता की भावना से ब्रिटिश सरकार चिंतित होने लगी। अंग्रेजों ने 'फूट डालो एवं राज करो' की नीति का अनुसरण किया। सर सैयद अहमद खाँ एवं अन्य ब्रिटिश समर्थकों को काँग्रेस विरोधी आंदोलन प्रारंभ करने के लिए प्रोत्साहित किया। हिंदुओं एवं मुस्लिमों के बीच फूट डालने का प्रयास किया। सर सैयद अहमद खां ने 'यूनाइटेड पैट्रियाटिक एसोसिएशन' नामक संगठन के माध्यम से काँग्रेस विरोधी लोगों को एक मंच पर लाकर ब्रिटिश सरकार के पक्ष में खड़ा किया।

बंगाल विभाजन

वायसराय लार्ड कर्जन ने राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए 1905 ई. में बंगाल को विभाजित कर दिया। उस समय बंगाल में वर्तमान के पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा एवं वर्तमान बांग्लादेश के क्षेत्र सम्मिलित थे। इनका क्षेत्रफल लगभग 1,89,000 वर्ग मील एवं जनसंख्या लगभग 8 करोड़ थी।

लार्ड कर्जन ने बंगाल को बड़ा प्रांत बताते हुए प्रशासनिक सुविधा के लिए इसके दो भाग किए जाने की आवश्यकता बताई। उस समय बंगाल राष्ट्रीय आंदोलन का केन्द्र बन गया था। अंग्रेज बंगाल में राष्ट्रवाद के प्रसार को रोकना चाहते थे। बंगाल संपूर्ण देश के राजनीतिक आंदोलन का केन्द्र बनता जा रहा था। साम्राज्यवादी लार्ड कर्जन ने अंग्रेजों की अपनी 'फूट डालो और राज करो' की नीति को अपनाते हुए हिन्दू एवं मुस्लिमों के बीच वैमनस्य पैदा करने का प्रयास किया। उसने मुस्लिम बहुल पूर्व बंगाल को हिन्दू बहुल शेष बंगाल से पृथक् कर दिया। भारत सरकार के गृह सचिव रिसले ने लिखा था ''एकजुट बंगाल अपने–आप में एक शक्ति है बंगाल अगर विभाजित हो तो सभी भागों की दिशाएँ अलग–अलग होगी।''

सरकार ने अपनी बंगभंग योजना 19 जुलाई 1905 को आमजन के समक्ष प्रस्तुत की। 16 अक्टूबर 1905 को यह योजना लागू कर दी गयी। मुस्लिम बहुल ढाका, चटगांव और राजशाही डिवीजनों को बंगाल से पृथक किया गया और इन्हें असम के साथ मिलाकर नया प्रांत पूर्व बंगाल बनाया गया। इस प्रकार मुस्लिम बहुल पूर्व बंगाल का गठन किया गया। इसकी राजधानी ढाका रखी गयी। शेष हिन्दू बहुल हिस्सा बंगाल बना रहा एवं इसकी राजधानी कलकत्ता ही रही।

बंग भंग विरोधी आंदोलन– बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन 7 अगस्त 1905 को आरंभ हुआ। इस दिन कलकत्ता के टाउन हाल में विभाजन के विरूद्ध एक विशाल जनसभा हुई। इस सभा में बंग भंग के विरूद्ध प्रस्ताव पारित किए गए। बंग भंग के विरूद्ध तब तक आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया जब तक बंग भंग की योजना रद्द नहीं की जाती।

28 सितम्बर 1905 को कलकत्ता के प्रसिद्ध कालीघाट मंदिर पर 50,000 से भी अधिक लोग एकत्र हुए। विराट पूजा के बाद मंदिर के पुरोहितों ने आह्वान किया कि ''सब देवताओं से पहले मातृभूमि की पूजा करो। संकीर्णता, सारे धार्मिक मतभेदों, कटुता और स्वार्थपरता को छोड़ दो, सब लोग मातृभूमि की सेवा करने की सौगंध लो और उसके कष्टों को दूर करने में अपना जीवन लगा दो।'' मंदिर में एकत्र लोगों ने जहाँ तक हो सके विदेशी वस्तुओं के प्रयोग नहीं करने की प्रतिज्ञा ली।

विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को लागू किया गया। इस दिन पूरे बंगाल में 'शोक दिवस' मनाया गया। लोगों ने उपवास रखे। कलकत्ता में इस दिन हड़ताल रखी गयी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने 16 अक्टूबर को 'राखी दिवस' के रूप में मनाने का आह्वान किया। लोगों ने सड़कों पर वंदेमातरम् गीत गाते हुए प्रभात फेरियाँ निकालीं। लोग नंगे पैर गंगा में स्नान करने पहुँचे। बंगाल की एकता के प्रतीक के रूप में हिन्दू–मुसलमानों ने एक–दूसरे की कलाइयों पर राखी बाँधी। दोपहर में आनंद मोहन बोस ने 50,000 लोगों की सभा की अध्यक्षता करते हुए लोगों को सम्बोधित किया। जुलूस में रवीन्द्रनाथ टैगोर का गीत ''आमार सोनार बांग्ला'' बड़े जोश से गाया जाता था। यह गीत बाद में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बना।

आंदोलनकारियों ने बंगाल के गाँवों एवं शहरों में सभाएँ आयोजित कर बंग भंग योजना का विरोध किया एवं बहिष्कार आंदोलन का समर्थन किया। मोचियों एवं धोबियों ने विदेशी माल के बहिष्कार का मार्ग अपनाया। मैमनसिंह एवं फरीदपुर के मोचियों ने अंग्रेजों के जूतों की मरम्मत न करने का फैसला लिया। धोबियों ने विदेशी कपड़ों को धोने से इंकार कर दिया। वारीसाल में उड़िया रसोइयों ने सभा कर घोषणा की कि वे विदेशी माल का उपयोग करने वाले मालिकों के पास काम नहीं करेंगे। कई विद्यार्थियों ने परीक्षा देने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि उत्तरपुस्तिकाओं के लिए प्रयुक्त कागज विदेशी था। विद्यार्थियों ने विदेशी माल बेचने वाली दुकानों पर धरना दिया। विद्यार्थियों के समूह बाजार में घूम–घूमकर लोगों से विदेशी माल न खरीदने का अनुरोध करने लगे। अन्ततः सरकार ने 1911 ई. में बंगाल विभाजन रद्द कर दिया।

गरमपंथी राष्ट्रवादी आंदोलन का प्रारंभ

काँग्रेस के नरमपंथियों एवं गरमपंथियों में 1905 ई. से 1907 ई. के बीच मतभेद होने लगा। गरमपंथी स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन को बंगाल तक सीमित न रखकर इसे देश के अन्य भागों में भी पहुँचाना चाहते थे जबकि नरमपंथी इस आंदोलन को केवल बंगाल तक सीमित रखना चाहते थे।

1906 ई. के काँग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष

पद को लेकर विवाद हुआ। गरमपंथी बाल गंगाधर तिलक को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। दादाभाई नौरोजी के अध्यक्ष चुन लिए जाने से यह विवाद उस समय समाप्त हो गया। गरमपंथियों के प्रयास से कांग्रेस के 1906 ई. के कलकत्ता अधिवेशन में स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा एवं स्वशासन से संबंधित चार प्रस्ताव पारित हुए।

स्वदेशी आंदोलन– बंगभंग को लेकर हुए आंदोलन के परिणामस्वरूप बहिष्कार एवं स्वदेशी भारतीयों के लिए ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरूद्ध शक्तिशाली हथियार बन गए। बंबई, मद्रास एवं उत्तर भारत में स्वदेशी अपनाने, विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार एवं राष्ट्रीय शिक्षा लिए आंदोलन हुआ। स्वदेशी आंदोलन को शक्तिशाली बनाने के लिए अनेक स्वयंसेवी संगठनों एवं जनसमितियों का गठन किया गया। विदेशी कपड़े, चीनी, नमक आदि का बहिष्कार किया गया। विदेशी माल की दुकानों पर धरना दिया गया। विदेशी माल की दुकानों के मालिकों का बहिष्कार किया गया। विदेशी कपड़ों की होली जलाई गयी। विदेशी वस्तुओं को खरीदने वालों का सामाजिक बहिष्कार करते हुए कहा गया कि उनके साथ कोई भी खानपान न रखे, नाई उनका कोई काम न करें। लोगों को सरकारी अवैतनिक पदों से इस्तीफा देने एवं कौंसिलों से इस्तीफा देने को कहा गया। जनसभाओं में लोगों को स्वदेशी अर्थात भारतीय वस्तुओं के उपयोग करने की शपथ दिलाई गयी।

1906 ई. तक स्वदेशी आंदोलन शीघ्र ही देश के विभिन्न भागों में फैल गया। बंबई प्रेसीडेंसी में इसका नेतृत्व मुख्य रूप से बाल गंगाधर तिलक एवं एस. एम. परांजपे ने किया। पंजाब में जयपाल, गंगाराम, आर्य समाज के चंद्रिका दत्त एवं मुंशीराम (जो बाद में स्वामी श्रद्धानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए) आदि ने नेतृत्व किया। मद्रास प्रेसीडेंसी में इसका नेतृत्व सुब्रह्मण्यम अय्यर, पी. आनंद चार्लू एवं टी. एम. नायर जैसे प्रमुख नेताओं ने किया।

स्वदेशी आंदोलन की एक महत्वपूर्ण विशेषता आत्मनिर्भरता थी। इससे आर्थिक क्षेत्र में देशी उद्योगों को बढ़ावा मिला। अनेक कपड़ा मिलें, हैंडलूम उद्योग, राष्ट्रीय बैंक एव बीमा कंपनियों की स्थापना हुई। पी.सी. रॉय ने बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर की स्थापना की। प्रथम भारतीय औद्योगिक सम्मेलन रमेशचंद्र दत्त की अध्यक्षता में दिसम्बर 1905 में बनारस में हुआ। इसी वर्ष यहाँ कॉंग्रेस का वार्षिक अधिवेशन गोपालकृष्ण गोखले की अध्यक्षता में हुआ। इस आंदोलन के परिणामस्वरूप भारत में ब्रिटिश माल की खपत में बहुत कमी आयी।

राष्ट्रवादी साहित्य और पत्रकारिता का विकास हुआ। रवीन्द्रनाथ टैगोर, रजनीकांत सेन, डी.एल. राय आदि ने देशभक्ति के गीत लिखकर राष्ट्रीय भावना का विकास किया। इस आंदोलन में राष्ट्रीय शिक्षा का नारा दिया गया। बंगाल के विभिन्न जिलों में राष्ट्रीय स्कूल स्थापित किए गए। कलकत्ता में एक नेशनल कॉलेज खोला गया, जिसके प्राचार्य अरविंद घोष बने। राष्ट्रीय, साहित्यिक, वैज्ञानिक एवं तकनीकी शिक्षा देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना का निर्णय लिया गया। युवाओं एवं महिलाओं ने इस आंदोलन में अपना योगदान दिया। महिलाएँ सक्रियता के साथ जुलूसों एवं धरनों में सम्मिलित हुईं। वाजिद हुसैन, अब्दूल गफूर, लियाकत हुसैन आदि कई मुस्लिम नेताओं ने स्वदेशी आंदोलन में भाग लिया। स्वदेशी आंदोलन के समय सामाजिक उत्थान के कार्य किए गए। अश्विनी कुमार दत्त ने अपनी संस्था स्वदेशी बांधव समिति द्वारा बारीसाल में गाँवों के उत्थान का कार्यक्रम चलाया। छुआछूत, बाल विवाह आदि कुप्रथाओं को समाप्त करने के लिए जनता को जागृत किया गया।

राष्ट्रीय आंदोलन के बढ़ते प्रभाव से अंग्रेज सरकार चिंतित हो रही थी। अंग्रेज सरकार राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करने के लिए हिन्दुओं के विरूद्ध मुस्लिमों को खड़ा करने का प्रयास करने लगी। अलीगढ़ कॉलेज के प्राचार्य आर्चबोल्ड एवं तत्कालीन वायसराय लार्ड मिंटो के निजी सचिव डनलप स्मिथ के प्रयास से आगा खाँ के नेतृत्व में 36 मुसलमानों का प्रतिनिधिमंडल 1 अक्टूबर 1906 को वायसराय लार्ड मिंटो से मिला। इन्होंने माँग की कि प्रतिनिधि संस्थाओं में मुस्लिमों के राजनीतिक महत्व और साम्राज्य की रक्षा में उनकी देन के अनुरूप उनका स्थान होना चाहिए, न कि उनके समाज की जनसंख्या के आधार। विधान परिषदों के लिए मुस्लिम निर्वाचन मंडल स्थापित किए जाए। लार्ड मिंटो ने मुसलमानों के प्रतिनिधि मंडल के आवेदन की सराहना करते हुए उनकी माँगों को उचित बताया और इन्हें यथासंभव स्वीकार करने का आश्वासन दिया। इस आश्वासन के बाद सलीमुल्ला खाँ ने मुस्लिमों के एक संगठन के निर्माण की पहल की।

मुस्लिम लीग की स्थापना– 30 दिसम्बर 1906 को सलीमुल्ला खाँ ने ढाका में मुस्लिमों की एक सभा में मुस्लिम लीग का गठन किया। इस सभा में मुस्लिम लीग का गठन नवाब वकार उल मुल्क की अध्यक्षता में हुआ। इसका उद्देश्य ब्रिटिश सरकार का समर्थन करना एवं मुसलमानों के लिए सुविधाएँ प्राप्त करना था। यह कॉंग्रेस के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकना चाहती थी। मुस्लिम लीग ने 1905 ई. के बंगाल विभाजन का समर्थन किया। बंगभंग विरोधी एवं बहिष्कार आंदोलन का विरोध किया।

राजनैतिक आंदोलन (1907 ई.–1919 ई.)

कॉंग्रेस का सूरत अधिवेशन एवं कांग्रेस में फूट (1907 ई.)

कॉंग्रेस का अधिवेशन 1907 में नागपुर में प्रस्तावित था जो गरमपंथियों का गढ़ माना जाता था। बाद में इसका स्थान परिवर्तित करके सूरत कर दिया गया। दिसम्बर 1907 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन ताप्ती नदी के तट पर सूरत में हुआ। इस अधिवेशन में भी अध्यक्ष के पद को लेकर गरमपंथियों एवं नरमपंथियों में मतभेद उत्पन्न हो गया। गरमपंथी लाला लाजपत राय को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते थे किंतु लाला लाजपत राय के स्थान पर नरमपंथियों ने रासबिहारी घोष को अध्यक्ष बनवा दिया। गरमपंथी 1906 ई. के कलकत्ता अधिवेशन में पारित स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा एवं स्वशासन के प्रस्ताव को स्वीकार करने की गारन्टी चाहते थे। विवाद इतना बढ़ा कि

अधिवेशन में कुर्सियाँ फेंकी जाने लगी। अधिवेशन में किसी अज्ञात व्यक्ति ने मंच पर एक जूता फेंका जो फिरोजशाह मेहता और सुरेन्द्रनाथ को लगा। पांडाल में हंगामा हो गया। गरमपंथियों को कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया। इस प्रकार कांग्रेस दो दलों नरमदल एवं गरम दल में बँट गयी। इस फूट को रोकने की कोशिश तिलक ने की किंतु फिरोजशाह मेहता एवं उनके समर्थकों के अडियल रुख के कारण यह संभव नहीं हो पाया। ब्रिटिश सरकार ने अपनी 'फूट डालो और राज करो' की नीति का अनुसरण करते हुए गरमपंथियों का दमन किया और नरमपंथियों को अपने पक्ष में लाने का प्रयत्न किया। गवर्नर जनरल मिंटो ने भारत सचिव मार्ले को लिखा कि सूरत में कांग्रेस का पतन हमारी बहुत बड़ी जीत है। सूरत की फूट को एनीबेसेंट ने कांग्रेस के इतिहास की सबसे दुःखद घटना बताया।

गरमदल के प्रमुख नेता लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक एवं अरविंद घोष थे। ये लाल,बाल एवं

लाला लाजपत राय बाल गंगाधर तिलक विपिन चंद्र पाल

पाल के नाम से प्रसिद्ध हुए। गरमपंथियों के मुख्य नेता बाल गंगाधर तिलक पर 'केसरी' समाचार पत्र में सरकार के विरूद्ध लिखे गए लेख को आधार बनाकर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। 1908 ई. में उन्हें 6 वर्ष के लिए मांडले जेल भेज दिया गया। लाला लाजपत राय अमेरिका चले गए। विपिन चंद्र पाल ने अस्थायी रूप से राजनीति से संन्यास ले लिया। अरविंद घोष ने 'वन्दे मातरम्' समाचार पत्र के माध्यम से राष्ट्रीय विचारों का प्रचार किया। अरविंद घोष 1910 ई. में पांडेचेरी चले गए और राजनीति को त्याग धर्म का मार्ग चुन लिया।

लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक– तिलक ऐसे राष्ट्रवादी नेता थे, जिन्होंने जनता से निकट संबंध बनाकर उन्हें संगठित एवं सक्रिय करने का प्रयास किया। स्वराज्य प्राप्त करने के लिए उन्होंने संघर्ष का मार्ग अपनाया। लोग उन्हें 'लोकमान्य' कहते थे। तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। तिलक के पूर्वज पेशवा की सेवा में थे। तिलक ने कानून की शिक्षा प्राप्त की थी।

इन्होंने अपने मित्रों के सहयोग से 1880 ई. में पूना में न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना की। ये दक्कन एजुकेशन सोसायटी एवं फर्ग्युसन कॉलेज की स्थापना से संबंधित रहे। इन्होंने जनमत को जागृत करने के उद्देश्य से दो समाचार पत्र 'मराठा' (अंग्रेजी साप्ताहिक) एवं 'केसरी' (मराठी दैनिक) का प्रकाशन प्रारंभ किया। इन्होंने धार्मिक उत्सवों के माध्यम से जनता में राष्ट्रीयता की भावना का विकास किया एवं राजनीतिक शिक्षा प्रदान की। इस उद्देश्य के लिए उन्होंने 1893 ई. में 'गणेश उत्सव' एवं 1896 ई. में 'शिवाजी उत्सव' प्रारंभ कर लोगों को संगठित करने का कार्य किया। इन्होंने युवाओं के नैतिक एवं शारीरिक विकास के लिए अखाड़े, लाठी क्लब एवं गौहत्या विरोधी समितियाँ स्थापित की।

1897 ई. में इन्होंने प्लेग के समय अंग्रेज अधिकारियों के भारतीयों के घर में जबरन घुसने एवं उनके दुर्व्यवहार का समाचार अपने अखबार में छापा। 27 जून 1897 को दो प्लेग अधिकारी कमिश्नर रैंड एवं लेफ्टिनेंट एयर्स्ट की हत्या दामोदर एवं बालकृष्ण चापेकर भाइयों ने कर दी। नवयुवकों को भड़काने का आरोप लगाकर तिलक को गिरफ्तार कर लिया गया। सरकार विरोधी गतिविधियों का आरोप लगाते हुए राजद्रोह के अपराध के लिए उन्हें 18 माह के कारावास की सजा दी गयी।

तिलक कांग्रेस के गरम दल के नेता थे। वे स्वराज्य प्राप्ति के लिए याचना के मार्ग के स्थान पर संघर्ष का मार्ग अपनाने के पक्षधर थे। उन्होंने कहा "स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा।" तिलक ने स्वराज्य, स्वदेशी, बहिष्कार एवं राष्ट्रीय शिक्षा की बात कही। 1907 ई. में सूरत के अधिवेशन में कांग्रेस में फूट पड़ गयी और तिलक को कांग्रेस से पृथक् होना पड़ा। तिलक कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं रहे। उन्हें लोग भारत का 'बेताज बादशाह' कहते थे। अंग्रेजों ने कांग्रेस की फूट का लाभ उठाते हुए तिलक जैसे गरमपंथियों के प्रभाव को कम करने का प्रयास किया। 1908 ई. में उन्हें जब 6 वर्ष की कारावास की सजा देकर बर्मा के मांडले जेल भेज दिया गया तब जनता ने इसके विरोध में जुलूस निकाला। तिलक ने कहा "शायद ईश्वर को यही मंजूर था कि मेरे स्वतंत्र रहने की बजाय कष्टों के द्वारा ही मेरे जीवन के उद्देश्य की पूर्ति हो।"

माण्डले जेल में इन्होंने 'गीता रहस्य' नामक पुस्तक लिखी। इन्होंने 'आर्कटिक होम ऑफ द आर्यन्स' (Arctic home of the Aryans) नामक पुस्तक लिखी। तिलक 1914 ई. में माण्डले जेल से छूटे। उन्होंने कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग में हुए 1916 ई. के लखनऊ समझौते में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्होंने एनी बेसेंट के साथ मिलकर स्वशासन प्राप्त करने के लिए होमरूल आंदोलन चलाया। इंडिया अनरेस्ट (India Unrest) के लेखक वैलेंटाइन चिरोल द्वारा तिलक को 'भारतीय अशांति का जनक' बताने पर तिलक ने चिरोल के विरूद्ध मानहानि का मुकदमा दायर किया। इस उद्देश्य से वे लंदन भी गये। 1920 ई. में इनके निधन से पूरे भारत में शोक व्याप्त हो गया। इनकी अंतिम यात्रा में लगभग 5 लाख व्यक्ति सम्मिलित हुए।

बंगाल में बंगाल विभाजन के विरूद्ध हुए आन्दोलन के साथ कई क्रांतिकारी घटनाएँ हुईं। बंगाल में क्रांतिकारी संगठन 'अनुशीलन समिति' की स्थापना 1907 ई. में वारिन्द्र कुमार घोष एवं भूपेन्द्र दत्त के नेतृत्व में हुई। बंगाल में साधना समाज, शक्ति

समिति एवं युगान्तर समिति जैसी कई गुप्त समितियाँ स्थापित हो गई। युगान्तर एवं संध्या जैसी पत्रिकाओं ने सशस्त्र विद्रोह का प्रचार किया। 6 दिसम्बर 1907 को मिदनापुर के पास लेफ्टिनेंट गवर्नर की गाड़ी को बम से उड़ाने की कोशिश की गई। ढाका के पहले मजिस्ट्रेट एलन को भी मारने की कोशिश की गई।

मुजफ्फरपुर बम कांड (1908)– क्रांतिकारियों ने 30 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर में जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया किन्तु यह प्रयास असफल रहा। किंग्सफोर्ड ने देशभक्तों को कड़ी सजाएँ सुनाई थी। इसमें अंग्रेज महिला श्रीमति केनेडी एवं उसकी पुत्री मारी गयी। इस संबंध में प्रफुल्ल चाकी एवं खुदीराम बोस पकड़े गए। प्रफुल्ल चाकी ने स्वयं को गोली मार ली। 15 वर्षीय खुदीराम बोस को फाँसी की सजा दी गयी।

अलीपुर षडयंत्र केस (1908)– मुजफ्फरनगर कांड के बाद मानिकतला में क्रांतिकारियों के निवास स्थान मुरारीपुकुर में पुलिस ने छापा मारा। यहाँ से बम, बारूद आदि प्राप्त हुए। अरविंद घोष, उनके भाई वारीन्द्र घोष सहित 34 लोग कैद किए गये। इसका मुकदमा 'अलीगढ़ षड़यन्त्र केस' के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वारीन्द्र घोष को आजीवन कारावास की सजा मिली।

इन क्रांतिकारी घटनाओं से ब्रिटिश सरकार चिंतित हुई और प्रतिक्रियास्वरूप क्रांतिकारी गतिविधियों को दबाने के लिए कई अधिनियम पारित किए। ब्रिटिश सरकार ने विस्फोटक पदार्थ अधिनियम (1908ई.), समाचार पत्र (अपराध प्रेरक) अधिनियम (1908ई.), राजद्रोहात्मक सभा निवारण अधिनियम (1911ई.) आदि पारित किये।

1909 का अधिनियम

1909 के अधिनियम को 'मार्ले–मिन्टो सुधार' के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम के बनने में दो व्यक्तियों तत्कालीन गवर्नर जनरल लार्ड मिंटो एवं भारत सचिव जॉन मार्ले का योगदान था। 1892 के अधिनियम से भारतीय संतुष्ट नहीं थे। कांग्रेस कौंसिलों के विस्तार करने और इनके सदस्यों के अधिकारों में वृद्धि करने की माँग कर रही थी। 1905 ई. में बंगाल के विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन ने क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ावा दिया। कांग्रेस के गरम दल के प्रभाव को कम करने के लिए ब्रिटिश सरकार कुछ सुधार कर उदारवादियों (नरम दल) को संतुष्ट करना चाहती थी। सरकार कुछ समुदायों को अधिक सुविधा प्रदान कर भारतीयों में फूट डालना चाहती थी। इसकी प्रमुख विशेषताएँ निम्न थीं–

1. केन्द्रीय व्यवस्थापिका सभा एवं प्रांतों की व्यवस्थापिका सभा का विस्तार किया गया। इनके सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गयी। प्रांतों में पहली बार गैर सरकारी लोगों का वर्चस्व बना।
2. विभिन्न परिषदों के अधिकारों में वृद्धि की गयी। सदस्यों को बजट पर बहस करने के साथ प्रमुख मुद्दों पर मत देने का अधिकार दिया गया। वे बजट एवं अन्य मुद्दों पर प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते थे। उन्हें पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया।
3. साम्प्रदायिक आधार पर पृथक् निर्वाचन प्रणाली को प्रारंभ किया गया। मुस्लिमों, जमींदारों, व्यापारियों आदि के लिए पृथक् निर्वाचक मंडल की स्थापना की गयी।
4. गवर्नर जनरल को अपनी कार्यकारिणी में एक भारतीय सदस्य को लेने का अधिकार प्राप्त हुआ (गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में लिए गए प्रथम भारतीय एस.पी.सिन्हा थे)।
5. चुनावों में इच्छुक उम्मीदवारों एवं मतदाताओं की योग्यता निश्चित की गयी।

इस अधिनियम की आलोचना इस आधार पर की जाती है कि इसने अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली को अपनाया। इसमें मतदाताओं की संख्या अत्यंत सीमित रखी गयी। मतदाताओं की योग्यता भी बहुत ऊँची रखी गयी। साम्प्रदायिक आधार पर मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की प्रणाली भारत के लिए हानिकारक थी। इससे साम्प्रदायिक राजनीति का आरंभ हुआ। मुसलमानों को अधिक प्रतिनिधित्व दिया गया। उन्हें अपने पृथक् चुनाव मंडलों में तो मत देने का अधिकार था, साथ ही उन्हें सामान्य मतदाताओं के भी अधिकार दिए गए। प्रांतीय परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों का प्रतिनिधित्व अधिक था किंतु गवर्नर जनरल की परिषद में अब भी सरकारी सदस्यों का बहुमत था। संसदीय संस्थाएँ तो स्थापित की गयी किन्तु संसदीय शासन व्यवस्था का लक्ष्य नहीं रखा गया।

प्रथम विश्वयुद्ध एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन

होमरूल आंदोलन (1916)– होमरूल आंदोलन एक बौद्धिक प्रचार आंदोलन था। इसका उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत संवैधानिक तरीके से स्वशासन प्राप्त करना था। स्वशासन की प्राप्ति के लिए आंदोलन बाल गंगाधर तिलक एवं एनीबेसेंट ने चलाया। 1914 ई. में बाल गंगाधर तिलक जेल से छूटकर आ गए थे। तिलक कांग्रेस में पुनः प्रवेश कर स्वराज्य के लिए आंदोलन चलाना चाहते थे किंतु कांग्रेस नेतृत्व इस समय किसी आंदोलन को चलाने के पक्ष में नहीं था।

एन. सी. केलकर

एनीबेसेंट

28 अप्रैल 1916 को तिलक ने पूना में 'इंडियन होमरूल लीग' की स्थापना की। इसके अध्यक्ष जोसेफ बैपतिस्ता थे। इसके सचिव एन. सी. केलकर बनाए गए। इसके अन्य सदस्य जी. एस. खापर्डे, बी. एस. मुंजे, आर. पी. करंदीकर आदि थे। तिलक द्वारा स्थापित लीग महाराष्ट्र (बंबई को

छोड़कर), कर्नाटक, मध्य प्रांत एवं बरार में सक्रिय थी।

एनीबेसेंट ने 3 सितम्बर 1916 को अडयार (मद्रास) में होमरूल लीग की स्थापना की। इसकी अध्यक्ष एनीबेसेंट थी। इसके संगठन मंत्री जार्ज अरूंडेल एवं महासचिव रामास्वामी अय्यर एवं कोषाध्यक्ष वी. पी. वाडिया थे। तिलक के कार्य क्षेत्र को छोड़कर देश के शेष भाग में एनीबेसेंट के होमरूल लीग ने कार्य किया। यह मद्रास, बंबई, बिहार, संयुक्त प्रांत एवं बंगाल में सक्रिय थी। एनीबेसेंट के होमरूल लीग में मोतीलाल नेहरू, जवाहर लाल नेहरू, तेज बहादूर सप्रू, मुहम्मद अली जिन्ना, सी. वाई चिंतामणी, हसन इमाम, मजरूल हक आदि प्रमुख नेता सम्मिलित हुए। एनीबेसेंट के होमरूल लीग का स्वरूप अखिल भारतीय था।

इनके कार्यक्रम निम्न थे– राजनीतिक विषयों एवं जन जागृति संबंधी पुस्तकों का प्रकाशन एवं विक्रय करना, राजनीतिक विषयों पर वाद–विवाद एवं भाषण आयोजित करना, जनसभा करना, समाज सेवा के कार्य करना आदि।

तिलक ने मराठा एवं केसरी तथा एनीबेसेंट ने कामनवील एवं न्यू इंडिया नामक समाचार पत्र के माध्यम से होमरूल का प्रचार प्रसार किया।

महात्मा गाँधी

महात्मा गाँधी का नाम मोहनदास करमचंद गाँधी था। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। इनके पिता करमचंद गाँधी राजकोट रियासत के दीवान थे। इनकी माता का नाम पुतली बाई था। महात्मा गाँधी की प्रारम्भिक शिक्षा राजकोट में हुई। इनका विवाह कस्तूरबा से हुआ था। 1887 ई. में महात्मा गाँधी उच्च शिक्षा प्राप्त करने इंग्लैण्ड गये। इंग्लैण्ड से कानून की शिक्षा प्राप्त कर 1891 ई. में भारत वापस आए। इन्होंने बम्बई में वकालात की। 1893 ई. में एक पारसी फर्म 'दादा अब्दुल्ला एण्ड कम्पनी' के एक मुकदमे के संबंध में दक्षिण अफ्रीका गए। दक्षिण अफ्रीका में सरकार की रंगभेद नीति के विरूद्व संघर्ष किया। इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में नटाल इण्डियन कांग्रेस, टॉलस्टॉय फार्म तथा फीनिक्स फार्म की स्थापना की। दक्षिण अफ्रीका में 'इंण्डियन ओपिनियन' नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया।

महात्मा गाँधी ने सर्वप्रथम सविनय अवज्ञा का मार्ग दक्षिण अफ्रीका में अपनाया। महात्मा गाँधी के संघर्ष के परिणामस्वरूप सरकार ने कई भेदभावपूर्ण कानूनों को रद्द कर दिया और भारतीयों को सुविधाएँ प्राप्त हुई।

1915 ई. में महात्मा गाँधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। एक वर्ष तक इन्होंने देश का भ्रमण कर भारतीय जनता की स्थिति को समझा। 1916 ई. में अहमदाबाद के पास साबरमती आश्रम की स्थापना की।

चंपारण सत्याग्रह– भारत में महात्मा गाँधी ने पहला सफल सत्याग्रह बिहार के चंपारण जिले में 1917 ई. में किया। यहाँ यूरोपीय नील बागान मालिक किसानों पर बहुत अत्याचार करते थे। किसानों को अपनी जमीन पर नील की खेती करने पर मजबूर करते थे। किसानों को नील बागान मालिकों द्वारा तय कीमत पर नील बेचना पड़ता था। गाँधी किसान राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण पर राजेन्द्र प्रसाद, मजहरूल हक, जे.बी. कृपलानी, नरहरि पारिख और महादेव देसाई के साथ 1917 ई. में चंपारण पहुँचे। गाँधी के प्रयासों से किसानों की समस्या में कमी आई।

अहमदाबाद मिल मालिक–मजदूर सघर्ष– 1918 ई. में महात्मा गाँधी ने अहमदाबाद के मिल मालिकों एवं मजदूरों के विवाद में हस्तक्षेप कर मजदूरों को राहत दिलवाई। मिल मालिकों ने 35 प्रतिशत महंगाई भत्ता देना स्वीकार किया।

खेड़ा किसान आंदोलन– 1918 ई. में गाँधी ने गुजरात के खेड़ा में किसानों के लिये संघर्ष किया। यहाँ किसानों की फसल नष्ट होने पर भी उनसे सरकार लगान वसूल कर रही थी। यहाँ गाँधी ने लगान न देने के लिये किसानों से कहा। इस आन्दोलन में गाँधी का साथ वल्लभभाई पटेल ने दिया। अंग्रेज सरकार ने मजबूर होकर आदेश दिया कि उन किसानों से कर न वसूला जाये जिनकी फसल लगभग नष्ट हो गई है।

प्रथम विश्वयुद्ध के समय अंग्रेज सरकार ने महात्मा गाँधी को 'केसर–ए–हिन्द' की उपाधि प्रदान की। 13 अप्रैल 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गाँधी ने 'केसर–ए–हिन्द' की उपाधि त्याग दी। 1920 ई. में उन्होंने असहयोग एवं खिलाफत आन्दोलन का नेतृत्व किया। 1924 ई. में कांग्रेस के बेलगाँव अधिवेशन में गाँधी कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गये। गाँधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह आदि कई आंदोलनों का नेतृत्व किया।

महात्मा गाँधी राजनीतिक स्वतन्त्रता के साथ जनता की आर्थिक एवं सामाजिक उन्नति चाहते थे। गाँधी ग्राम सुधार, नशाबन्दी, अछूतोद्धार, हिन्दू–मुस्लिम एकता, स्त्री शिक्षा आदि के लिये कार्य करते रहे। इन्होंने ग्रामोद्योग संघ, तालीमी संघ एवं गौ–रक्षा संघ की स्थापना की। इन्होंने अछूतों को 'हरिजन' नाम दिया। इन्होंने 'हरिजन सेवा संघ' (1932ई.) की स्थापना की। गाँधी ने अपने समाचार पत्र यंग इण्डिया, नव जीवन एवं हरिजन के माध्यम से राजनीतिक एवं सामाजिक आन्दोलनों का मार्गदर्शन करते रहे।

रॉलेट एक्ट– प्रथम विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश सरकार ने भारत रक्षा कानून के माध्यम से क्रांतिकारी गतिविधियों को बड़ी क्रूरता से दबाया था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद मुख्य रूप से क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाने के उद्देश्य से 10 सितम्बर 1917 को ब्रिटिश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सर सिडनी रॉलेट की

अध्यक्षता में एक राजद्रोह (सेडीशन) कमेटी गठित की गयी। इसने अप्रैल 1918 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस समिति की सिफारिश के आधार पर बिल केन्द्रीय विधानसभा में प्रस्तुत किया गया। भारतीयों के विरोध के बाद भी 18 मार्च 1919 को यह कानून पास हो गया। यह कानून रॉलेट एक्ट कहलाया।

इस कानून द्वारा राजद्रोहात्मक कार्यों के संदेह मात्र पर ही किसी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए जेल में भेजा जा सकता था या किसी भी अन्य स्थान पर नजरबंद किया जा सकता था। प्रतिबंधित पुस्तकों या दस्तावेज रखने मात्र के आधार पर ही किसी को गिरफ्तार किया जा सकता था। इसे 'काला कानून' कहा गया। इस कानून के माध्यम से संदेह मात्र पर ही किसी की तलाशी लेने, गिरफ्तार करने, जमानत माँगने आदि के अधिकार युद्ध के बाद भी ब्रिटिश सरकार ने अपने पास रख लिये।

इस कानून के विरूद्ध पूरे देश में तीव्र प्रतिक्रिया हुई। रॉलेट एक्ट के विरोध में आंदोलन चलाने के लिए महात्मा गाँधी के नेतृत्व में फरवरी 1919 को 'सत्याग्रह सभा' की स्थापना हुई। इस कानून के विरोध में 6 अप्रैल 1919 को पूरे देश में हड़ताल करने का निश्चय किया गया। पंजाब, दिल्ली, गुजरात, बंबई आदि में इस एक्ट के विरोध में सभाएँ हुई और हड़ताल की गयी।

जलियांवाला बाग हत्याकांड (13 अप्रैल1919)

रॉलेट एक्ट के विरोध में 6 अप्रैल 1919 को पंजाब में विभिन्न स्थानों पर हु

आश्चर्य हुआ। अमृतसर में 9 अप्रैल 1919 को पंजाब के नेता डॉ. सत्यपाल एवं डॉ. सैफूद्दीन किचलू के नेतृत्व में एक जुलूस निकला। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे डॉ. सत्यपाल एवं डॉ. किचलू को 10 अप्रैल 1919 को गिरफ्तार कर अमृतसर से निर्वासित कर दिया गया। पंजाब की स्थिति को देखते हुए श्रद्धानंद व डॉ. सत्यपाल के अनुरोध पर जब महात्मा गाँधी पंजाब के लिए रवाना हुए तब उन्हें दिल्ली के पास पलवल (हरियाणा) में रोककर वापस बंबई भेज दिया गया। सरकार ने दमन चक्र चलाया। रॉलेट एक्ट के विरोध, सरकार के दमन चक्र एवं डॉ. सत्यपाल व डॉ. सैफूद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को एक सभा बुलाई गयी। इस सभा की जानकारी प्राप्त होते ही संपूर्ण अमृतसर को जनरल डायर के हाथों में सौंप दिया गया।

1916 ई.में लखनऊ समझौता हो गया था। इनके साथ कार्य करने की संभावना बनी। बालगंगाधर तिलक एवं एनीबेसेंट ने होमरूल आंदोलन चलाकर भारत में स्वशासन की माँग की। कांग्रेस में पुनः गरम दल वालों का वर्चस्व बढ़ने लगा। भारत सचिव मांटेग्यू ने 20 अगस्त 1917 को घोषणा की कि भारत में क्रमशः उत्तरदायी सरकार की स्थापना के उद्देश्य से स्वशासन की संस्था का विकास किया जाएगा। इन सभी कारणों से मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 की भूमिका बनी। मांटेग्यू भारत सचिव एवं चेम्सफोर्ड भारत का गवर्नर जनरल था। इन दोनों की रिपोर्ट के आधार पर बने 1919 के अधिनियम को मांटेग्यू–चेम्सफोर्ड सुधार कहा गया। इसकी निम्न विशेषताएँ थी–

1. प्रांतों में द्वैध शासन (Dyarchy) की स्थापना की गयी। प्रान्तीय विषयों को दो भागों सुरक्षित विषय (Reserved Subject) एवं हस्तान्तरित विषय (Transferred Subject) में बाँटा गया। सुरक्षित विषयों का शासन प्रांतीय गवर्नर अपनी कार्यकारिणी (Executive Council) के परामर्श से करता था। सुरक्षित विषयों में पुलिस, जेल, शांति–व्यवस्था स्थापित करना, न्याय आदि प्रमुख थे। हस्तांतरित विषयों का शासन प्रांतीय गवर्नर भारतीय मंत्रियों की सहायता से चलाता था। हस्तांतरित विषयों में स्थानीय स्वशासन, स्वास्थ्य, चिकित्सा, सार्वजनिक निर्माण आदि थे।

1. गवर्नर की कार्यकारिणी (Executive Council) विधान सभा के प्रति उत्तरदायी न होकर गवर्नर के प्रति उत्तरदायी होती थी, जबकि मंत्री विधानसभा के प्रति उत्तरदायी थे। मंत्रियों की नियुक्ति एवं उन्हें पद से हटाने का अधिकार गवर्नर को था। गवर्नर विधानसभा को भंग करके प्रांतीय विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को निषेध कर सकता था।
2. केंद्र एवं प्रांतों के बीच शक्ति का विभाजन किया गया। केंद्र के पास रक्षा, विदेश नीति, रेलवे, संचार, जनगणना, सार्वजनिक ऋण, लोक सेवा आयोग, मुद्रा, भारतीय रियासतों से संबंध आदि विषय थे। प्रांतों के पास स्थानीय स्वशासन, स्वास्थ्य, शिक्षा, सार्वजनिक निर्माण, जंगलात, आबकारी, सिंचाई, कृषि, जेल, पुलिस आदि विषय रखे गए।
3. 1919 के अधिनियम द्वारा पहली बार केन्द्र में द्विसदनी विधायिका की व्यवस्था की गयी। केन्द्रीय व्यवस्थापिका (Central Legislature) का पहला उच्च सदन राज्य परिषद् (Council of State), दूसरा निम्न सदन विधानसभा (Legislative Assembly) कहलाया।
4. प्रांतीय विधानसभाओं में साम्प्रदायिक आधार पर पृथक् निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया गया। मुस्लिमों के अतिरिक्त सिखों, यूरोपियनों, ऐंग्लो इंडियन, भारतीय ईसाइयों को पृथक् चुनाव मंडलों में अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार दिया गया।
5. इंडिया कौंसिल के कुछ कार्यों जैसे व्यापार, ब्रिटेन में भारतीयों की शिक्षा आदि के लिए भारतीय उच्चायुक्त (Indian High Commissioner) का प्रावधान किया गया। भारतीय उच्चायुक्त की नियुक्ति भारत सरकार के परामर्श से सम्राट करता था।

इसकी आलोचना प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था के लिए मुख्य रूप से की जाती है। प्रांतों में द्वैध शासन के अंतर्गत सुरक्षित एवं हस्तांतरित विषयों का विभाजन अव्यावहारिक था। शिक्षा हस्तांतरित विषय था। औद्योगिक विकास हस्तांतरित विषय था परंतु श्रम विभाग सुरक्षित था। सारे प्रशासन की धूरी वित्त विभाग था जो सुरक्षित विषय था। जबकि धन की आवश्यकता वाले शिक्षा, सार्वजनिक निर्माण आदि भारतीय मंत्रियों के पास थे। सुरक्षित विषय गवर्नर की कौंसिल के सदस्यों के पास थे जो गवर्नर के प्रति उत्तरदायी थे। हस्तांतरित विषय भारतीय मंत्रियों के हाथ में थे जो प्रांत की विधान सभा के प्रति उत्तरदायी थे। मंत्रियों में संयुक्त उत्तरदायित्व का अभाव था। इसी कारण द्वैध शासन सैद्धांतिक आधार पर विफल रहा।

गवर्नर जनरल और उसकी परिषद अभी भी भारत सचिव के प्रति और ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी थी। गवर्नर जनरल व्यवस्थापिका सभा की सलाह को ठुकरा सकता था। साम्प्रदायिक आधार पर निर्वाचन–प्रणाली का विस्तार भारत को राष्ट्रीय आधार पर संगठित होने से रोकने का प्रयास था।

राजनैतिक आंदोलन (1920ई.–1947ई.)

असहयोग आंदोलन (1920ई.–1922ई.)

प्रथम विश्वयुद्ध के पश्चात् उत्पन्न हुआ आर्थिक संकट, रालेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार से असंतोष आदि असहयोग आंदोलन के प्रमुख कारण थे। गाँधी ने काँग्रेस एवं खिलाफत समिति की माँगों को मिला दिया। उन्होंने सरकार से माँग की कि सरकार जलियांवाला बाग हत्याकांड पर खेद प्रकट करे, टर्की के प्रति अपने व्यवहार को नम्र करे और भारतीयों को संतुष्ट करने के लिए कोई नवीन योजना प्रस्तुत करे। सरकार को चेतावनी दी कि यदि सरकार इन माँगों को स्वीकार नहीं करेगी तब वे असहयोग आंदोलन प्रारंभ कर देंगे। सरकार ने इनकी माँगों पर ध्यान नहीं दिया। गाँधी ने 1 अगस्त 1920 से असहयोग आंदोलन प्रारंभ कर दिया।

लाला लाजपतराय की अध्यक्षता में सितम्बर 1920 में कलकत्ता में काँग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ। कलकत्ता के इस विशेष अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम स्वीकार किया गया। इस अधिवेशन में मांटेग्यू–चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के अनुसार नवम्बर 1920 में होने वाले चुनावों का बहिष्कार करने का भी निर्णय लिया गया। विजय राघवाचार्य की अध्यक्षता में काँग्रेस का वार्षिक अधिवेशन दिसम्बर 1920 में नागपुर में हुआ। इस अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को दोहराया गया।

असहयोग आंदोलन के निम्न कार्यक्रम रखे गए–

असहयोगात्मक कार्यों में सरकारी उपाधियों एवं अवैतनिक पदों का त्याग, सरकारी और अर्द्ध सरकारी उत्सवों का

बहिष्कार, सरकारी स्कूल, कॉलेज एवं अदालतों का बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार आदि थे। इसके अतिरिक्त इसमें सरकारी नौकरी से त्याग पत्र देने एवं करों की अदायगी से इन्कार करना भी शामिल था।

रचनात्मक कार्यों में राष्ट्रीय स्कूलों एवं कॉलेजों की स्थापना, झगड़ों को निपटाने के लिए पंचायतों की स्थापना करना, चरखों द्वारा निर्मित स्वदेशी वस्त्रों का प्रचार, हाथ से कताई एवं बुनाई को प्रोत्साहन देना, शराबबंदी, हिन्दू–मुस्लिम एकता को प्रोत्साहित करना, अस्पृश्यता का उन्मूलन आदि थे।

गाँधी ने यह विश्वास दिलाया कि यदि इन सभी कार्यक्रमों को पूरी तरह से लागू किया गया तब एक वर्ष में स्वराज प्राप्त हो जाएगा। महात्मा गाँधी ने ब्रिटिश सरकार से प्राप्त 'केसर ए हिन्द' की उपाधि त्याग दी। जमनालाल बजाज ने 'राय बहादुर' की उपाधि त्याग दी। गाँधी से प्रोत्साहित होकर कई लोगों ने पदवियाँ एवं उपाधियाँ त्याग दीं। मोतीलाल नेहरू, चितरंजन दास, राजेन्द्र प्रसाद आदि कई नेताओं ने वकालत छोड़ दी। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हुआ। विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गयी। बहुत से राष्ट्रीय स्कूल एवं कॉलेज खोले गए। काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, जामिया मिलिया विश्वविद्यालय आदि की स्थापना हुई।

17 नवम्बर 1921 को ब्रिटिश युवराज प्रिंस ऑफ वेल्स बंबई पहुँचा। प्रिंस ऑफ वेल्स के स्वागत के लिए तैयारियाँ की गयी थी किंतु बंबई की जनता ने इसके विरोध में जुलूस निकाला। मजदूरों ने कारखानें बंद कर हड़ताल घोषित कर दी। जगह–जगह प्रदर्शन हुए । प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने गोली चलाई जिसमें कई लोग मारे गए। 1921 ई. में 396 हड़तालें हुईं, जिसमें 6 लाख श्रमिक सम्मिलित हुए।

मोतीलाल नेहरू, चितरंजन दास, लाला लाजपत राय, डॉ. किचलू, मुहम्मद अली, मौलाना शौकत अली आदि कई प्रमुख नेता गिरफ्तार कर लिए गए। गाँधी अब तक गिरफ्तार नहीं हुए थे। अंग्रेजी सरकार ने मदनमोहन मालवीय एवं मुहम्मद अली जिन्ना के माध्यम से बातचीत करने का प्रयास किया। दिसम्बर 1921 में मदनमोहन मालवीय के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल वायसराय रीडिंग से मिला, किंतु समझौता नहीं हो पाया।

इसी बीच अहमदाबाद में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन दिसंबर 1921 में हुआ। इसमें अध्यक्ष देशबंधु चितरंजन दास चुने गए किंतु उनके जेल में होने के कारण हकीम अजमल खाँ ने पद ग्रहण किया। सरोजिनी नायडू ने चितरंजन दास का भाषण पढ़ा। इस सम्मेलन में असहयोग आंदोलन को प्रभावी तरीके से चलाने का निर्णय लिया गया। 30,000 से भी अधिक लोग गिरफ्तार हो चुके थे। 1 फरवरी 1922 को गाँधी ने वायसराय लार्ड रीडिंग को चेतावनी दी कि यदि सरकार ने एक सप्ताह के भीतर दमनचक्र बंद करते हुए बंदी बनाए गए आंदोलनकारियों को रिहा नहीं किया तब वे बारडोली से सामूहिक सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर देंगे।

चौरी चौरा कांड (5 फरवरी1922)– इसी बीच 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर एक घटना घट गयी। चौरी चौरा में शांतिपूर्ण जुलूस को पुलिस ने दबाना चाहा, जिस कारण उत्तेजित भीड़ ने पुलिस चौकी को घेर लिया और उसमें आग लगा दी। इसमें 1 थानेदार एवं 21 सिपाही मारे गए। गाँधी ने इस घटना के कारण असहयोग आंदोलन को बंद करने का निर्णय लिया। 12 फरवरी 1922 को बारडोली में कांग्रेस कमेटी की बैठक में गाँधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित करने की घोषणा कर दी।

जेल में बंद लाला लाजपतराय, चितरंजनदास एवं मोतीलाल नेहरू ने गाँधी के इस निर्णय का विरोध करते हुए पत्र लिखा। सुभाष चंद्र बोस एवं जवाहर लाल नेहरू भी गाँधी के इस निर्णय से दुःखी हुए। आंदोलन के समाप्त होने पर भी अंग्रेजों का दमनचक्र कम नहीं हुआ। 10 मार्च 1922 को महात्मा गाँधी को राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। गाँधी को 6 वर्ष की जेल की सजा सुनाई गई किंतु गाँधी को फरवरी 1924 में जेल से रिहा कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने अपना पूरा ध्यान खादी को बढ़ावा देने, छूआछूत को समाप्त करने आदि में लगाना प्रारंभ कर दिया।

इस आंदोलन की आलोचना इस आधार पर की जाती है कि यह आंदोलन स्वराज–प्राप्ति में सफल नहीं हो सका। गाँधी द्वारा एक वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त करने का वादा पूरा नहीं किया जा सका। खिलाफत के प्रश्न का भी अंत हो गया। हिंदू–मुस्लिम एकता स्थापित करने में भी यह आंदोलन सफल नहीं हुआ। इसके विपरीत साम्प्रदायिक भावना को बढ़ावा मिला। पंजाब में किए गए अत्याचारों का निवारण भी नहीं हुआ।

इस आंदोलन के रचनात्मक कार्यों को सफलता अवश्य मिली। राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाओं की स्थापना, चरखा चलाना एवं खादी तैयार करना, स्वदेशी वस्तु अपनाना आदि महत्वपूर्ण कार्य हुए। इस आंदोलन ने कॉंग्रेस को नई दिशा प्रदान की। इसने कॉंग्रेस के आंदोलन को जन आंदोलन का रूप प्रदान किया। इसने भारतीयों में स्वराज की प्राप्ति की प्रबल इच्छा जागृत की। इस आंदोलन ने ब्रिटिश सरकार को चुनौती देने के लिए जनता को संगठित किया।

खिलाफत आंदोलन

खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य तुर्की के साम्राज्य के बँटवारे का विरोध करना एवं खलीफा के पद को बनाए रखना था। यह आंदोलन मुख्य रूप से प्रतिक्रियावादी था। तुर्की के सुल्तान को मुस्लिम खलीफा अर्थात् मजहबी मामलों में प्रमुख (मजहबी गुरू) मानते थे। प्रधानमंत्री जार्ज लॉयड ने भारतीय मुसलमानों को यह विश्वास दिलाया था कि तुर्की की अखण्डता को बनाए रखा जायेगा किंतु प्रथम विश्वयुद्ध में विजयी होने के साथ ही ब्रिटेन का तुर्की के प्रति व्यवहार बदलने लगा। अपने धार्मिक स्थलों की रक्षा को लेकर मुस्लिम चिंतित थे। तुर्की की हार के बाद ब्रिटेन ने विजयी शक्तियों के साथ मिलकर तुर्की साम्राज्य का बँटवारा कर दिया। तुर्की एवं खलीफा के साथ किए गए व्यवहार से भारतीय मुसलमानों में असंतोष की भावना फैली। भारतीय मुस्लिमों ने इसका विरोध करते हुए आंदोलन चलाया। इस प्रकार भारत में खलीफा के पक्ष में जनमत तैयार करने के

लिए चलाया गया यह आंदोलन 'खिलाफत आंदोलन' कहलाया। मौलाना अबुल कलाम आजाद, डॉ.एम.ए.अंसारी, हकीम अजमल खां, मौलाना शौकत अली, मौलाना मुहम्मद अली, हसरत मोहनी आदि इस आंदोलन के प्रमुख नेता थे। स्थान–स्थान पर खिलाफत कमेटी की स्थापना की गयी।

दिल्ली में 22–23 नवम्बर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया कि यदि उनकी माँगें न मानी गयी तब वे ब्रिटिश सरकार का सहयोग करना बंद कर देंगे। खिलाफत सम्मेलन में गाँधी को विशेष अतिथि के रूप में बुलाया गया। गाँधी ने खिलाफत कमेटी से सरकार के खिलाफ अहिंसात्मक असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम को स्वीकार करने का प्रस्ताव रखा। जून 1920 को इलाहाबाद के अखिल भारतीय खिलाफत समिति के अधिवेशन में गाँधी के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार करते हुए इस आंदोलन की अगुवाई का अधिकार गाँधी को सौंपा गया।

खिलाफत के प्रश्न को लेकर अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन आरंभ किया गया। सरकारी नौकरी एवं सरकारी उपाधियों का त्याग, कर नहीं देने आदि कार्यक्रम मुख्य रूप से चलाए गए। असहयोग आंदोलन एवं खिलाफत आंदोलन एक साथ चले। गाँधी ने खिलाफत आंदोलन को हिंदू एवं मुसलमानों में एकता स्थापित करने का ऐसा अवसर माना जो आगे सौ वर्षों तक नहीं मिलेगा। गाँधी ने खिलाफत के प्रश्न को संवैधानिक सुधारों एवं पंजाब की घटनाओं से भी महत्वपूर्ण बताया। 1920 ई. में लगभग 18,000 मुसलमान अंग्रेजों के अधीन रहना कुफ्र समझकर हिंदुस्तान छोड़कर चले गए।

अली बंधुओं (मुहम्मद अली एवं शौकत अली) को गिरफ्तार कर लिया गया। शीघ्र ही खिलाफत का प्रश्न अप्रासंगिक हो गया। तुर्की की जनता ने कमाल पाशा के नेतृत्व में क्रांति कर नवम्बर 1922 में तुर्की के सुल्तान को सत्ता से वंचित कर दिया। कमाल पाशा ने तुर्की को सेकुलर राज्य बनाने के लिए प्रयास किए। 1924 ई. में कमाल पाशा ने खिलाफत अर्थात् खलीफा के पद को समाप्त कर दिया तब भारत में कोई प्रतिरोध नहीं हुआ।

काँग्रेस ने राष्ट्रीय आंदोलन में मुस्लिमों का साथ प्राप्त करने की रणनीति के तहत खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया। तात्कालिक रूप से कई मुस्लिम राष्ट्रीय आंदोलन में सम्मिलित हुए। मजहबी चेतना का राजनीति में समावेश होने से साम्प्रदायिक शक्तियाँ मजबूत ही हुई। लोगों ने गाँधी द्वारा खिलाफत आंदोलन को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ने के प्रयासों की राजनीतिक भूल मानते हुए आलोचना की। खिलाफत आंदोलन स्थगित होते ही अधिकांश मजहबी मुस्लिम नेतृत्व काँग्रेस से अलग हो गया। केरल के मालाबार में मोपला मुस्लिम विद्रोह हुआ जिससे स्थानीय हिन्दुओं को जन–धन हानि उठानी पड़ी।

1922 ई. से 1930 ई. तक के घटनाचक्र

स्वराज दल– असहयोग आंदोलन के स्थगित होने के बाद भावी कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस में मत भिन्नता थी। 1919 के मांटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के अंतर्गत होने वाले विधानमंडलों के चुनाव में भाग लेने के प्रश्न को लेकर मतभेद था। सी.आर.दास, मोतीलाल नेहरू, बिठ्ठल भाई पटेल एवं हकीम अजमल खां जैसे नेताओं का मानना था कि बदलती हुई राजनीतिक परिस्थिति में कांग्रेस को कौंसिल के चुनाव में भाग लेना चाहिए। कौंसिल में प्रवेश कर सरकार का विरोध करने की नीति अपनानी चाहिए। ये लोग परिवर्तनवादी (Radical) कहलाए। दूसरी ओर अपरिवर्तनवादी (Non Radical) कहलाने वाले सरदार वल्लभभाई पटेल, बाबू राजेन्द्र प्रसाद, डॉ अंसारी एवं राजगोपालाचारी जैसे नेता थे जिन्होंने विधानमंडलों के चुनाव में भाग लेने का विरोध किया। ये लोग सूत कातने, शराबबंदी, छुआछूत समाप्त करने, हिंदू–मुस्लिम एकता स्थापित करने आदि गाँधीवादी रचनात्मक कार्यक्रमों को चलाने के पक्षधर थे। कांग्रेस के दिसंबर 1922 के गया अधिवेशन में कौंसिल में प्रवेश को लेकर कांग्रेस के नेताओं के बीच तीव्र मतभेद उत्पन्न हो गया। अध्यक्ष चितरंजनदास के प्रयासों के बावजूद भी कौंसिल में प्रवेश का प्रस्ताव अस्वीकार हो गया।

परिवर्तनवादियों ने मार्च 1923 में इलाहाबाद में अपने समर्थकों का अखिल भारतीय सम्मेलन बुलाकर 'स्वराज दल' की स्थापना की। इसके अध्यक्ष चितरंजन दास एवं सचिव मोतीलाल नेहरू थे। यह निर्णय लिया गया कि केन्द्रीय विधानसभा एवं प्रांतीय विधान परिषदों में प्रवेश कर एक निश्चित समय में राष्ट्रीय माँगों को पूरा करने के लिए ब्रिटिश सरकार पर दबाव डालेंगे। इन्होंने कांग्रेस के रचनात्मक कार्यक्रमों को समर्थन देने का भी निर्णय लिया।

नवम्बर 1923 के विधानमंडलों के चुनाव में स्वराज दल को सफलता मिली। स्वराज दल के प्रयासों से 1925 ई. में बिट्ठलभाई पटेल को केन्द्रीय विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया। स्वराज दल के सदस्यों ने 1919 के अधिनियम के खोखलेपन को उजागर किया। उन्होंने प्रांतों में द्वैध शासन की असफलता को उजागर कर इस संबंध में मुंडीमैन समिति की नियुक्ति करवाई। इन्होंने गोलमेज परिषद बुलाने की माँग की, जिससे उत्तरदायी शासन की स्थापना की जा सके। जून 1925 में चितरंजनदास की मृत्यु से स्वराज दल को बड़ा आघात पहुँचा। 1926 ई. के चुनावों में स्वराज दल को विशेष सफलता नहीं मिली। स्वराज दल का प्रभाव समाप्त हो गया।

साइमन कमीशन– नवम्बर 1927 में ब्रिटिश सरकार ने साइमन कमीशन (इंडियन स्टेट्यूटरी कमीशन) की नियुक्ति की। साइमन की अध्यक्षता में गठित इस आयोग में एक भी भारतीय प्रतिनिधि नहीं था। इस आयोग का उद्देश्य सांविधानिक सुधार पर सुझाव देना था। भारतीय शासन व्यवस्था के संबंध में जाँच करते हुए इस कमीशन को यह रिपोर्ट देनी थी कि उत्तरदायी शासन लागू करना उचित है या नहीं। प्रांतों में द्वैत शासन लागू रहना चाहिये या नहीं। एक भी भारतीय सदस्य के इस कमीशन में न होने को भारतीयों ने आत्मनिर्णय के सिद्धांत का उल्लंघन मानते हुए अपना अपमान समझा।

कांग्रेस ने दिसम्बर 1927 के मद्रास अधिवेशन में डॉ. अंसारी की अध्यक्षता में साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय लिया। हिंदू महासभा, लिबरल फेडरेशन एवं मुस्लिम लीग ने

साइमन कमीशन के प्रति विरोध का मार्ग अपनाया। हालांकि मुस्लिम लीग में साइमन कमीशन के विरोध के प्रश्न पर मुहम्मद शफी के नेतृत्व में एक गुट लीग से अलग हो गया।

साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को बंबई पहुँचा। साइमन कमीशन के भारत पहुँचते ही इसके विरूद्ध एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन हुआ। बंबई, मद्रास, दिल्ली, कलकत्ता आदि स्थानों पर इसके विरूद्ध एक अखिल भारतीय हड़ताल की गयी। यह कमीशन जहाँ–जहाँ गया, वहाँ–वहाँ इसे काले झंड़े दिखाकर 'साइमन वापस जाओ' के नारे के साथ विरोध किया गया। केन्द्रीय विधान सभा ने भी साइमन का स्वागत करने से इंकार कर दिया।

जब साइमन कमीशन लाहौर पहुँचा तब वहाँ पंजाब के प्रमुख नेता लाला लाजपत राय के नेतृत्व में बहुत बड़ी संख्या में जनसमूह ने इसका विरोध करते हुए प्रदर्शन किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठियाँ बरसाईं। इस लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय घायल हुए और कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गयी। लखनऊ में साइमन कमीशन का विरोध करते हुए प्रदर्शनकारियों के साथ पं. गोविन्द वल्लभ पंत एवं जवाहर लाल नेहरू को भी चोट आई। पटना में साइमन कमीशन के स्वागत के लिए ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा गाँवों से गाड़ियों में लोगों को बैठाकर पटना लाया गया किंतु ये गाँव वाले पटना में आकर गाड़ियों से उतरकर साइमन कमीशन का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों के साथ मिल गए।

मजदूरों–किसानों एवं नवयुवकों ने साइमन कमीशन के विरोध में हुए आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। साइमन कमीशन विरोधी इस आंदोलन ने अंग्रेजों के विरूद्ध राष्ट्रव्यापी जनआंदोलन को और तीव्र कर दिया। विभिन्न दलों एवं नेताओं ने एकजुट होकर सांविधानिक सुधार की एक वैकल्पिक योजना बनाकर साइमन कमीशन को जवाब देने पर सहमति जताई।

नेहरू रिपोर्ट (1928)– भारत सचिव लार्ड बर्कनहेड ने भारतीय नेताओं को एक ऐसा संविधान बनाने की चुनौती दी जो देश के सभी समुदायों एवं वर्गों को मान्य हो। साइमन कमीशन का भारत में जगह–जगह पर विरोध हो रहा था। मई 1928 में सर्वदल सम्मेलन बंबई में हुआ, जिसमें मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गयी। इस समिति का कार्य भारत के भावी संविधान की रूपरेखा तैयार करना था। इस समिति ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की वह 'नेहरू रिपोर्ट' कहलायी। इस समिति के सदस्य तेज बहादूर सप्रू, सर अली इमाम, सरदार मंगल सिंह, एन. एस. अणे, जी. आर. प्रधान एवं शोयेब कुरैशी थे। नेहरू निपोर्ट में निम्नांकित बातें थीं–

1. भारत को अधिराज्य अर्थात् औपनिवेशिक स्वराज्य (Dominion states) का दर्जा दिया जाए। (ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के अधीन स्वतंत्रता)
2. अधिकारों की एक ऐसी घोषणा की जाए जिसमें भारत के सभी नागरिकों को धार्मिक और राजनीतिक स्वतंत्रता हो।
3. साम्प्रदायिक आधार पर अलग चुनाव क्षेत्रों की व्यवस्था को समाप्त किया जाए। यद्यपि केन्द्रीय एवं प्रांतीय दोनों ही विधायिका में मुसलमानों के लिए सीटें आरक्षित रखी जाए।
4. केन्द्र में द्विसदनी विधायिका की व्यवस्था रहे।
5. प्रांतों को स्वायत्तता दी जाएँ।
6. सारी शक्ति केन्द्रीय विधान सभा के प्रति उत्तरदायी भारत सरकार के हाथ में हो । केवल विदेशी मामलों एवं सुरक्षा ब्रिटिश नियंत्रण में रखे जाएँ।

नेहरू रिपोर्ट जुलाई 1928 में प्रकाशित की गयी। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में दिसम्बर 1928 के कलकत्ता अधिवेशन में ब्रिटिश सरकार को अल्टीमेटम दिया गया कि नेहरू रिपोर्ट को 31 दिसम्बर 1929 तक स्वीकार नहीं किया गया तो कांग्रेस जनआंदोलन शुरू कर देगी। मुस्लिम लीग ने नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया और जिन्ना ने अपनी चौदह सूत्री माँग रखी।

नेहरू रिपोर्ट को लागू करने की अवधि 31 दिसम्बर 1929 समाप्त हो गयी थी। इस कारण कांग्रेस ने अब पूर्ण स्वाधीनता की माँग बुलंद की। दिसम्बर 1929 में जवाहर लाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में हुआ। इस अधिवेशन का मुख्य प्रस्ताव 'पूर्ण स्वराज्य' का प्रस्ताव था। स्वराज्य का अर्थ पूर्ण स्वाधीनता को बताया गया। इसमें कहा गया कि कांग्रेस अब से पूरा ध्यान भारत के लिए पूर्ण स्वाधीनता प्राप्ति पर देगी। इस प्रस्ताव को पारित कर लाहौर में रावी नदी के तट पर 31 दिसम्बर 1929 को आधी रात को भारत की स्वतंत्रता का झंडा फहराया गया। कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 को 'पूर्ण स्वाधीनता दिवस' मनाया और इसके बाद यह दिवस कांग्रेस द्वारा भारत की स्वतंत्रता–प्राप्ति तक प्रति वर्ष मनाया जाने लगा।

1930 ई. में प्रारंभ हुआ सविनय अवज्ञा आंदोलन भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। 1928 की नेहरू रिपोर्ट के अस्वीकृत होने और ब्रिटिश सरकार द्वारा औपनिवेशिक स्वराज्य प्रदान नहीं किये जाने से भारतीय नेताओं में असंतोष व्याप्त था। कांग्रेस के दिसम्बर 1929 के लाहौर अधिवेशन में 'पूर्ण स्वराज्य' के लक्ष्य को घोषित करने के बाद भारतीयों में आशा एवं उल्लास की भावना भर गयी। महात्मा गाँधी ने अपने पत्र 'यंग इंडिया' के माध्यम से वायसराय लार्ड इर्विन के समक्ष 11 सूत्रीय माँग रखी। इन मांगों को ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वीकार न किए जाने पर सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का निश्चय किया गया। इन माँगों में लगान में कमी करना, सैन्य व्यय में कमी करना, नमक कर समाप्त करना, रुपये की विनिमय दर घटाना, विदेशी कपड़ों के आयात को नियंत्रित करना, नशीली वस्तुओं का विक्रय बंद करना, राजनीतिक कैदियों को छोड़ देना आदि थी। वायसराय इर्विन द्वारा इन माँगों को अनदेखा किए जाने पर सविनय अवज्ञा का मार्ग अपनाया

करने का कार्य गाँधी को सौंप दिया।

12 मार्च 1930 को गाँधी ने अपने चुने हुए 78 समर्थकों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी के लिए पदयात्रा आरंभ कर दी। 240 मील की पदयात्रा 24 दिन में कर गाँधी अपने सहयोगियों के साथ दांडी पहुँचे। 6 अप्रैल 1930 को समुद्र तट से मुट्ठी भर नमक हाथ में लेकर नमक कानून तोड़ा। नमक कानून तोड़ना इस बात का प्रतीक था कि भारतीय अब ब्रिटिश कानूनों को मानने को तैयार नहीं हैं। देश के कई भागों में नमक कानून तोड़ा गया। सुभाषचंद्र बोस ने गाँधी की इस पद यात्रा की तुलना नेपोलियन की एलबा से पेरिस मार्च से की।

नमक सत्याग्रह

इस आंदोलन के कार्यक्रमों में निम्न प्रमुख थे– नमक कानून का उल्लंघन करना एवं स्वयं नमक बनाना, महिलाओं द्वारा शराब, अफीम एवं विदेशी वस्त्रों की दुकानों पर धरना देना, सूत कातना, विदेशी वस्त्रों की होली जलाना, छात्रों द्वारा सरकारी स्कूल–कॉलेज छोड़ना, सरकारी सेवाओं से इस्तीफा देना, छुआछूत त्यागना आदि।

इस जनआंदोलन में प्रदर्शन, हड़ताल, बहिष्कार, धरने आदि में बहुत बड़ी संख्या में युवाओं, महिलाओं, किसानों एवं मजदूरों ने सक्रिय भागीदारी निभाई। प्रमुख नेता महात्मा गांधी, सरदार वल्लभभाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू सहित हजारों सत्याग्रही बंदी बनाए गए। महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं मध्यभारत में वन नियमों का उल्लंघन किया गया। समुद्र तट से दूर बिहार में लोगों ने चौकीदारी कर देने से मना कर दिया गया। चौकीदार गाँव के रक्षक होते थे। ये सरकार की ओर से गुप्तचरी भी किया करते थे। उत्तर प्रदेश में लगान न देने का आंदोलन चलाया गया। चन्द्रसिंह गढ़वाली की अपील पर गढ़वाली सैनिकों ने पेशावर के आंदोलनकारियों पर गोली चलाने से मना कर देश प्रेम प्रदर्शित किया।

शोलापुर में आंदोलनकारियों ने कई अंग्रेजी संस्थानों को जलाकर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। यहाँ आंदोलनकारियों ने ब्रिटिश राज समाप्त कर प्रशासन की बागडोर अपने हाथ में लेकर एक प्रकार से समानांतर सरकार स्थापित कर ली। शोलापुर शहर लगभग एक सप्ताह तक आंदोलनकारियों के हाथ में रहा। पूवोत्तर सीमांत क्षेत्र में नागाओं ने यदुनांग के नेतृत्व में ब्रिटिश सरकार के विरूद्ध आंदोलन किया। यदुनांग को फाँसी की सजा दी गयी। यदुनांग के बाद नागा रानी गैडिनल्यु (गिडालू) के नेतृत्व में विद्रोह हुआ। छोटी सी उम्र की रानी को अंग्रेजों द्वारा आजीवन कारावास की सजा दी गयी। देश की इस वीरांगना को भारत की स्वतंत्रता के बाद ही मुक्ति मिली। मुस्लिमों की भागीदारी इस आंदोलन में 1920 के असहयोग आंदोलन की तुलना में कम थी फिर भी पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के अब्दुल गफ्फार खान के संगठन 'खुदाई खिदमतगार 'ने इस आंदोलन में प्रमुख भागीदारी निभाई।

ब्रिटिश सरकार के घोर दमन के बाद भी यह जन आंदोलन व्यापक होता चला गया। इसी बीच भारती संवैधानिक सुधारों के संबंध में विचार करने के लिए लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन नवम्बर 1930 को आरंभ हुआ। कांग्रेस ने इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया। ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस से बात करने के उद्देश्य से गाँधी सहित कांग्रेस के नेताओं को 26 जनवरी 1931 को रिहा कर दिया।

गाँधी–इर्विन समझौता (मार्च1931)– लंबी बातचीत के बाद 5 मार्च 1931 को गाँधी–इर्विन समझौता हुआ। पहली बार कांग्रेस एवं सरकार को समानता के स्तर पर रखा गया। गाँधी–इर्विन समझौते को 'दिल्ली पैक्ट' भी कहा जाता हैं। गाँधी–इर्विन समझौते के अन्तर्गत ब्रिटिश सरकार ने हिंसात्मक कार्यों में लिप्त बंदियों के अतिरिक्त सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा करने एवं उनकी जब्त की गई सम्पति को वापस करने की बात मान ली। सरकार ने समुद्रतटीय इलाकों में रहने वाले ग्रामीणों को घरेलू उपयोग के लिए नमक बनाने का अधिकार दिया। जिन सरकारी कर्मचारियों ने त्यागपत्र दिया था, उनके साथ नरमी बरतने की बात सरकार ने मानी। भारतीयों को शांतिपूर्ण धरना दिए जाने का अधिकार दिया गया। इन आश्वासनों के बदले कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आन्दोलन को समाप्त करने की शर्त मान ली। कांग्रेस लंदन में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने पर सहमत हो गई।

गाँधी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गये। इस सम्मेलन में ब्रिटिश सरकार का कोई भी प्रस्ताव स्वीकार करने योग्य नहीं था। इस कारण गाँधी दिसम्बर 1931 में भारत वापस आ गये। लंदन के द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय सरकार ने गाँधी–इर्विन समझौते के विपरीत भारत में दमन–चक्र जारी रखा।

महात्मा गाँधी ने भारत आकर इर्विन के स्थान पर नियुक्त नये वायसराय विलिंगटन से मिलकर बातचीत करने का प्रयास किया किन्तु उनका प्रयास असफल रहा। ऐसी परिस्थिति में 3 जनवरी 1932 को गाँधी ने पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारम्भ कर दिया। कांग्रेस ने लंदन में 1932 ई. में हुए तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया। आंदोलन पुनः प्रारम्भ करने पर ब्रिटिश सरकार ने गाँधी को जेल में बन्द कर दिया। गाँधी ने जेल में अनशन शुरू कर दिया। गाँधी की बिगड़ती हालत को देखते हुए सरकार ने 23 अगस्त 1933 को उन्हें जेल से रिहा कर दिया। जेल से रिहा होने के बाद गाँधी राजनीति से अलग हो गए

और अछूतोद्धार के कार्यक्रम में लग गये। 18 मई 1934 को पटना में कांग्रेस की बैठक में बिना शर्त सविनय अवज्ञा आन्दोलन समाप्त कर दिया गया।

इस आन्दोलन ने बहुत बड़े सामाजिक वर्ग में राजनीतिक चेतना जागृत की। महिलाओं, युवाओं, मजदूरों, किसानों एवं कम पढ़े–लिखे ग्रामीण लोगों ने भी इस आन्दोलन में भागीदारी निभाई। इसे देखकर अंग्रेज भी आश्चर्य करने लगे। बंगाल के पुलिस विभाग के आई.जी. ने कहा "मुझे इस बात का कतई अंदाजा नहीं था कि कांग्रेस को इस प्रकार से अज्ञानी और गंवार लोगों का भी सहयोग प्राप्त होगा।" अवध के किसानों, महाराष्ट्र, मध्य भारत एवं कर्नाटक के जनजातीय समुदाय एवं महाराष्ट्र के मजदूरों ने जिस प्रकार से इस आन्दोलन में सक्रियता दिखाई वह अद्भूत थी। इस आंदोलन का आर्थिक प्रभाव महत्वपूर्ण था। आन्दोलन के दौरान ब्रिटेन से आयातित कपड़े की मात्रा घट कर एक तिहाई हो गई।

गोलमेज सम्मेलन (1930ई.–32ई.)

साइमन कमीशन की रिपोर्ट एवं भारत की संवैधानिक समस्याओं पर विचार–विमर्श करने के लिए लंदन में भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों का सम्मेलन बुलाया गया। ये सम्मेलन गोलमेज सम्मेलन कहलाए। लंदन में तीन गोलमेज सम्मेलन हुए।

प्रथम गोलमेज सम्मेलन– प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवम्बर 1930 को लंदन में प्रारंभ हुआ। इसमें भारत के राजनीतिक दलों, देशी रियासतों के प्रतिनिधि एवं ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधियों में प्रधानमंत्री रैम्जे मेक्डोनाल्ड प्रमुख था। भारत के प्रतिनिधियों में तेज बहादुर सप्रू, एम. आर. जयकर, सी.वाई.चिंतामणि, आगा खां, मुहम्मद अली जिन्ना आदि थे। देशी रियासतों के प्रतिनिधियों मे बीकानेर, बड़ौदा, कश्मीर, भोपाल, हैदराबाद एवं मैसूर के प्रतिनिधि थे। कांग्रेस ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया। कांग्रेस इस समय भारत में ब्रिटिश सरकार के विरूद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन चला रही थी। इस कारण ब्रिटिश सरकार ने उसे अवैध घोषित कर दिया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में केन्द्र में भारतीय संघ, कुछ सीमाओं के अंतर्गत केंद्र में उत्तरदायी सरकार की स्थापना, प्रांतों को पूर्ण स्वायत्तता प्रदान करना आदि विषयों पर विचार–विमर्श हुआ। भारत के सबसे बड़े दल कांग्रेस ने इस सम्मेलन का बहिष्कार किया था। इस कारण ब्रिटिश सरकार इस सम्मेलन को पूर्ण नहीं मानती थी। यह सम्मेलन 19 जनवरी 1931 को समाप्त हुआ।

द्वितीय गोलमेज सम्मेलन– द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितम्बर 1931 को प्रारंभ हुआ। इस सम्मेलन में महात्मा गाँधी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। इस सम्मेलन में डॉ. भीमराव अम्बेडकर, पं. मदनमोहन मालवीय आदि नेताओं ने भी भाग लिया। इस सम्मेलन में साम्प्रदायिक समस्या पर निर्णय करना एक कठिन कार्य था। मुस्लिमों की भाँति डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने पृथक निर्वाचन प्रणाली की माँग की। केन्द्र व प्राँतों के बीच अधिकारों का वितरण एवं केन्द्र में उत्तरदायी शासन की स्थापना पर प्रतिनिधियों में मतभेद था। दिसम्बर 1931 में गाँधी सम्मेलन से निराश होकर भारत लौटे।

द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री मेक्डोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को साम्प्रदायिक निर्णय या साम्प्रदायिक पंचाट (Communal Award) की घोषणा की। इसके अनुसार दलित वर्ग को हिन्दुओं से अलग मानते हुए उन्हें पृथक् चुनाव प्रणाली की सुविधा देते हुये प्रतिनिधित्व दिया गया। इस प्रकार अंग्रेजों ने 'फूट डालो और राज करो' की नीति अपनाते हुए दलितों को अन्य हिन्दुओं से पृथक् करने का प्रयास किया।

महात्मा गाँधी ने मेक्डोनाल्ड के साम्प्रदायिक निर्णय के विरोध में यरवदा जेल में आमरण अनशन प्रारम्भ कर दिया। मदन मोहन मालवीय, राजेन्द्र प्रसाद, सी. राजगोपालाचारी आदि नेता

भीमराव अम्बेडकर

महात्मा गाँधी

अम्बेडकर से पूना में मिले। इनके प्रयास से 26 सितम्बर 1932 को महात्मा गाँधी एवं भीमराव अम्बेडकर ने एक समझौता किया, जो 'पूना समझौता' कहलाया। ब्रिटिश सरकार द्वारा इसे सहमति प्रदान किए जाने पर गाँधी ने अनशन तोड़ दिया। इस समझौते के अनुसार व्यवस्थापिका सभाओं में दलित वर्ग के प्रतिनिधियों का स्थान सामान्य हिन्दुओं के स्थान में ही सुरक्षित रखा गया। पूना समझौते में दलित वर्ग को ब्रिटिश सरकार द्वारा निर्धारित स्थान से अधिक प्रतिनिधित्व दिया गया।

तृतीय गोलमेज सम्मेलन– यह 17 नवम्बर 1932 को प्रारंभ हुआ। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। मुहम्मद अली जिन्ना को सम्मेलन की सदस्यता से वंचित कर दिया गया। इस सम्मेलन में दूसरे गोलमेज सम्मेलन की उपसमितियों की सिफारिश के आधार पर कुछ निर्णय लिए गये। यह सम्मेलन 24 दिसम्बर 1932 को समाप्त हुआ। इन निर्णयों को भारत सरकार ने 1935 के अधिनियम में सम्मिलित किया।

1935 का अधिनियम

1935 का अधिनियम एक विस्तृत अधिनियम था। यह अंग्रेजों द्वारा भारत में लागू की गयी अंतिम महत्वपूर्ण संवैधानिक व्यवस्था थी। इसे लागू करने के कई कारण थे। 1919 का मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भारतीयों को संतुष्ट नहीं कर पाया था। भारत के संवैधानिक सुधार के संबंध में सुझाव देने के लिए नियुक्त साइमन कमीशन का भारतीयों ने विरोध किया था। सविनय अवज्ञा

आंदोलन ने अंग्रेजी साम्राज्य विरोधी भावना को तीव्र कर दिया। गाँधी–इर्विन समझौता कोई समाधान न निकाल सका। लंदन में हुए तीनों गोलमेज सम्मेलन के बाद ब्रिटिश सरकार ने एक श्वेत पत्र जारी किया, जिसमें नए सुधारों का उल्लेख था। इसमें कुछ संशोधनों के बाद ब्रिटिश संसद ने भारत शासन अधिनियम 1935 पारित किया।1935 के अधिनियम की प्रमुख विशेषताएँ निम्न हैं –

1. 1919 के अधिनियम द्वारा स्थापित प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त किया गया। प्रांतों को पूर्ण स्वायत्तता प्रदान की गयी।

2. प्रांतों में दो सदन वाली विधायिका की व्यवस्था की गयी। 6 प्रांतों बंगाल, मद्रास, बंबई, संयुक्त प्रांत, आसाम एवं बिहार में द्विसदनी विधायिका की व्यवस्था की गयी। उच्च सदन विधानपरिषद् एवं निम्न सदन विधान सभा था।

3. एक 'अखिल भारतीय संघ' की स्थापना का प्रावधान किया गया। गवर्नरों द्वारा शासित प्रांतों एवं देशी रियासतों को मिलाकर इस अखिल भारतीय संघ (Federal) की स्थापना का प्रावधान किया गया। इस सम्बध में तब तक कोई घोषणा नहीं की जा सकती थी जब तक निर्धारित संख्या में देशी रियासतें संघ की स्थापना में इच्छुक न हों।

4. केन्द्र में द्वैध शासन की व्यवस्था की गयी।

5. इस अधिनियम द्वारा समस्त विषयों को तीन सूचियों में बाँटा गया। संघ सूची, प्रांत सूची एवं समवर्ती सूची। संघीय सूची के विषय केन्द्र के अधीन थे, प्रांतीय सूची के विषय प्रांतों के अधीन थे। समवर्ती सूची के विषय केन्द्र एवं प्रांत दोनों के अधीन थे।

6. एक 'संघीय न्यायालय' (Federal Court) की स्थापना की गयी। इसके निर्णयों के विरूद्ध कुछ मामलों में इंग्लैंड में स्थित प्रिवी कौंसिल में अपील की जा सकती थी।

7. इस अधिनियम द्वारा 1858 के अधिनियम द्वारा स्थापित इंडिया कौंसिल को समाप्त कर दिया गया। इसके स्थान पर भारत सचिव के लिए सलाहकारों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया।

8. साम्प्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया गया। दलितों के लिए भी साम्प्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली का प्रावधान किया गया।

9. एक केन्द्रीय बैंक का प्रावधान किया गया, जो भारतीय रिजर्व बैंक कहलाया।

10. रेलवे के नियंत्रण, निर्माण, रखरखाव एवं संचालन के लिए एक संघीय रेलवे प्राधिकरण का प्रावधान किया गया।

11. बर्मा को भारत से पृथक् कर दिया गया। सिंध एवं उडीसा दो नए प्रांत बनाए गए (ब्रिटिश भारत में इसके बाद 11 प्रांत हो गए)।

प्रांतों में उत्तरदायी शासन स्थापित किया गया किंतु प्रांतीय गवर्नर को विवेकीय अधिकार देकर इसे सीमित करने का प्रयास किया गया। देशी रियासतों के संघ में सम्मिलित होने की पर्याप्त संख्या के प्रावधान के कारण भारतीय संघ की स्थापना नहीं हो पायी। इस विषय पर जब देशी रियासतों से बातचीत प्रारंभ की गयी तब उन्होंने ऐसे विषयों पर चर्चा शुरू कर दी जिनका तत्काल समाधान संभव नहीं था। संघीय न्यायालय भी अंतिम न्यायालय नहीं था। इसके विरूद्ध इग्लैंड की प्रिवी कौंसिल में अपील की जा सकती थी।

इस अधिनियम का बहुत बड़ा भाग भारत के संविधान का अंग बना। भारतीय संघ से संबंधित व्यवस्था को छोड़कर अन्य सभी प्रावधान 1 अप्रैल 1937 से लागू हो गए। इसकी आलोचना कांग्रेस ने की किंतु कांग्रेस ने 1937 ई. के प्रांतीय चुनावों में भाग लिया और प्रांतों में अपनी सरकार बनाई।

प्रांतीय सरकारों का निर्माण

1935 के अधिनियम को प्रांतीय क्षेत्रों में 1 अप्रैल 1937 से लागू किया गया। इसके अनुसार प्रांतों में चुनाव हुए। 6 विधानसभाओं मद्रास, बंबई, संयुक्त प्रांत, बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में कांग्रेस को बहुमत प्राप्त हुआ। जुलाई 1937 में ब्रिटिश भारत के कुल ग्यारह प्रांतों में से इन 6 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी। पश्चिमोत्तर सीमांत प्रदेश एवं आसाम में कांग्रेस की संयुक्त सरकार बनी। बंगाल में फजल उल हक के नेतृत्व में प्रजा कृषक पार्टी एवं मुस्लिम लीग की संयुक्त सरकार बनी। पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी के नेता हयात खां के नेतृत्व में सरकार बनी। कुल 11 में से 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी। केवल तीन प्रांतों बंगाल, पंजाब एवं सिन्ध में गैर कांग्रेसी मंत्रिमंडल बनाए गए। मुस्लिम लीग का मुस्लिम निर्वाचन क्षेत्रों में भी प्रदर्शन निराशाजनक रहा।

इन सरकारों ने नागरिक स्वतंत्रता और समान अधिकार के क्षेत्र में प्रशंसनीय कार्य किए। चौरी चौरा कांड एवं मोपला विद्रोह में सजा काट रहे लोगों एवं गढवाली सैनिकों को रिहा कर दिया गया। राजनीतिक संस्थाओं पर लगी रोक को हटा दिया गया। राजनीतिक कार्यकर्ताओं की गतिविधियों पर लगी रोक हटा ली गयी। समाचार पत्रों से ली गयी जमानतें वापस कर दी गयी। उन्हें सरकारी विज्ञापन दिए जाने लगे। सामाजिक एवं आर्थिक सुधार के कार्यक्रम लागू किए गए। मद्रास में काश्तकार कर्ज राहत कानून पारित कर कर्जों का एक भाग रद्द कर दिया गया। कई और प्रांतों में कर्ज का भुगतान स्थगित किया गया। प्रांतीय सरकारों ने शराबबंदी, हरिजन उत्थान, ग्रामीण विकास, शिक्षा आदि से संबंधित महत्वपूर्ण कार्य किए।

द्वितीय विश्व युद्ध एवं भारत

सितम्बर 1939 में द्वितीय विश्वयुद्ध के आरंभ होने पर प्रांतीय सरकारों से बिना विचार–विमर्श किए वायसराय लिनलिथगो ने यह घोषणा कर दी कि युद्ध में भारत ब्रिटेन के साथ है। इस कारण ब्रिटिश सरकार के प्रांतीय सरकारों से मतभेद हो गए और अक्टूबर 1939 में कांग्रेस की प्रांतीय सरकारों ने इस्तीफा दे दिया।

मुस्लिम लीग ने अपनी पीरपुर रिपोर्ट में कांग्रेस शासित प्रांतों में मुस्लिमों पर अन्याय किए जाने की मनगढ़ंत कहानियाँ गढ़ीं। इससे साम्प्रदायिकता की भावना को बढ़ावा मिला। कांग्रेस मंत्रिमंडलों द्वारा प्रांतों से त्यागपत्र दिये जाने पर 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने 'मुक्ति दिवस' बनाया।

अगस्त प्रस्ताव (8 अगस्त 1940)– कांग्रेस ने जुलाई 1940 में ब्रिटिश सरकार के समक्ष प्रस्ताव रखा कि यदि भारतीय स्वतंत्रता की बात मान ली जाए और केंद्र में एक अस्थाई राष्ट्रीय सरकार स्थापित की जाए तब कांग्रेस युद्ध में सरकार को सहयोग कर सकती है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल ने कहा था "मैं ब्रिटिश साम्राज्य का विघटन करने के लिए ब्रिटेन का प्रधानमंत्री नहीं

बना हूँ।'' वायसराय लिनलिथगो ने 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव रखा, जिसमें निम्न बातें थीं–

1. युद्ध के बाद संविधान का ढ़ाँचा तैयार करने के लिए भारतीय प्रतिनिधियों का एक निकाय बनाया जाएगा।

2. वायसराय की कार्यकारिणी परिषद् का विस्तार किया जाएगा, इसमें भारतीयों को अधिक संख्या में सम्मिलित किया जाएगा।

3. युद्ध सलाहकार परिषद् की नियुक्ति की जाएगी, जिसमें भारतीय राज्यों के प्रतिनिधि और अन्य भारतीय होंगे।

4. ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य भारत में औपनिवेशिक स्वराज्य की स्थापना करना है।

5. अल्पसंख्यकों की स्वीकृति के बिना सरकार किसी भी संवैधानिक परिवर्तन को लागू नहीं करेगी।

कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। इसमें अल्पसंख्यकों को अधिक महत्व दिया गया था। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें यह बात मान ली गयी थी कि भारत का संविधान बनाने का अधिकार भारतीयों को है।

व्यक्तिगत सत्याग्रह (अक्टूबर 1940)– कांग्रेस ने लिनलिथगो के अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। इसके बाद गाँधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। इसका लक्ष्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को स्थापित करना था। यह सांकेतिक आंदोलन था जो अत्यंत सीमित रहने वाला था। इसमें सदस्यों को विभिन्न चरणों में गिरफ्तारी देनी थी। सत्याग्रहियों को स्थानीय पुलिस को दो दिन पूर्व सत्याग्रह की सूचना देनी होती थी। सत्याग्रह के दिन सत्याग्रही को गाँधी द्वारा तैयार भाषण देना होता था।

17 अक्टूबर 1940 में महाराष्ट्र के पनवार से व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ हुआ। विनोबा भावे पहले सत्याग्रही बने। इन्होंने युद्ध विरोधी भाषण देकर गिरफ्तारी दी। दूसरे सत्याग्रही जवाहर लाल नेहरू थे। जब सत्याग्रही सांकेतिक भाषण देते थे तब उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता था किंतु बाद में सरकार ने निर्देश जारी किया कि सत्याग्रही को नोटिस मिलते ही गिरफ्तार कर लिया जाए। 1941 ई. में द्वितीय विश्वयुद्ध में अपनी खराब स्थिति को देखते हुए ब्रिटेन ने युद्ध में भारत का समर्थन प्राप्त करने के लिए सभी सत्याग्रहियों को रिहा कर देने की घोषणा की।

क्रिप्स मिशन (1942 ई.)– भारतीयों में स्वतंत्रता प्राप्त करने की आकांक्षा तीव्र होती जा रही थी। द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की स्थिति कमजोर हो रही थी। ऐसी परिस्थिति में अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट, चीनी राष्ट्रपति च्यांगकाई शेक एवं आस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री जैसे मित्र राष्ट्र के नेताओं ने ब्रिटेन पर दबाव डालना शुरू कर दिया कि वह भारतीयों को सत्ता सौंपने की दिशा में कार्य करे, जिससे युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त हो सके। जापान भारत की सीमाओं तक आ पहुँचा। ब्रिटिश सरकार जापान के आक्रमण से भयभीत हो गयी। ऐसे में भारतीयों से सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से ब्रिटिश सरकार ने 23 मार्च 1942 में सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक मिशन भारत भेजा। विभिन्न भारतीय नेताओं से बातचीत करके क्रिप्स ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इसमें निम्न बातें थीं–

1. युद्ध के बाद भारत संघ को 'औपनिवेशिक स्वराज्य' दिया जाए। भारत को ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से पृथक् होने का अधिकार दिया जाए।

2. भारत का नया संविधान बनाने के लिए युद्ध के तुरंत बाद एक 'संविधान सभा' बनायी जाए।

3. ब्रिटिश भारत के किसी भी प्रांत या देशी रियासत को यदि नवीन संविधान पसंद नहीं होगा तब वे अपनी स्थिति यथावत् रख सकेंगे तथा भारतीय संघ से अलग हो सकेंगे।

4. युद्ध की स्थिति एवं नए संविधान के निर्माण तक भारत की सुरक्षा का उत्तरदायित्व ब्रिटिश सरकार का होगा।

वास्तविक शक्ति तत्काल भारतीयों को नहीं सौंपी गई। महात्मा गाँधी ने इसे 'आगे की तारीख का चेक' (Post dated cheque) कहा। प्रांतों एवं देशी रियासतों को भारतीय संघ से पृथक् होने के अधिकार के कारण कांग्रेस ने इस योजना का विरोध किया। प्रांतों एवं देशी रियासतों के भारतीय संघ से पृथक होने एवं अपना पृथक् संविधान बनाने के अधिकार देने से अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान की माँग को एक प्रकार से स्वीकार कर लिया गया था लेकिन मुस्लिम लीग का मानना था कि इसमें पाकिस्तान की माँग को स्पष्ट रूप से स्वीकार नहीं किया गया था। कांग्रेस, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, सिख, दलित प्रतिनिधियों, उदारवादियों आदि ने यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया।

1942 का भारत छोड़ो आंदोलन

भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक ऐसा जन आंदोलन था जिसने ब्रिटिश सरकार की जड़ें हिलाकर रख दीं। इस आंदोलन ने भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति में एक नई दिशा प्रदान की। मार्च 1942 के क्रिप्स मिशन की असफलता ने भारतीय जनता को निराश किया। द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान कीमतों में वृद्धि एवं आवश्यक वस्तुओं की कमी के कारण भारतीय जनता में असंतोष की भावना बढ़ गयी थी। ब्रिटेन द्वितीय विश्वयुद्ध में मलाया, सिंगापुर और बर्मा में पीछे हट रहा था। जापान ने इन पर अधिकार कर लिया था। ऐसे समय में महात्मा गाँधी ने अपने पत्र 'हरिजन' में अंग्रेजों से भारत छोड़ने की बात करते हुए लिखा कि भारत में अंग्रेजों की उपस्थिति जापानियों को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण है। गाँधी ने अंग्रेजों से भारत को ईश्वर के हाथों में अथवा अराजकता में छोड़ने की बात कही। गाँधी ने ब्रिटिश सरकार के विरूद्ध अहिंसक आंदोलन आरंभ करने का निश्चय किया। अबुल कलाम आजाद एवं जवाहर लाल नेहरू इसके पक्ष में नहीं थे। उन्हें महात्मा गाँधी की यह योजना अव्यावहारिक लग रही थी। गाँधी ने कहा ''भारत की बालू से एक ऐसा आंदोलन पैदा करेंगे जो खुद कांग्रेस से भी बड़ा होगा।''

कांग्रेस कार्य समिति ने वर्धा में हुई 14 जुलाई 1942 को अपनी बैठक में महात्मा गाँधी के अहिंसक संघर्ष के कार्यक्रम को स्वीकृति प्रदान कर दी। अगस्त में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में इस प्रस्ताव का अनुमोदन होना था। 7 अगस्त 1942 को बंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। 8 अगस्त 1942 को

भारत छोडो का यह प्रस्ताव पास किया गया। 8 अगस्त 1942 को बंबई के ग्वालिया टैंक में एक ऐतिहासिक सभा में महात्मा गाँधी ने 'करो या मरो' का नारा दिया। उन्होंने कहा ''मैं आपको एक छोटा सा मंत्र दे रहा हूँ आप इसे अपने दिलों में सँजोकर रख लें और हर एक सांस में इसका जाप करें वह मंत्र है 'करो या मरो', हम या तो भारत को स्वतंत्र कराएँगे या इस प्रयास में मारे जाएँगे, मगर हम अपनी पराधीनता का स्थायित्व देखने के लिए जिंदा नहीं रहेंगे।'' गाँधी वायसराय से मिलकर कांग्रेस के प्रस्ताव को स्वीकार करवाना चाहते थे। उनका यह मानना था कि इसमें दो तीन सप्ताह लग जाएँगे।

इसके पहले कि कांग्रेस आंदोलन चलाती 9 अगस्त 1942 को प्रातः ही गाँधी एवं दूसरे कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। कांग्रेस को एक बार पुनः गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। महात्मा गांधी और सरोजिनी नायडू को पूना के आगा खाँ पैलेस में एवं कांग्रेस के अन्य नेताओं को अहमदनगर दुर्ग में नजरबंद कर दिया गया। राजेन्द्र प्रसाद बंबई नहीं आए थे, इसलिए इन्हें पटना में गिरफ्तार कर नजरबंद कर दिया गया। इस आंदोलन की कोई निश्चय योजना तैयार नहीं की गयी थी। कांग्रेस के प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी से जनता नेतृत्व विहीन हो गयी।

राष्ट्रीय नेताओं की गिरफ्तारी से जनआक्रोश फैल गया। देश में बंबई, अहमदाबाद, पूना, दिल्ली, कानपुर, इलाहाबाद, पटना आदि प्रमुख शहरों में बड़े–बड़े जुलूस निकाले गए। स्कूल, कॉलेज एवं कारखानों में हड़तालें की गयी। स्थान–स्थान पर स्वतःस्फूर्त आंदोलन होने लगे। ब्रिटिश दमन चक्र से आक्रोशित जनता हिंसात्मक कार्यवाहियों में लिप्त हो गयी। भीड़ ने ब्रिटिश सत्ता के प्रतीकों पुलिस थाने, डाकघर, न्यायालय, रेलवे स्टेशन आदि स्थानों पर आक्रमण किया। सार्वजनिक भवनों पर तिरंगा फहराया जाने लगा। रेल की पटरियाँ उखाड़ने, पुल उड़ा देने एवं टेलिफोन व तार की लाईने काट देने का सिलसिला चलता रहा। सरकारी अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों एवं मुखबिरों पर हमले हुए।

समाजवादी अच्युत पटवर्धन, जयप्रकाश नारायण, डॉ. राममनोहर लोहिया, श्रीमति अरूणा आसफ अली ने भूमिगत होकर इस आंदोलन में योगदान दिया। जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में रखा गया था। जय प्रकाश नारायण 9 नवम्बर 1942 को पाँच लोगों के साथ हजारीबाग सेंट्रल जेल से भाग निकले। उन्होंने 'आजाद दस्ता' बनाकर अपना जनक्रांति का कार्यक्रम सम्पन्न करने का प्रयास किया। लोगों ने भूमिगत नेताओं को छुपने की जगह दी। सुमति मोरारजी ने अच्युत पटवर्धन के लिए प्रतिदिन एक नई कार की व्यवस्था की और गिरफ्तार होने से बचाया। राम मनोहर लोहिया कांग्रेस रेडियो पर बोलते रहे। अरूणा आसफ अली बंबई में सक्रिय रही। उन्होंने ग्वालिया टैंक मैदान में तिरंगा फहराया।

आंदोलनकारियों ने कई स्थानों पर समानांतर सरकार स्थापित कर ली। बलिया में पहली ऐसी सरकार चित्तू पांडे के नेतृत्व में बनी। उनकी सरकार ने कलक्टर के सारे अधिकार छीनते हुए सभी गिरफ्तार नेताओं को रिहा कर दिया। बंगाल के मिदनापुर में 17 दिसम्बर 1942 से सितम्बर 1944 तक जातीय सरकार के रूप में राष्ट्रीय सरकार रही। जातीय सरकार ने आपसी समझौता करने के लिए अदालतें बनाई, स्कूलों को अनुदान दिए और कई राहत के कार्य चलाए। महाराष्ट्र के सतारा की समानांतर सरकार सबसे अधिक दीर्घजीवी रही। नाना पाटिल इसके प्रमुख नेता थे। यहाँ की सरकार 1945ई. तक चलती रही।

10 फरवरी 1943 में गाँधी ने जेल में उपवास आरंभ कर दिया। अंग्रेज सरकार गाँधी पर दबाव डाल रही थी कि वे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हुई हिंसात्मक गतिविधियों की भर्त्सना करें। गाँधी का मानना था कि आंदोलन के हिंसक रूप के लिए ब्रिटिश सरकार उत्तरदायी थी। गाँधी की रिहाई की माँग उठने लगी। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद् के तीन सदस्य एम. एस.एनी, एन.आर.सरकार एवं एच.पी.मोदी ने इस्तीफा दे दिया। एक तरफ भारतीय जनता के विभिन्न वर्ग गाँधी की रिहाई की माँग कर रहे थे तो दूसरी ओर ब्रिटिश सरकार गाँधी के अंतिम संस्कार की तैयारियाँ कर रही थी। गाँधी को बीमारी के आधार पर 6 मई 1944 को रिहा कर दिया गया।

कांग्रेस के नेताओं ने आंदोलन के समय हुई हिंसात्मक गतिविधियों का उत्तरदायित्व स्वीकार नहीं किया। इस आंदोलन को कुचलने के लिए सरकार ने बड़ी क्रूरता दिखाई। प्रदर्शनकारियों पर गोलियाँ चलाई गयी। उन पर बम बरसाये गए। बंदी बनाए गए आंदोलनकारियों को बहुत यातनाएँ दी गयी। विद्रोही गाँवों से भारी जुर्माना वसूला गया। 1942 ई. के अंत तक 60 हजार से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका था। पुलिस एवं सेना की गोलीबारी में 10,000 से भी अधिक लोग मारे गए।

मुस्लिम लीग ने इस आंदोलन में निरपेक्षता की नीति अपनाई। मुस्लिम लीग के मुहम्मद अली जिन्ना ने मुसलमानों से अपील की कि वे इस आंदोलन से बिल्कुल अलग रहें। जब कांग्रेस के प्रमुख नेता जेल में थे तब जिन्ना ने मुस्लिम लीग को 23 मार्च 1943 को 'पाकिस्तान दिवस' मनाने को कहा। साम्यवादियों ने कांग्रेस से भारत छोड़ो आंदोलन वापस लेने को कहा। कम्युनिस्ट पार्टी ने अंग्रेज सरकार का सहयोग किया।

नेतृत्व विहीन यह आंदोलन भारतीय जनता के संघर्ष एवं बलिदान का अनूठा उदाहरण है। इसकी व्यापकता को देखते हुए अंग्रेज यह समझने लगे कि भारत में अंग्रेज अधिक दिनों तक शासन नहीं कर सकते। युवाओं, महिलाओं, किसानों आदि विभिन्न वर्गों ने बड़ी वीरता से इस आंदोलन में भाग लिया और यातनाएँ सहन की। पूर्वी उ.प्र., बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, आन्ध्रप्रदेश, केरल आदि के किसान सक्रिय रहे। बड़े जमींदारों में दरभंगा के राजा ने सरकार को सहायता नहीं दी और गिरफ्तार लोगों की मदद की। अरूणा आसफ अली एवं सुचेता कृपलानी जैसी महिलाओं ने भूमिगत होकर कार्य किया। उषा मेहता कांग्रेस रेडियो चलाने वाले समूह की सदस्य थी। मजदूर वर्ग की भूमिका इस आंदोलन में सक्रिय थी। अहमदाबाद, बंबई, जमशेदपुर आदि

में कारखानें कई दिनों तक बंद रहे। अहमदाबाद में लगभग साढ़े तीन महीने कारखानें बंद रहे। विद्यार्थियों ने इस आंदोलन का संदेश गाँवों में घूम–घूम कर फैलाया। इस आंदोलन की सबसे बड़ी सफलता यही थी कि इसके परिणामस्वरूप भारत की स्वतंत्रता की माँग राष्ट्रीय आंदोलन की प्रथम माँग बन गयी। ब्रिटिश सरकार से अब सत्ता हस्तांतरण पर ही बात की जानी थी। स्वतंत्रता के लिए जनता बड़े से बड़ा त्याग करने को तैयार हो गयी।

द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों की स्थिति दुर्बल हो रही थी। आजाद हिन्द फौज जापान के साथ भारत की सीमा तक पहुँच गई थी। इंग्लैण्ड में लेबर दल का प्रभाव बढ़ रहा था। आगामी चुनाव को देखते हुए ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने भारत के संवैधानिक गतिरोध को समाप्त करना चाहा। वायसराय वेवल ने जून 1945 में संवैधानिक सुधा

जिलों एवं मुस्लिम बहुसंख्यक जिलों के प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों की अलग–अलग बैठक बुलाई जाए और इसमें से यदि कोई भी पक्ष प्रांत का विभाजन चाहेगा तब विभाजन कर दिया जाएगा।

4. उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और असम के सिलहट जिले में जनमत संग्रह द्वारा यह निर्णय लिया जाएगा कि वे ि

की उपेक्षा कर मुस्लिमों का पक्ष लिया। 1909 के मार्ले मिन्टो अधिनियम के द्वारा साम्प्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली को अपनाया गया। इसके अनुसार मुस्लिमों को पृथक् प्रतिनिधित्व एवं विधानमंडलों में उनकी जनसंख्या के अनुपात से अधिक प्रतिनिधित्व दिया गया। अंग्रेजों ने मुस्लिम साम्प्रदायिकता का उपयोग भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के विरूद्ध एक हथियार के रूप में किया।

1945 ई. में वेवेल ने कार्यकारिणी परिषद् के प्रस्ताव में 5–5 सदस्यों के नाम मुस्लिम लीग एवं कॉंग्रेस से देने के लिए कहा था, जबकि कॉंग्रेस मुस्लिम लीग की तुलना में अधिक लोगों का प्रतिनिधित्व करती थी। इस प्रकार उसने दोनों को बराबरी का दर्जा देकर मुस्लिम लीग को बढ़ावा दिया। जिन्ना ने समस्त मुस्लिम सदस्यों के नाम मुस्लिम लीग द्वारा दिए जाने की माँग की। शिमला सम्मेलन में जिन्ना को एक प्रकार से वीटो का अधिकार दे दिया गया। वेवेल ने शिमला सम्मेलन के निर्णयों को मुस्लिम लीग द्वारा अस्वीकृत किये जाने पर शिमला सम्मेलन समाप्त घोषित कर दिया था।

भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के लिए हिन्दू–मुस्लिम एकता को आवश्यक मानते हुए मुस्लिमों का सहयोग प्राप्त करने के लिए तुष्टिकरण की नीति अपनाई गयी। 1916 के लखनऊ समझौते में कांग्रेस ने मुस्लिमों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व एवं विधानमंडलों में उन्हें जनसंख्या के अनुपात से अधिक प्रतिनिधित्व दिए जाने के अधिकार को स्वीकार कर लिया। यह बहुत बड़ी भूल थी। 1923 ई. से 1933 ई. तक 'हिन्दू महासभा' ने लखनऊ समझौते को संशोधित करवाने के प्रयास किए। देश की साम्प्रदायिक समस्या को हल करने के लिए गाँधी ने सी. आर. फार्मूले (1944 ई.) पर जिन्ना से बात की। इस फार्मूले के अनुसार मुस्लिम लीग को भारतीय स्वतंत्रता की माँग का समर्थन करना था एवं युद्ध–समाप्ति के बाद उत्तरपश्चिमी एवं उत्तरपूर्वी भारत के उन क्षेत्रों में जहाँ मुस्लिम बहुमत में है, जनमत द्वारा निर्णय लिया जाना था कि वे भारत से अलग होना चाहते हैं अथवा नहीं। महात्मा गाँधी ने जिन्ना को बार–बार मनाने का प्रयास किया। गाँधी के साथ वार्ता के बाद जिन्ना का महत्व अधिक बढ़ गया। मुस्लिम लीग को संविधान सभा में भाग लेने के लिए सहमत किए बिना ही 1946 ई. की अंतरिम सरकार में सम्मिलित कर लिया गया। मुहम्मद अली जिन

ब्रिटेन यह जानता था कि भारत पर अधिक दिनों तक शासन नहीं किया जा सकता, अन्ततः ब्रिटेन को भारत छोड़ना ही पड़ेगा। इसलिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने संसद में यह घोषणा की कि उनकी सरकार अधिकाधिक जून 1948 तक शक्ति का हस्तांतरण भारतीयों के हाथों में दे देगी।

भारतीय सेना में विद्रोह की भावना– भारतीय सेना में राष्ट्रीयता की भावना तीव्र हो गयी थी। आजाद हिंद फौज के सैनिकों ने जापानियों के साथ मिलकर ब्रिटेन के विरूद्ध भारतीय स्वतंत्रता के लिए युद्ध किया। आजाद हिंद फौज के सैनिकों की रिहाई के लिए भारत में चल रहे आंदोलन से अंग्रेज अधिक चिंतित हो गये। 18 फरवरी 1946 को बंबई में नौ सेना ने विद्रोह किया। नौ सेना, थल सेना एवं वायुसेना में अंग्रेजों के विरूद्ध बढ़ती भावना से अंग्रेजों को यह विश्वास हो गया कि वे अब भारतीय सेना पर निर्भर होकर भारत पर शासन नहीं कर सकते। ब्रिटिश नौकरशाही का मनोबल गिर रहा था। भारतीय अधिकारियों की वफादारी अंग्रेजों के प्रति बदलती गयी।

साम्प्रदायिक दंगे– जिस मुस्लिम लीग को संरक्षण देकर अंग्रेजों ने साम्प्रदायिकता की भावना को बढ़ाया, वही मुस्लिम लीग अब उनके नियंत्रण में नहीं रही। साम्प्रदायिक दंगों के अन्य स्थानों पर फैलने से अंग्रेजों के लिए कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना कठिन होते जा रहा था। प्रशासनिक, पुलिस एवं सैनिक अधिकारी भी साम्प्रदायिकता के प्रभाव में आने लगे थे। ऐसी स्थिति में ब्रिटिश सरकार ने भारत को छोड़ने की तिथि आगे लाकर 15 अगस्त 1947 कर दी।

1945–46 ई. में ब्रिटिश राज्य विरोधी लहर का विस्तार होता जा रहा था।अंततः अंग्रेजों को बेइज्जत होकर भारत से जाना पड़ता। भारत की बिगड़ती हुई स्थिति, भारतीय सैनिकों में राष्ट्रवाद की भावना एवं जनआंदोलन को रोक पाने में अपनी असमर्थता को देखते हुए अंग्रेजों ने शीघ्र ही भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित कर दी।

सरदार वल्लभभाई पटेल मौलाना अब्दुल कलाम आजाद

देशी रियासतों का भारत में विलय (जूनागढ़, हैदराबाद एवं कश्मीर के विशेष संदर्भ में)– ब्रिटिश संसद द्वारा पारित भारतीय स्वतन्त्रता विधेयक 1947 ई. में यह प्रावधान था कि जो संधि–समझौते आदि ब्रिटिश सरकार ने भारतीय रियासतों से किये हैं, वे सब समाप्त हो जायेंगे। इस प्रकार ब्रिटिश सर्वोच्चता देशी रियासतों पर से हटा ली गई थी। इसमें यह प्रावधान था कि भारतीय रियासतों को यह अनुमति होगी कि वे भारत अथवा पाकिस्तान में से किसी एक में सम्मिलित हो या स्वतन्त्र रहे।

वल्लभभाई पटेल के विशेष प्रयासों एवं कूटनीति से अधिकांश रियासतें भारत मे मिलीं।खैरपुर, बहावलपुर आदि रियासतें

संबंध मे निर्णय नहीं लिया था।

जूनागढ़ में नवाब मुस्लिम था परन्तु य

मिलती थी। पाकिस्तान ने कश्मीर की आर्थिक नाकेबंदी कर दी। उसने अनाज, नमक, पेट्रोल आदि आवश्यक सामग्री पर प्रतिबंध लगा दिया। कबाईलियों के रूप में पाकिस्तानी सैनिकों ने 22 अक्टूबर 1947 को कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। 24 अक्टूबर 1947 को राजा हरिसिंह ने भारत सरकार से सैनिक सहायता माँगी। कश्मीर को भारत में सम्मिलित करने पर सहमति हो गई। 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर के राजा हरिसिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किये और कश्मीर भारत का अंग बना। 27 अक्टूबर 1947 को भारतीय सेना ने पाकिस्तान के आक्रमणकारियों के विरूद्व सैनिक कार्यवाही शुरू कर दी।

भारतीय सेना आक्रमणकारियों को खदेड़ने लगी। इसी बीच भारत सरकार इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में ले गई। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कश्मीर मुद्दे पर गठित आयोग की सिफारिश पर युद्व विराम हुआ। कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान के अधिकार में रह गया। इस प्रकार कश्मीर रियासत का भारत में विलय तो हो गया किन्तु कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान के अधिकार में रह गया, जो अभी पाक अधिकृत कश्मीर (POK) कहलाता है।

कश्मीर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में परिभाषित भारत के राज्य क्षेत्र का भाग है। यह पहली अनुसूची में सम्मिलित भारत का 15 वां राज्य है। इस राज्य का राज्य क्षेत्र उन सभी क्षेत्रों से मिलकर बना है जो 15 अगस्त 1947को उस राज्य के शासक की प्रभुता के अधीन था। संविधान में जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 370 के अंतर्गत विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। यह व्यवस्था अस्थायी रूप से दी गयी थी। अनुच्छेद 370 को संविधान के भाग 21 में 'अस्थायी, संक्रमणकालीन एवं विशेष उपबन्ध' शीर्षक के अंतर्गत सम्मिलित किया गया था।

भारत के एकीकरण में सरदार वल्लभभाई पटेल का महत्वपूर्ण योगदान था। 2014 ई. से सरदार पटेल का जन्म दिन राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है।

अध्ययन बिन्दु

- ❖ राजा राममोहन राय को 'भारतीय पुनर्जागरण का जनक' कहा जाता है। इन्होंने 'आत्मीय सभा' एवं 'ब्रह्म समाज' की स्थापना की।
- ❖ आर्य समाज की स्थापना बंबई में 1875 ई. में दयानंद सरस्वती ने की थी।
- ❖ 'वेदों की ओर लौट चलो' का नारा दयानंद सरस्वती ने दिया।
- ❖ 'सत्यार्थ प्रकाश' नामक पुस्तक के लेखक दयानंद सरस्वती थे।
- ❖ विवेकानंद ने अपने गुरू रामकृष्ण परमहंस के नाम पर 'रामकृष्ण मिशन' की स्थापना 1897 ई. में की थी।
- ❖ विवेकानंद विश्व धर्म संसद में भाग लेने 1893 ई. में अमेरिका के शिकागो में गए थे।
- ❖ संथाल विद्रोह 1855–56 ई. में हुआ। इसके नेता सिंधू एवं कान्हू थे।
- ❖ अभिनव भारत की स्थापना वीर सावरकर ने की थी।
- ❖ गदर दल की स्थापना 1913 ई. में अमेरिका के सेनफ्रांसिस्को में लाला हरदयाल ने की थी।
- ❖ 'इंकलाब जिन्दाबाद' का नारा भगतसिंह ने दिया था।
- ❖ सुभाष चंद्र बोस ने ''तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूँगा'' का नारा दिया।
- ❖ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ई. में ए. ओ. ह्यूम ने की थी।
- ❖ कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनीबेसेंट थी।
- ❖ राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए गवर्नर जनरल लार्ड कर्जन ने 1905 ई. में बंगाल का विभाजन किया।
- ❖ कांग्रेस के सूरत अधिवेशन (1907 ई.) में कांग्रेस दो भागों में बँट गई– नरम दल एवं गरम दल।
- ❖ 1909 के अधिनियम द्वारा पहली बार साम्प्रदायिक आधार पर निर्वाचन की प्रणाली को अपनाया गया।
- ❖ असहयोग आंदोलन अगस्त 1920 ई. महात्मा गाँधी के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ।
- ❖ 'चौरी चौरा कांड' के कारण गाँधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया।
- ❖ स्वराज्य पार्टी की स्थापना जनवरी 1923 में इलाहाबाद में चितरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने की।
- ❖ साइमन कमीशन जनवरी 1928 में भारत आया। इसके 7 सदस्यों में कोई भी भारतीय नहीं था। साइमन कमीशन का कार्य भारत के संवैधानिक सुधारों के संबंध में सुझाव देना था।
- ❖ कांग्रेस ने अपने लाहौर अधिवेशन में 1929 ई. में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 'पूर्ण स्वराज्य' का लक्ष्य निर्धारित किया।
- ❖ महात्मा गाँधी ने अपने 78 अनुयायियों के साथ 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से प्रसिद्व दांडी मार्च प्रारंभ किया।
- ❖ खान अब्दुल गफ्फार खान को 'सीमांत गांधी' कहा जाता है।
- ❖ महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में लंदन के द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया।
- ❖ 'अखिल भारतीय संघ' की व्यवस्था का प्रावधान 1935 के अधिनियम में था।
- ❖ कांग्रेस सरकार द्वारा प्रांतों से इस्तीफा देने पर मुस्लिम लीग ने 22 दिसम्बर 1939 को 'मुक्ति दिवस' मनाया।
- ❖ भारत छोडो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ। सतारा, बलिया एवं मिदनापुर में भारत छोड़ो आंदोलन के समय समानांतर सरकार स्थापित की गयी थी।

अभ्यासार्थ प्रश्न

बहुचयनात्मक प्रश्न

1. ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की ?
   (क) स्वामी दयानंद सरस्वती
   (ख) स्वामी विवेकानंद
   (ग) राजा राममोहन राय
   (घ) आत्मारंग पांडुरंग

2. रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की ?
   (क) रामकृष्ण परमहंस
   (ख) महादेव गोविन्द रानाडे
   (ग) स्वामी विवेकानंद
   (घ) इसमें से कोई नहीं

3. 1893 ई. में विश्व धर्म सम्मेलन में विवेकानंद ने कहाँ भाग लिया था ?
   (क) सेन फ्रांसिस्को
   (ख) न्यूयार्क
   (ग) शिकागो
   (घ) ब्रिस्टल

4. राजा राम मोहन राय की मृत्यु कहाँ हुई थी ?
   (क) लंदन
   (ख) ब्रिस्टल
   (ग) शिकागो
   (घ) कलकत्ता

5. राजा राम मोहन राय के प्रयासों से किस गवर्नर जनरल के समय सती–प्रथा को रोकने के लिए कानून बना ?
   (क) वारेन हेस्टिंग्स
   (ख) लार्ड विलियम बैंटिक
   (ग) लार्ड डलहौजी
   (घ) लार्ड रिपन

6. 'वेदों की ओर लौट चलो' का नारा किसने दिया ?
   (क) राजा राममोहन राय
   (ख) स्वामी विवेकानंद
   (ग) स्वामी दयानंद सरस्वती
   (घ) केशवचंद्र सेन

7. 'जयहिन्द' का नारा किसने दिया ?
   (क) भगत सिंह (ख) वीर सावरकर
   (ग) सुभाष चंद्र बोस (घ) चन्द्रशेखर आजाद

8. भगत सिंह, राजगुरू एवं सुखदेव को फाँसी कब दी गयी ?
   (क) 31 दिसम्बर 1929
   (ख) 26 जनवरी 1930
   (ग) 23 मार्च 1931
   (घ) इसमें से कोई नहीं

9. कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था ?
   (क) ए. ओ. ह्यूम
   (ख) व्योमेश चंद्र बनर्जी
   (ग) सुरेन्द्र नाथ बनर्जी
   (घ) दादा भाई नौरोजी

10. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन (1907) का अध्यक्ष कौन था ?
    (क) दादा भाई नौरोजी
    (ख) रास बिहारी घोष
    (ग) सुरेन्द्र नाथ बनजी
    (घ) गोपाल कृष्ण गोखले

11. महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के समय एक वर्ष के भीतर स्वराज्य दिलाने की बात कही थी ?
    (क) चंपारण सत्याग्रह
    (ख) असहयोग आंदोलन
    (ग) सविनय अवज्ञा आंदोलन
    (घ) भारत छोड़ो आंदोलन

12. प्रांतों में द्वैध शासन किस अधिनियम द्वारा लागू किया गया ?
    (क) 1909 के अधिनियम द्वारा
    (ख) 1919 के अधिनियम द्वारा
    (ग) 1935 के अधिनियम द्वारा
    (घ) इसमें से कोई नहीं

13. साम्प्रदायिक आधार पर पृथक् निर्वाचन प्रणाली को अपनाते हुए किस अधिनियम के द्वारा मुस्लिमों के लिए पृथक् निर्वाचक मण्डल की स्थापना की गयी ?
    (क) 1909 के अधिनियम द्वारा
    (ख) 1919 के अधिनियम द्वारा
    (ग) 1935 के अधिनियम द्वारा
    (घ) इसमें से कोई नहीं

14. कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गाँधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था ?
    (क) प्रथम गोलमेज सम्मेलन में
    (ख) द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में
    (ग) तृतीय गोलमेज सम्मेलन में
    (घ) तीनों गोलमेज सम्मेलन मे

अति लघूत्तरात्मक प्रश्न (दो पंक्तियों तक में उत्तर दीजिए)

1. 'स्वराज्य' शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया ?
2. स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु कहाँ हुई ?
3. 'सत्यार्थ प्रकाश' नामक पुस्तक किसने लिखी ?
4. भारतीय राष्ट्रवाद एवं भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे माना जाता है ?
5. शुद्धि आंदोलन किसने चलाया ?
6. "तुम मुझे खून दो मैं तुम्हे आजादी दूँगा" यह प्रसिद्ध नारा किसने दिया ?
7. भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना किसने एवं कब की ?
8. बिरसा मुंडा कौन था ?
9. इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब एवं किसने की ?
10. कांग्रेस की स्थापना कब एवं किसने की ?
11. बंगाल का विभाजन कब एवं किस गवर्नर जनरल के समय हुआ ?
12. कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गयी ?
13. जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ ?
14. महात्मा गाँधी ने किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया ?
15. महात्मा गाँधी ने दांडी मार्च कब एवं कितने सदस्यों के साथ प्रारंभ किया ?
16. किस अधिनियम द्वारा प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गयी ?
17. गाँधी ने 'करो या मरो' का नारा कब एवं कहाँ दिया ?

लघूत्तरात्मक प्रश्न (आठ पंक्तियों में उत्तर दीजिए)

1. राष्ट्रवाद के उदय के कारण बताइए ?
2. आर्य समाज की शिक्षाओं को समझाइए ?
3. चन्द्रशेखर आजाद के संबंध में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए ?
4. संथाल विद्रोह क्या था। समझाइए ?
5. गदर दल के बारे में आप क्या जानते है ?
6. अभिनव भारत के बारे में बताइए ?
7. कांग्रेस के उद्देश्य एवं कार्यक्रम बताइए ?
8. बंगाल–विभाजन पर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। बंगाल विभाजन क्यों किया गया ?
9. खिलाफत आंदोलन क्या था ?
10. 1919 के अधिनियम की प्रमुख विशेषताएँ बताइए ?
11. स्वराज्य पार्टी के बारे में आप क्या जानते हैं ?
12. गाँधी इर्विन समझौते का उल्लेख कीजिए ?
13. माउन्टबेटन योजना की विशेषताएँ बताइए ?
14. 1935 के अधिनियम की प्रमुख विशेषताएँ बताइए ?

निबंधात्मक प्रश्न(तीन पृष्ठों में उत्तर दीजिए)

1. स्वामी विवेकानंद के विचारों का वर्णन कीजिए। राष्ट्रीय जागृति में उनके योगदान को बताइए ?
2. राजा राम मोहन राय के सामाजिक एवं धार्मिक क्षेत्र में किए गए कार्यों का वर्णन कीजिए ?
3. आजाद हिन्द फौज का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में योगदान बताइए ?
4. असहयोग आंदोलन के उदय के कारण, इसके प्रमुख कार्यक्रम एवं महत्व को समझाइए ?
5. सविनय अवज्ञा आंदोलन के कार्यक्रम एवं महत्व को बताइए?
6. भारत छोड़ो आंदोलन किन परिस्थितियों में प्रारंभ हुआ? इसके महत्व को बताइए ?

उत्तरमाला (बहुचयनात्मक प्रश्न)

(1)ग (2)ग (3)ग (4)ख (5)ख (6)ग (7)ग (8)ग (9)ख (10)ख (11)ख (12)ख (13)क (14)ख